एक दार्शनिक (राष्ट्रपति) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

डॉ. रणवीर सिंह ठाकुर
अतिथि व्याख्याता, राजनीति एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर म.प्र.

हिन्दुस्तान में महान साधु सन्तों, ऋषि–मुनियों, शिक्षाविदों, चिन्तकों और बुद्धिजीवियों की प्राचीन काल से ही समृद्ध विरासत रही है। पूरी दुनिया भारतीय ज्ञान विचार और दर्शन से लाभान्वित रही है। महान दार्शनिक, भारत रत्न प्राप्त मानवता के प्रतीक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृशणन का जन्म 5 सितम्बर 1888 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में धार्मिक नगरी तिरूतनी में हुआ था। कहा जाता है कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेजी पढ़ें, इन्हें वे पुजारी बनाना चाहते थे। बहरहाल इस बच्चे की ऐसी अद्वितीय प्रतिभा थी कि उसे तिरूपति के स्कूल में भेज दिया गया और जहां उन्होंने उसके बाद में वेल्लोर उसके उपरान्त उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया।[1] दर्शन भास्त्र में उनकी रूचि नहीं थी, लेकिन एक घटना ने उन्हें दार्शनिक बना दिया। दर्शन भास्त्र के अध्ययन से उनमें आत्मविश्वास, एकाग्रता और मजबूत प्रतिबद्धता कायम हुई और वे एक महान् दार्शनिक बन गए।

महान शिक्षक – वर्ष 1962 में जब डा. राधाकष्णन राष्ट्रपति बने तो उनका जन्मदिन 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यह डा. राधाकृष्णन के शिक्षकों के हित के लिए काम करने के नाते उनका सम्मान था। वे भले ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राजदूत रहे हों, मगर उनके भीतर का शिक्षक हमेशा जीवित रहा। शिक्षण कार्य उनका पहला प्यार था और उनके छात्र रहे, वे अब भी उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। वह आज भी एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं।[2]

पं. जवाहर लाल नेहरू ने, जो हमेशा से उनके करीबी मित्र रहे, उनके बारे में कहा था 'उन्होंने कई अहम पदों पर रहते हुए देश की सेवा की, लेकिन इन सबके बावजूद वे एक महान् शिक्षक थे, जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा और सीखते रहेंगे। यह भारत का सौभाग्य है कि एक महान् दार्शनिक, शिक्षाविद और एक मानवतावादी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने। यह इस बात का परिचायक है कि हम किस तरह के व्यक्ति की पहचान, आदर और सम्मान करते हैं।' देश के सबसे बड़े नागरिक पुरूस्कार 'भारत रत्न' 1954 में प्रदान किया गया यह सम्मान उनको उनकी सेवा भारवना देश, प्रेम, नेतृत्व और एक दार्शनिक के रूप में प्रदान किया गया। 5 सितम्बर को पूरे भारत में उनको याद करते हुये प्रत्येक वर्श शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।[3]

उनका दर्शन – राधाकृष्णन की विलक्षणता इस बात में थी कि उन्हे भारतीय तथा पाश्चात्य – दोनो विचारो की पूरी जानकारी थी। जोड़ ने कहा कि राधाकृष्णन को एक प्रकार से पूर्व तथा पश्चिम की बातो का'' सम्पर्क अधिकारी – Liaison Officer कहा जा सकता हैं उन्होने पूर्व के पारम्परिक ज्ञान तथा पश्चिम के नवीन ज्ञान के मध्य एक सेतु बनाया हैं। उनकी मूल दार्शनिक दृष्टि में एक प्रकार से अद्वैत वेदान्त में तथा पाश्चात्य निरपेक्ष आध्यात्मवाद Absolutel dcalism का सम्बन्ध है। वे अद्वैत वेदान्त में प्रतिवादित सत के मूल अद्वैत ऐक्ट को केन्द्र बताते है। किन्तु इसमें निरपेक्ष आध्यात्मवाद के कुछ पक्षो को जोड़ देते है उन्हें आध्यात्मवादी कहॉ जा सकता हैं।[4]

परमसत् का स्वरूप – अद्वैत वेदान्त के समान राधाकृष्णन स्वीकारते है कि परम्सत का पूर्ण निश्चित विवरण देना तो सम्भव ही नही इसके लिये हमारी भाषा असमर्थ है, किन्तु कुछ निकट के विवरणो द्वारा हम कुछ प्रारंभिक भाव बना सकते है अब हम वैसा ही कुछ प्रयास कर रहे है। इतना तो स्पष्ट ही हो गया है कि राधाकृष्णन के परमसत विचार के विवेचना का अर्थ है, उनके निरपेक्ष सत Absoulte या ब्राह्य के विचार का स्पष्टीकरण।

निरपेक्ष सत या ब्राह्य – राधाकृष्णन इस परमसत् को सूचित करने के लिये दोनो 'नामो' का उपयोग करते है, पाश्चात्य परम्परा के अनुरूप इसे निरपेक्ष सत् Absoulte कहते है तथा भारतीय परम्परा के अनुरूप इसे ब्रह्य कहते है। किन्तु 'नामों' का उपयोग आकस्मिक नहीं है। उनके इस ब्रह्य विचार मे कुछ अंश तो अद्वैत वेदान्त के है तथा कुछ अंश हेगेल तथा हेगेल परम्परा से भी लिये हुये है

अद्वैत वेदान्त के समान के भी ब्रह्य को पूर्ण अमूर्त भाव नही है और न अमूर्तिकरण की प्रक्रिया से प्राप्त भाव है बल्कि सब कुछ का वास्तविक आधार है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने दर्शन में निरपेक्ष सत् और ईश्वर जगत्, आत्म का स्वरूप, मानव आत्म का असीम पक्ष, पर्नुजन्म–सिद्वान्त, मानव का चरम भाग्य, मोक्षानुभूति के मार्ग–धर्म, धार्मिक अनुभूति, धर्म का सार, धर्म का मार्ग, रहस्यवाद पर विस्तार, ज्ञानोपार्जन, इन्द्रिय अनुभव, बौद्विक अवगति, अर्न्तद्रष्टि, बुद्वि आदि पर एक दार्शनिक विचारक के रूप में अपने विचार व्यक्त किये राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को महान शिक्षक दार्शनिक इसलिये कहा जाता है।[5] क्योकिं उन्होने जीवन के प्रत्येक पहलू के साथ धर्म, ईश्वर, भाव आदि पर अपनी वैचारिक दृष्टि डाली। उनकी पहली पुस्तक 'द इथिक्स ऑफ वेदांत एंड इट्स मैटेरियल प्रीसपोजिशन' ने जो मद्रास विश्वविद्यालय के एम.ए. डिग्री की परीक्षा के लिए उनकी थीसिस थी, 1908 में प्रकाशित होने के साथ ही उनको निस्संदिग्ध रूप से लोकप्रिय महान् दार्ईनिक के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी बाद की सारी कृतियां अपने–अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुईं। उन्होंने जितने भी शोध किए सभी ने मजबूत स्तंभ के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। गूढ़ दार्शनिक के तौर पर अपने को सिद्ध करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन डा. राधाकष्णन ऐसे चंद लोगों में से एक थे, जिन्होंने आसानी से ऐसा कर दिखाया।

दर्शनशास्त्र उनके लिए जीवन को समझने का एक उपाय था और भारतीय दर्शन का उनका अध्ययन सांस्कृतिक उपचार साबित हुआ। पाश्चात्य शब्दावली में भारतीयता की व्याख्या करने और दिखाने के लिए उनके पास पर्याप्त तर्क थे जिससे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के कारण उनमें कायम हीन भावना से उबारने में वह सफल रहे। उन्होंने लोगों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी समृद्ध एवं लंबी परंपरा कुंठित हो चुकी है और इसके मूल्यांकन की जरूरत है।[6] उन्होंने भारतीयों को बताया कि वह उस मार्ग को त्याग दें जो भ्रष्ट, अनैतिक एवं घिनौना है।

विचारोत्तेजक शिक्षक – डा. राधाकृष्णन अपनी भारी विद्वता के वाबजूद एक दयालु व्यक्ति भी थे। मद्रास के प्रेसीडेंस कॉलेज में शुरूआती दिनों से ही अपने छात्रों के बीच वे एक लोकप्रिय शिक्षक रहे थे। जब वे 30 वर्ष से भी कम आयु के थे, उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने वर्ष 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति पद की जिम्मेदारी संभाली। 1939 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए गए। इसके दो वर्ष बाद उन्होंने बनारस में ही उन्होंने सर सायाजी राव चेयर ऑफ इंडियन कल्चर एवं सिविलाइजेशन की जिम्मेदारी संभाली।

वर्ष 1936 में उनकी विद्वता को एक अन्तराष्ट्रीय ख्याति मिली। जब उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नीतिशास्त्र का स्पाल्डिंग प्रोफेसर बनने के लिए प्रस्ताव मिला, आक्सफोर्ड में उन्होंने 16 वर्षों तक काम किया। अपने विशय में विशेषज्ञता, चिंतन में स्पष्टता और प्रकटीकरण ने उन्हें बेहतर शिक्षक व दार्शनिक बना दिया।[7] लेकिन उन्हें ज्यादा लोकप्रिय उनकी गर्मजोशी, प्रखर बुद्धि ने लोगों को अपनी ओर खींचने की योग्यता ने बनाया। उनके व्यक्तित्व की इस खूबी के कारण जीवन भर उनके प्रशंसक उनसे जुड़ते रहे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था, उनके विचार, शिक्षा, उदारपन ने उनके प्रसंशकों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी की। और देश–विदेश में अपनी पहचान बनाने में सफल साबित हुये।

ब्रिटिश शासन के अंतिम दशक में वे गांधीजी के काम और चिंतन, सत्य अहिंसा के सबसे प्रासंगिक विश्लेषक माने गए और स्वतंत्र भारत में उन्होंने नेहरूजी की विदेशी नीति के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार किया और वैचारिक कवच प्रदान किया।

सामाजिक वादा – डा. राधाकष्णन एक अकादमिक ज्ञान से इतर अपने दार्शनिक–धार्मिक अध्ययन को समकालीन पष्ठभूमि में सामाजिक–राजनैतिक विकास के नजरिए से आगे ले गए। वे मानते थे कि भारत में दार्शनिक का काम अतीत के संपर्क में बने रहना है, जबकि दूसरी ओर भविष्य की संभावनाओं को खुरेचना भी है।[8] समाज के लिए उनका वादा अपने विद्वत्तापूर्ण आलेखों उनकी अपनी व्याख्या से भरा हुआ आधुनिक लेखन और उपनिवेशिक दबाव से उपजी बौद्धिक क्षमता के चलते डा. राधाकृष्णन की अलग जन छवि उभरकर सामने आई। वे सामान्य तौर पर राजनीति और अकादमी के क्षेत्र के अन्य लोगों से भिन्न थे।

अंतर्राष्ट्रीय ख्याति – उनके उच्च सिद्धांत और उनकी असीम गरिमा उन सभी पदों पर कायम रही, जहां भी वे कार्यरत रहे। भारत में अगर डा. राधाकृष्णन उच्च सम्मान प्राप्त व्यक्तित्व के तौर पर जाने गए तो विदेशों में वे अपने समय के सबसे अधिक लोकप्रिय लोगों में से एक व्यक्ति के तौर पर पहचाने गए। दार्शनिक के तौर पर

उन्होंने बहुत कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। एक दार्शनिक के रूप में बहुत जल्द उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। वर्ष 1952 में विश्वस्तरीय ख्याति प्राप्त संस्थान द लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलास्फर ने 'द फिलासफी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन' प्रकाशित की जो उनकी दार्शनिक धरोहर पर समालोचनात्मक कृति थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस महान दार्शनिक की विश्व प्रसिद्व पहचान भारत की पहचान बनी यह व्यापक विचार था जो उन्होंने दुनिया को दिया यह दार्शनिक शक्तिशाली सोबियत संघ के एक आदर्श राजदूत बने जो पूरी दुनिया पर अपनी साम्यवादी पहचान बनाने की ओर अग्रसर था।[9] प्रथम और अति स्पष्ट कदम यह है कि हम अपने घर को सुव्यवस्थित करें। इस मकसद की पूर्ति के लिए सारे दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में संगठित करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साझा पथ पर आगे बढ़े। यह कठिन यात्रा का प्रथम हिस्सा होगा। इसके लिए मैं निम्नलिखित कार्यक्रमों के आयोजन का सुझाव देता हूं।

इसे एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। मैं इनमें से किसी कार्यक्रम के मौलिक होने का दावा नहीं करता और एक लंबी सूची में से इन्हें छांटकर अलग किया है इनमें से पहला बिन्दु कांग्रेस एवं देश के समक्ष वर्शों से मौजूद है। कृपया मुझे इस बात के लिए माफ करें कि अभी तक मैंने कोई ठोस रचनात्मक काम नहीं किया है। सार्वजनिक स्थान, जहां ये कार्यक्रम आयोजित होंगे, वही एक मात्र पूर्ण आजादी का वास्तविक आधार होगा, जिसकी याचकों तथा अधिराज्य का स्तर कायम रखने के समर्थकों को उम्मीदें हैं, कायम हो सकता है।[10] पहली स्थिति के बारे में मैं कहूंगा कि उनकी क्षमता का पैमाना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारी बलिदान करना होगा तभी सफलता मिलेगी। जहां तक दूसरी स्थिति की बात है, उन्हें अधिराज्य का दर्ज मिलना इस कार्यक्रम के पूर्ण होने पर ही निर्भर करेगा।

देश का नेतृत्व – 1952 में डा. राधाकष्णन भारतीय गणतंत्र के उप–राष्ट्रपति चुने गए और 1962 में पांच वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने गए। यह भारतीय लोकतंत्र का वैभव काल था। वह राजनीति से दूर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे। यह भारत जैसे नवजात देश के लिए लाभकारी था कि घरेलू और विदेशी नीति के मामले में इस तरह की अंर्तराष्ट्रीय ख्याति वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बना जिससे विदेशों में इस दृष्टिकोण का प्रचार–प्रसार हुआ जो अविश्वास और अनिश्चितता के वैश्विक महौल में बहुत जरूरी था।[11] जब भारत के राष्ट्रपति हेतु उनके नाम का चयन हुआ तो बर्टेड रसेल ने कहा था, 'यह दर्शनशास्त्र के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि डा. राधाकृष्णन भारत का राष्ट्रपति बनने वाले हैं और एक दार्शनिक होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्लेटो भी चाहते थे कि एक दार्शनिक राजा बने और यह भारत को श्रेय है कि एक दार्शनिक उसका राष्ट्रपति बनेगा।'

इतिहास डा. राधाकृष्णन को बतौर राष्ट्रपति के कार्यकाल को बहुत ही असमंजस और आश्चर्य के साथ देखेगा। उनके कार्यभार संभालने के कुछ महीने के भीतर ही चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय देश का मनोबल काफी टूट गया था, उस समय देश का मनोबल काफी टूट गया था, मगर डा. राधाकृष्णन की दृढ़ और अटल आवाज ने डागमगाते हुए देश को उबार लिया था।[12]

'विकट भूभागों और संख्या बल में चीनियों के भारी पड़ने से हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसने वास्तविकता के प्रति हमारी आंखें खोल दी। अब हम अपनी कमजोरी जान चुकें थे। और अपनी वर्तमान की जरूरतों से रूबरू हैं, साथ ही भविष्य की जरूरत को जान रहे हैं। अब देश नई इच्छा ाक्ति और नए उद्देश्य के साथ विकास कर चुका है।'

वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने हमारी पश्चिमी सीमा का अतिक्रमण किया था। 25 सितम्बर, 1965 को डा. राधाकृष्णन ने देश के नाम अपने संदेश में कहा था, 'पाकिस्तान ने अनुमान लगाया था कि भारत बहुत कमजोर है या बहुत डर रहा है या लड़ाई को लेकर बहुत घमंड में है। भारत यद्यपि स्वाभाविक तौर पर हथियार उठाने से हिचकता रहा है, परन्तु जब भारत पर हमले हुए तो इसने अपनी रक्षा की आवश्यकता महसूस की।[13] पाकिस्तान ने भी यह सोचा था कि देश में साम्प्रदायिक दंगे होंगे जिससे अव्यवस्था फैलेगी जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना मकसद पूरा कर लेगा। लेकिन उसका गलत मूल्यांकन उसके लिए तेज झटका देने वाला साबित हुआ।' और 1956 में उसे उल्टे पैर इस्लामाबाद तक भागना पड़ा। हमने बड़ी जीत दर्ज की और 1962 में जो भारत चीन युद्ध में हमारी पराजय हुई थी उसका बदला हमने 1965 में भारत पाक युद्ध में पूरा किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया।[14]

डा. राधाकृष्णन को भारतीय लोकतंत्र पर अगाध भरोसा था। 12 मई, 1967 को अपने विदाई समारोह के

संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर अब तक हमारे संविधान ने सफलतापूर्वक काम किया है। लेकिन उन्होंने आगाह किया कि लोकतंत्र सरकार के तंत्र से ज्यादा और भी बहुत कुछ है।[15] 'यह एक जीवन शैली है और मानवीय आचार की एक व्यवस्था है। हमें शांतिपूर्ण बदलाव का निर्माता बनना है और हमें सुधारवादी बदलाव की वकालत करनी है।'

संदर्भ–सूची –

1. कांग्रेस संदेश सितम्बर 2014 पेज नं.–27 24 अकबर रोड नई दिल्ली
2. Sarvepalli Gopal: Radhakrishnan; a Biography (1989) p. 11
3. कांग्रेस संदेश सितम्बर 2016 पेज नं. 10 अकबर रोड, नई दिल्ली
4. Sarvepalli Gopal: Radhakrishnan; a Biography (1989) p.15
5. The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan (1952) p.6
6. राष्ट्रपति चुनाव पर एक नजर डॉ. रणवीर सिंह ठाकुर Law Society and New Challenge Nov. 2014 P- 15
7. Sarvepalli Gopal: Radhakrishnan; a Biography (1989) p.17
8. कांग्रेस संदेश सितम्बर 2014 पेज नं. 38 अकबर रोड, नई दिल्ली
9. समकालीन भारतीय दर्शन – बसन्त कुमार– मोतीलाल बनारसीदास चौक वाराणसी 221–001–1999. च. 351 Sarvepalli Gopal: Radhakrishnan; a Biography (1989) p.12
10. कांग्रेस संदेश सितम्बर 2015 पेज नं. 17 अकबर रोड, नई दिल्ली
11. दैनिक भास्कर सितम्बर 2014, पेज नं. 10 अभिव्यक्ति
12. समकालीन भारतीय दर्शन – बसन्त कुमार– मोतीलाल बनारसीदास चौक
13. वाराणसी 221–001–1999. च. 335
14. Sarvepalli Gopal: Radhakrishnan; a Biography (1989) p.14

गाँधीजी का ग्राम स्वराज्य और सुशासन की भूमिका

गब्बर अहिरवार
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर वि. वि. सागर (म.प्र.)

ग्राम स्वराज्य की अवधारणा – महात्मा गाँधीजी ने स्वतंत्रता के पूर्व ही अपने लेख हिन्द–स्वराज्य में गांवो के महत्व को बताया है। हमारा भारत गांवो का देश है जिसमें लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है, भारत की आत्मा गांवों में बस्ती है। गाँधीजी ने स्वाधीनता आंदोलन के समय 'स्वराज्य' शब्द के साथ–साथ 'रामराज्य' शब्द का भी प्रयोग किया है। स्वराज्य का अर्थ आत्म–शासन और आत्म–संयम है। स्वतंत्रता के साथ यदि सर्वोच्च कोटि का अनुशासन हो तो, वही अच्छा स्वराज्य है, जिसमें अत्याचार का विरोध हो, और जिसमें सभी लोग सामूहिक रुप से एक जुट होकर सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बोलने का साहस रखते हो वही सच्चा स्वराज्य है। समाज में ऐसे कार्य हो जिससे सबसे निचले स्तर पर जो लोग है उनका हित हो, सब समान हो, कोई अछूत न हो, न कोई दलित, न सवर्ण का हो, सबके अधिकार एवं कर्तव्य समान हैं। समाज में व्यक्ति निस्वार्थ भाव से स्वयंहित में कार्य न करके पराहित में कार्य करे, मंत्री सत्ता के उपासक न होकर जनता के सेवक के रुप में काम करे। ग्राम स्वराज्य का अर्थ सत्ता के विकेन्द्रीकरण से है जिसमें गांव अपनी आवश्यकतानुसार गांव के विकास के लिए स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। गांव के कार्य में अन्य किसी ऊपरी सत्ता का हस्तक्षेप न होना ग्राम स्वराज्य है। गोर्की के शब्दों में वे कहते है कि ''आकाश की और देखने वाले यह न भूल जाएँ कि पृथ्वी भी एक सुन्दर नक्षत्र है''।[1]

ग्राम स्वराज्य के माध्यम से राजनैतिक सत्ता का परिवर्तन नही करना था बल्कि विदेशी सत्ता के स्थान पर देश में ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था, जिसमे गांव स्वतंत्र रुप से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर सके, जिसमें छोटे–बड़े एवं अमीर–गरीब की खाई को समाप्त किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था, जो उनको अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध कराऐ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए है लेकिन समाज में यह तय हो गया कि देश का कल्याण व समाज का विकास तभी संभव है जब गाँधीजी द्वारा बताऐ गए दर्शन को अपनाया जाए।[2]

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जिसकी प्रमुख मान्यता है, कि प्रभुत्व शक्ति समस्त जनता में निहित होगी यदि प्रभुत्व शक्ति कुछ लोगो के हाथ में हो तो वह सत्ता का केन्द्रीयकरण होगा इसलिए सत्ता को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। गाँधीजी ने गांवो के विकास पर बल दिया था और गांवो को स्वायतताः देना था। स्थानीय स्वशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो तक विकास की योजनाएं पहुचाने के लिए इस पर जोर दिया गया। स्थानीय स्वशासन जिसका प्रबंध उस स्थान विशेष से होता है जहाँ शासन वहाँ के लोगो द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियो के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गांवो का उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल जो गांव में समस्या है उसी के अनुरुप पंचायत द्वारा योजना बनाना एवं उसका सामना करना है स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई एवं ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन किया और इनके क्रियान्वयन का दायित्व स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पंचायतो को सौंपा गया। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसका आरम्भ किया गया इसका उद्देश्य गांवो के विकास के लिए योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुचाना था। महात्मा गाँधीजी का मानना भी था कि विकास की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए ताकि विकास की नींव मजबूत हो, यह तभी होगा जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रो के गाँवो का समग्र विकास होगा तभी देश आगे विकास की दिशा में प्रगति करेगा।[3] तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को साकार करने वाली व्यवस्था बताया था। गाँधीजी की वह कल्पना बीसवी सदी के उत्तरार्द्ध की थी जिसमें प्रशासनिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ तत्कालीन स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में की थी लेकिन आज उस स्थिति में बदलाव आया है, लेकिन मानसिकता आज भी गुलामी सहन कर रही है। ग्राम सभाओं के अस्तित्व में होते हुए भी इनकी बैठके नही हो

रही है। गाँव के लोग ज्यादा रुचि नही दिखा रहे है। जागरुकता का अभाव ग्राम सभा के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव था, इस प्रकार गाँधीजी का ग्राम स्वराज पाने का स्वप्न पूरा नही हो पा रहा था। भारत सरकार ने गाँधीजी ग्राम स्वराज के स्वप्न को पूरा करने के लिए सन् 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतो का निश्चित कार्यकाल, महिलाओं व पिछड़े वर्ग की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। किन्तु ग्राम पंचायतो की कमजोर वित्तीय स्थिति तथा राजनैतिक हस्तक्षेप पंचायती राज में बाधा बन रहा है।[4]

देश में गरीबी व अज्ञानता को कम करने के लिए एक सक्षम लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की आवश्यकता है। समाज में स्त्री–पुरुष के लिए समानता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार समान रुप किया जाये, शासन ऐसा हो जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के हितो की रक्षा करे एवं अधिक महत्व दे। अपने नागरिको को स्वतंत्रता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराये जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, सक्षम शासन व्यवस्था जनहित में नागरिक समाज व बाजार की तरह प्रभावी रुप से कार्य करे। ग्रामीण विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचाने के लिए वास्तविक रुप से धरातलीय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन हो ताकि आवश्यक वर्ग को इसका लाभ मिल सके। भारत का हृदय स्वरुप 'प्रजातंत्र' कहा जाता है। वास्तविक प्रजातंत्र की आत्मा गांव में बस्ती है, इसलिए ग्रामीण स्तर पर विकास होना चाहिए तभी वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। धर्म, राजनीति, साम्प्रदायिकता, जातिवाद आदि के कारण लोकसेवको की जबावदेही के स्तर में गिरावट आयी है, सुशासन के द्वारा राज्य की जनता सरकार से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शासन की अपेक्षा रखते है जिससे की लोगो की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता हो देश में स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ सशक्त नागरिक समाज हो। सुशासन के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उनकी सामाजिक सुरक्षा, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना तथा संवैधानिक प्रावधानो के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ महिलाओ को आरक्षण हो, रोजगार की समस्या के समाधान के लिए शिक्षित युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देना, ग्रामीण स्तर पर लोगो के लिए स्वरोजगार का प्रशिक्षण देना ताकि वह अपनी जीविका चला सके। ग्रामीण कुटीर उद्योगो के प्रशिक्षण से स्थानीय स्तर पर बेरोजगारो को रोजगार मिलेगा एवं प्रशिक्षण के द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

ग्राम सभा ही किसी क्षेत्र का वह आधार है, जो अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। ग्राम सभाऐ सक्रिय होकर ईमानदारी व निष्पक्ष होकर कार्य करे तथा ग्रामवासी ग्राम सभा का महत्व समझे, बैठको मे भाग ले, तथा अपने अधिकार व कर्तव्यो को जाने तथा प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण एवं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करे। सरकार द्वारा चाहे जो भी योजनाएं चलाई जाऐ उनके क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण क्षेत्रो में मनरेगा योजना ही नही बल्कि यह एक कानून है इसके तहत ग्रामीण लोगो को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतो की है। पंचायती राज व्यवस्था में सत्ता व अधिकार ग्राम सभा के पास है, लेकिन वे अधिकार नौकरशाही के हाथो मे ही सीमित होकर रह गए। स्थानीय स्वशासन एवं विकेन्द्रीकरण होने बावजूद भी गाँव की स्थिति में पर्याप्त सुधार नही हो पा रहा है। ग्राम सभा के कार्य क्या है इन सभी की जानकारी ग्रामीण लोगो को नही है, उनके क्या अधिकार है वह जानते ही नही अतः अपने अधिकारो के प्रति जागरुकता का अभाव, ग्रामीण लोगो में प्रशिक्षण की कमी नजर आती है, ग्राम सभा से पंचायती राज के तहत जैसी सशक्तिकरण की अपेक्षा की गई थी वैसी न बन सकी भारत में 1 अप्रेल 1951 में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया। ग्रामीण विकास के लक्ष्य प्राप्ति के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नियोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व विभागो को दिया गया।[5]

प्रशासन एवं सुशासन की अवधारणा – प्रशासन का अर्थ 'सेवा करना' या 'प्रबंधित करना' है। प्रशासन का कार्य निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करना है, विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योकि प्रशासक अनुभवी योग्य व प्रशिक्षित होता है जिसे शासन संचालन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहली राजनैतिक कार्यपालिका जिसे जनता का बहुमत प्राप्त होता है, दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका जो वास्तविक कार्यपालिका होती है। प्रशासनिक कार्यपालिका द्वारा नीति निर्माण में राजनैतिक कार्यपालिका को सलाह देते है जिससे विकास के लिए

नई नीतियो का निर्माण किया जाता है और इन नीतियो का कार्यान्वयन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। विकास नीतियो की सफलता एवं असफलता प्रशासन पर निर्भर होती है कि वह समाज में नीतियो का कार्यान्वयन कैसे कर रहा है।

आधुनिक समय में सुशासन की अवधारणा अनेक चरणो से होकर गुजरती है। स्वतंत्रता के पहले महात्मा गाँधीजी का सुशासन लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण था जिसमे सत्ता व अधिकार का विभाजन गाँव की ग्राम सभा जो निचले स्तर की इकाई है वहां तक सत्ता को विकेन्द्रित करना था, जिसमे गांव के लोगो की सहभागिता बढ़ाना था और लोगो को निर्णय लेने का अधिकार देना था।[6]

सुशासन से अभिप्राय अच्छी शासन व्यवस्था है जो जनकल्याण के लिए कार्य करती है, जिसमे सभी का कल्याण हो, न कि किसी वर्ग विशेष का, स्वयंहित की अपेक्षा जनहित सर्वोपरि होता है, सुशासन व्यवस्था में इसमें प्रशासक ईमानदार व सच्चचरित्रवान होते है। कार्यो में पारदर्शिता व जनता के प्रति जबावदेही होती। कार्यो को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है, महिला–पुरुष की समान सहभागिता, लोगो को प्रतिनिधित्व देने के लिए केवल लोकतंत्र ही आवश्यक नही है, बल्कि समाज में जो वर्ग असुरक्षित है निर्णय–निर्माण में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना, निष्पक्ष कानून व्यवस्था की स्थापना करना ताकि अल्पसंख्यक वर्ग (असहाय) को न्याय मिल सके। सुशासन की अवधारणा को व्यवस्थित रुप विश्व बैंक, द्वारा 1989 में की गई। वर्तमान में सभी देशो ने इसे अपनाया है, जिसमे सरकार दावा करती है कि शासन को अच्छा व सुचारु बनाया जाए लेकिन क्या वर्तमान समय में हमारी शासन व्यवस्था जबावदेही व उत्तरदायी है। गाँधीजी के ग्राम स्वराज में जो रामराज्य की कल्पना गाँवो के विकास के लिए की थी उन्होने उसमें कही न कही वर्तमान समय में शासन व्यवस्था उसके अनुकूल नही बन पा रही है। गाँधीजी का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करना था जिसमे महिला–पुरुषो की समानता तथा राजनैतिक व्यवस्था में ग्रामीण लोगो की सहभागिता सुनिश्चित करना था ताकि नीति–निर्माण में गांव के लोगो की राय भी ली जाये। ग्राम स्वराज के माध्यम से ग्रामीण लोगो को उनके अधिकार व कर्तव्यो का ज्ञान कराना था, ताकि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी हो, एवं शासन व्यवस्था को सरल बनाना था। गाँधीजी ने रामराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था, जो वर्तमान मे सुशासन के नाम से जाना जाता है इसके माध्यम से गाँव के विकास के लिए जो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं बनायी जाती है। उनके क्रियान्वयन मे पारदर्शिता लाना था ताकि जनता कों जानकारी रहे की सरकार उनके विकास के लिए क्या व्यय कर रही है।

समस्याएं – लेकिन वर्तमान परिपेक्ष्य में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रो में विकास तो हो रहा है लेकिन जिन लोगो को सरकार की योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए, उस निर्धन वर्ग को अनदेखा किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण लोगो में जागरुकता की कमी, शिक्षा का अभाव, शासन में पारदर्शिता का अभाव ग्राम सभाओ में अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व है। अगर किसी गाँव में निर्धन परिवार के दो या चार लोग शिक्षित हो जाते है और वह ग्रामसभा से अपने अधिकारो की मांग करते है तो उन दो–चार शिक्षित युवाओ को राजनैतिक वर्ग या अभिजात्य वर्ग द्वारा डरा धमकाकर उनकी आवाज को दबाया जाता है जिससे कि ग्राम सभाओं के कार्यो में ग्रामीण क्षेत्रो में जागरूकता नही आ पा रही है और जिन लोगो को योजनाओ का वास्तविक रुप से लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नही मिल पा रहा है। अतः गाँधीजी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी वह वास्तविक रुप से अभी भी ग्रामीण क्षेत्र वास्तविकता बहुत दूर है।

सुझाव – गाँधीजी के ग्राम स्वराज एवं सुशासन के द्वारा वर्तमान समय में वास्तविक रुप से कार्यान्वयन के लिए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है।

ग्रामीण क्षेत्रो में वास्तविक रुप से लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की जाए। सुशासन के द्वारा नौकरशाही को अधिक कार्यशील बनाने के लिये उनकी कार्य के प्रति जबावदेही सुनिश्चित करना था जिससे की ग्रामीण लोगो को उन योजनाओं का लाभ मिल सके जिन्हे प्राप्त करन उनका अधिकार है। गाँव के लोगो में जागरुकता लायी जाए जिससे कि वह अपने अधिकारो के प्रति जागरुक हो।

ग्राम सभाओ के द्वारा काम तो किये जाते है, लेकिन वह काम जिन जरुरत मंद लोगो को मिलना चाहिए उनको नही मिल पाता है। जरूरतमंद लोगों की पहचानकर लाभ देना चाहिए।

ग्रामीण लोगो के लिए ग्राम सभा के कार्यो में सहभागिता बढ़ाने के लिए, प्रशासन के उच्च अधिकारियो द्वारा ग्राम सभा की बैठक के दौरान ही गांव के लोगो को

सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहिए। गांव में अभिजात्य वर्ग के शासन को समाप्त करने के लिए गांव के लोगो को प्रशिक्षण देना, ग्राम सभा के कार्यो का अकेक्षण हो एवं शासन के द्वारा जो पंचायते अच्छे नियामक रुप से कार्य नही करती है उनके खिलाफ सख्ती वर्तना व ऐसी पंचायतो के संरपंच व सचिव की निष्कासित करना चाहिए। कानून व्यवस्था का वास्तविक रुप से क्रियान्वयन होना चाहिए, प्रशासन के कार्यो में जबावदेयता हो, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो नौकरशाही की, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा के कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए निवारण तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। गाँव में जो निर्धन व पिछड़ा हुआ वर्ग है, योजनाओं के लाभ में उन्हे प्रमुखता दी जाए। महिला–पुरुष की समान सहभागिता हो, ग्राम सभा के कार्यो को ई. प्रशासन से जोड़ा जाए।

निष्कर्ष – स्वतंत्रता के पहले से ही गांव भारत की आधारशिला माने जाते है, उनके विकास के महत्व को गाँधीजी ने ग्रामस्वराज के माध्यम से गांव की महत्वा को बताया और कहा कि भारत में ग्रामीण अंचलो तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए क्योंकि गाँव ही सम्पूर्ण भारत की नींव है जब तक गांव विकास की दिशा में प्रगति नही करेगा तब तक भारत विकास की और अग्रसर नही होगा यदि देश को गरीबी मुक्त, निर्धनता उन्मुख, बेरोजगारी रहित देश बनाना है तो इसका प्रारम्भ गांव से करना होगा। शासन के कार्यो में जनता की सहभागिता में वृद्धि करना होगा, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के द्वारा सत्ता को स्थानीय स्तर पर पहुंचाना ताकि ग्राम सभा उन अधिकारो का प्रयोग करके ग्रामीण जनता के कल्याण में ग्राम सभाऐ कार्य करे ताकि उनके गांव में निर्धन वर्ग की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर हो ग्राम सभा के द्वारा की जाए। गाँधीजी ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के माध्यम से गांव में ग्राम सभा को स्वतंत्र रुप से कार्य करने की स्वतंत्रता देना था। ताकि गांव विकास की और अग्रसर हो सके। सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओ का क्रियान्वयन पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर करना था। जिसमें प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके द्वारा नीतियो का कार्यान्वयन किया जाता है, लेकिन ग्रामीण जनता के जागरुकता के अभाव में तथा ग्रामसभाओ एवं प्रशासनिक अधिकारियो के द्वारा गांव के जो व्यक्ति योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार होता है उसको नही मिल पाता है। इसकी प्रमुख समस्या ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की कमी, जागरुकता का अभाव, ग्रामीण लोगो को अपने अधिकारो का ज्ञान न होना प्रमुख समस्याएँ है। सरकार द्वारा प्रशासन को अधिक जबावदेह व पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की सुशासन की अवधारणा वर्तमान में प्रचलन है। जिसमे कानून का शासन होगा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, प्रशासनिक अधिकारियो की कार्य के प्रति जबावदेहिता, जनसहभागिता आदि, यदि इन तथ्यो का वास्तविक रुप से क्रियान्वयन होने लगे तो गाँधीजी का ग्रामस्वराज एवं राजराज्य की कल्पना को पूर्ण किया जा सकता है।

अभिशासन लोकतांत्रिक राष्ट्र में कार्यकुशल तथा प्रभावशाली, सहभागिता उन्मुख जिसमें जनता की राय ली जाती हो, कमजोर वर्ग की आवाज को सुना जाये, समाज मे वर्तमान तथा भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करनी होगी।

संदर्भ –

1. विष्णु प्रभाकर, (2000), गाँधीजी : समय, समाज और संस्कृति, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ 50
2. आर. के. पी. रमण एवं नवल किशोर प्रसाद, (2013), भारत का आर्थिक विकास और गाँधीवादी दर्शन, प्रकाशदीप बिल्डिग नई दिल्ली, पृष्ठ नं. 80
3. डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव एवं डॉ. आनंद तिवारी, (2009), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, प्राज्जल प्रकाशन सागर, पृष्ठ 1 से उद्धत 30
4. कुरुक्षेत्र (पंचायती राज) अगस्त : 2006
5. कुरुक्षेत्र पत्रिका, (जनवरी 2014), पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली
6. भट्टाचार्य मोहित, (2004), लोकप्रशासन के नये आयाम, जवाहर पब्लिकेशन नई दिल्ली , पृष्ठ 349 से उद्ध 354

संविधान में उल्लेखित महिला संरक्षण कानून के प्रति प्राथमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन

डॉ. सुनीता मुर्डिया
सहायक आचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी विश्वविद्यालय), डबोक, उदयपुर (राज.)

प्रस्तावना :– किसी भी समाज एवं राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति में महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी होती है जितनी पुरूषों की। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में बहुत महत्वपूर्ण था। मनु के अनुसार ''जहॉ स्त्रियों की दुर्दशा होती है वहॉ सम्पूर्ण परिवार विनाश को प्राप्त होता है। किन्तु जहॉ वे सुखी है वहॉ परिवार सदैव समृद्धि को प्राप्त करता है।

इतिहास के पन्नों में यदि स्त्रियों की स्थिति देखी जाए तो वैदिक काल स्त्रियों के लिए स्वर्णिम काल था। स्त्रियों को सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अनेक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में उनके अधिकार सीमित थे। उस काल में भी गार्गी एवं मैत्रीय जैसी विदुषी महिलाऍं ऋषि–मुनियों के साथ बौद्धिक चर्चाऍं करती थी। महिलाओं की स्थिति को समाज में सुदृढ़ बनाने हेतु कई समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, महर्षि कर्वे, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गॉधी आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार करने हेतु कई महिला संगठनों का भी उदय हुआ जिनमें भारत महिला परिषद (1904), भारत स्त्री महामण्डल(1910), आल इण्डिया वूमेन्स कान्फ्रेन्स(1927) आदि प्रमुख है। इन सब संगठनों ने स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों का उन्मूलन, हिन्दू अधिनियमों में सुधार, स्त्रियों की प्रगति, अधिकारों एवं अवसरों की समानता और स्त्रियों के मताधिकार जैसे मामलों को उठाया।

इन सब प्रयासों का यह लाभ हुआ कि देश के स्वतंत्र होने पर संविधान निर्माताओं ने पुरूषों के समान ही महिलाओं को भी स्थान प्रदानकिया। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा की नारी स्थिति को सुधारने की दृष्टि से कई नियम उपनियम बनाए गए। उनके कल्याण के लिए कई विभाग खोले गए। संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी यह अधिकार दिए गए है कि वे समय–समय पर ऐसे विधान लागू करे जो स्त्रियों के हितों की रक्षा करते हैं। इतने अधिकारों एवं अधिनियमों के बावजूद भी इस दिशा में अभी भी बहुत प्रयास अपेक्षित है। यदि हम महिलाओं की वर्तमान वस्तुस्थिति पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि वास्तविकता में आज भी मात्र कुछ महिलाऍं ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है एवं इनसे लाभान्वित हो रही हैं लेकिन अधिकांश महिलाऍं उनके कल्याण के लिए बनाए गए अधिनियमों से ना परिचित हैं और ना ही उनके प्रति जागरूक है।

शोध के उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया–

1. प्राथमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं की महिला संरक्षण कानून के प्रति जागरूकता का पता लगाना।
2. प्राथमिक स्तर तक शिक्षित ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की महिला संरक्षण कानून के प्रति जागरूकता की तुलना करना।
3. जागरूकता संवर्द्धन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना :– प्राथमिक स्तर तक शिक्षित ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की महिला संरक्षण कानून के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि :– प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की प्राथमिक स्तर तक शिक्षित महिलाओं की महिला संरक्षण कानून के प्रति जागरूकता का पता लगाना है, अतः तुलनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया।

उपकरण :– प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्राथमिक स्तर तक शिक्षित ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की महिला संरक्षण कानून के प्रति जागरूकता का पता लगाने हेतु एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया।

न्यादर्श :– प्रस्तुत शोध कार्य हेतु उदयपुर शहर एवं उसके आस–पास के ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 50 महिलाओं का सौद्देश्य विधि से चयन किया गया। 50 महिलाओं में से 25 महिलाएँ शहरी क्षेत्र की एवं 25 महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की सम्मिलित है। न्यादर्श के रूप में केवल उन्हीं महिलाओं का चयन किया गया जो प्राथमिक स्तर से अधिक पढ़ी–लिखी नहीं है।

सांख्यिकी प्रविधियॉ :– संकलित दत्तों की व्याख्या हेतु प्रतिशत, मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण का उपयोग किया गया।

मुख्य निष्कर्ष :– महिला संरक्षण हेतु निर्मित कानून सम्बन्धी जागरूकता का पता लगाने हेतु संकलित किए गए दत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या से निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. 50 में से 30 महिलाएँ यह जानती है कि महिलाओं के संरक्षण हेतु कई प्रकार के कानून है लेकिन वे कानून कौन से है और उनका उपयोग कैसे किया जाए इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।
2. सामाजिक एवं शैक्षिक अधिकारों के सम्बन्ध में महिलाएँ अधिक जागरूक पायी गयी लेकिन राजनैतिक एवं आर्थिक अधिकारों के सम्बन्ध में महिलाएँ जागरूक नहीं पायी गयी।
3. विभिन्न प्रकार के सामाजिक अधिकारों के सम्बन्ध में महिलाओं की जागरूकता इस प्रकार रही–

- 50 में से 35 महिलाएँ यह जानती है कि 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़की का विवाह दण्डनीय अपराध है।
- विधवा पुनर्विववाह सम्बन्धी अधिकार के बारे में 50 में से मात्र 1 महिला जानती है।
- 50 में से मात्र 4 महिलाएँ यह जानती है कि महिलाएँ अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं।
- 50 में से 8 महिलाएँ इस कानून से भी परिचित है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या लेने में मदद करता है तो वह दण्डनीय अपराध है।
- दाम्पत्य जीवन प्रत्यास्थापन्न एवं न्यायिक पृथकता में महिलाओं को भी पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है इस कानून से 50 में से एक भी महिला परिचित नहीं है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी विधवा के सती होने के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है तो वह दण्ड का भागीदार होता है, इस अधिनियम से केवल 2 महिलाएँ ही परिचित हैं।
- 50 में से 30 महिलाएँ यह मानती है कि किसी औरत को डायन बताकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना दण्डनीय अपराध है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि फिर भी ऐसी घटनाएँ कई बार देखने को मिलती है।
- पिता की तरह मॉ को भी एक नाबालिग बच्वें का स्वाभाविक अभिभावक होने का अधिकार प्राप्त है इस अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी महिला को जानकारी नहीं है।
- विधवा पुत्री माता–पिता से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार रखती है, यह जानकारी 50 मेंसे 1 महिला को है।
- महिलाएँ इस अधिकार से भी अनभिज्ञ है कि 5 वर्ष से कम आयु के बालक की संरक्षता का अधिकार पिता की तुलना में माता को प्राप्त है।

4. विभिन्न राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में महिलाओं की जागरूकता इस प्रकार पायी गयी–

- महिलाएँ यह जानती है कि उन्हें पुरूषों के समान वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकर प्राप्त है। वे यह भी जानती है कि उन्हे पुरूषों के समान चुनाव में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है लेकिन वे इस हकीकत से भी रूबरू है कि चुनाव में महिला के जीतने पर भी सारा काम उस महिला के पति के कहे अनुसार होता है।
- नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान से सभी महिलाएँ अनभिज्ञ है।

5. विभिन्न आर्थिक अधिकारों के सम्बन्ध में महिलाओं की जागरूकता इस प्रकार रही–

- विरासत, वसीयत, विभाजन, भरण–पोषण, दहेज तथा महिला के परिश्रम तथा कुशलता से अर्जित सम्पत्ति पर उसकेपति का अधिकार भी नहीं होता है तथा वह स्त्री धन कहलाता है इस अधिनियम से 50 में से मात्र 1 महिला परिचित है।
- स्त्री और पुरूषों के पारिश्रमिक में कोई अन्तर नहीं होता है यह जानकारी 50 में से 10 महिलाओं को है उन्हें भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु चलायी जा रही योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है।

- सभी महिलाएँ इस बात से अनभिज्ञ पायी गयी कि रात्रि के समय जहॉ पूर्व में महिलाओं की डॅयूटी पर प्रतिबंध था उसे अब हटा दिया गया है।

6. विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अधिकारों के सम्बन्ध में महिलाओं की जागरूकता निम्नानुसार पायी गयी–

- 50 में से 40 महिलाएँ यह जानती है कि 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
- स्त्रियों के कल्याण के लिए चलाये जा रहे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी किसी भी महिला को नहीं है।
- बालिकाओं के लिए आरक्षित सीटों के सम्बन्ध में भी 50 में से मात्र 2 महिलाओं को जानकारी है।
- महिलाएँ, महिला अध्ययन केन्द्र तथा प्रकोष्ठ स्थापित करने के उद्देश्यों से अनभिज्ञ थी तथा महाविद्यालयों को इनकी स्थापना के लिए आर्थिक सहायता मिलती है इसकी जानकारी भी नहीं पायी गयी।
- शिक्षा के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए निर्मित प्रावधानों से भी सभी महिलाएँ अपरिचित पायी गयी।
- शिक्षित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की महिला संरक्षण अधिनियम के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र की महिलाएँ, इन अधिनियमों के प्रति समान रूप से जागरूक है।

जागरूकता संवर्द्धन हेतु सुझाव :– शोध से प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारे महिलाओं को समानता का दर्जा दिलवाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है एवं इस सम्बन्ध में कई कानून एवं अधिनियम बनाए गए है, लेकिन यदि इन कानूनों एवं अधिनियमों से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को ही इनके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी नहीं होगी तो ना तो वे स्वयं इनसे लाभ उठा सकती हैं और ना ही अन्य महिलाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अतः इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इन कानूनों की जानकारी अधिकाधिक महिलाओं को हो, इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है–

- शिक्षा, जागरूकता संवर्द्धन में बहुत महत्वपूर्ण है, अतः सर्वप्रथम सभी महिलाओं को शिक्षित करने हेतु ठोस प्रयास किए जाए।
- कानून प्रकिया सरल एवं सर्वसुलभ बनायी जाए।
- महिला उत्थान केन्द्रों एवं अन्य स्वयं सेवी संगठनों की स्थापना की जाए।
- महिलाओं परहोने वाले अत्याचारों तथा उत्पीड़न के विरोध में त्वरित कार्यवाही की जाए।
- महिला जागृति कार्यक्रमों की सहायता से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए।
- महिलाओं के छोटे–छोटे समूह बनाकर, उन्हें उनके लिए बनाए गए कानूनों से अवगत कराया जाए।
- महिला संरक्षण कानून एवं उनके उपयोग की प्रकिया बनाने हेतु सेमिनार/कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाए।
- महिला संरक्षण कानून से सम्बन्धित विभिन्न फिल्मों का निर्माण कर महिलाओं को दिखायी जाए।
- महिलाओं की कानून सम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करने हेतु प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
- महिलाओं को व्यावसायिक एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने में सहयोग प्रदान किया जाए।
- सामाजिक बन्धनों एवं रीति–रिवाजों में संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर महिलाओं के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाए।
- जन–संचार माध्यमों की सहायता से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से अवगत कराया जाए।
- महिलाओं में स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं को प्रारम्भ से ही उचित वातावरण प्रदान कर उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब महिलाएँ नयी बुलन्दियॉं, नया मुकाम हासिल करने में सफल होंगी क्योंकि कहा जाता है कि ''एक पत्थर की भी तस्वीर संवर जाती है शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए'' तो फिर महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक क्यों नहीं बनाया जा सकता। महिलाओं की प्रतिभा एवं योग्यताओं को किसी भी दृष्टि से कम नहीं ऑका जा सकता है बस आवश्यकता है उन्हें साथ लेकर चलने की, अवसरों की समानता उपलब्ध करवाने की।

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

1. समाज कल्याण, 2008, मार्च
2. समाज कल्याण, 2003, फरवरी
3. शर्मा, कृष्ण कुमार (2012), महिला कानून एवं मानवाधिकार, हिन्दी बुक सेण्टर
4. वशिष्ट, सरिता (2010), महिला और कानून, कल्पना प्रकाशन
5. Best, J.W. (1983), Research in education, Prentice hall of India, New Delhi.
6. Borg W.R. and Gall M. (1973) Educational Research : an introduction, Longmans, New York.

Webiliography

1. www.wikigender.org>index.php>India

2. HG.Org>women

रामदरश मिश्र और आंचलिक उपन्यास परम्परा

आलोक कुमार
शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

हिन्दी उपन्यास साहित्य की परम्परा में आंचलिक उपन्यासों की पृथक धारा स्वातंत्र्योत्तर युग की देन है। यह तो विदित ही है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में उपन्यास का कलेवर अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है, जिसमें जीवन के सर्वांगीण पहलुओं को उद्घाटित, व्याख्यायित करने की स्वाभाविक क्षमता है। हिन्दी उपन्यास साहित्य में विकासक्रम का आरम्भिक चरण तिलिस्म, ऐयारी और कल्पनालोक से गुजरता हुआ आजादी और उसके बाद के कुछ वर्षों में यथार्थवाद तक पहुँचा, जिसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रेमचंद्र, प्रसाद, नागार्जुन आदि के उपन्यासों में देखने को मिलती है।

प्रेमचन्द और उनके अतिरिक्त स्वतंत्रतापूर्व के प्रेमचन्दोत्तर लेखकों में नागार्जुन, रांगेयराघव, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', देवेन्द्र सत्यार्थी, भैरवप्रसाद गुप्त आदि के उपन्यासों में लोक/ग्राम्य जीवन के परिवेश/संस्कृति/भाषा–बोली के साथ कतिपय समस्याओं/जीवन मूल्यों/पीड़ा आदि की अभिव्यक्ति तो मिली किन्तु उसका रूप व्यावहारिक न होकर आदर्शोन्मुखी ही रहा। ग्राम्य जीवन और पृष्ठभूमि पर आधारित सर्वाधिक लेखन प्रेमचन्दजी ने ही किया है। किन्तु यदि आंचलिक उपन्यासों के निर्णायक तत्वों के आधार पर मूल्यांकन करें तो प्रेमचंद तथा उपरोक्त वर्णित लेखकों की कृतियों में आंचलिकता के एकाधिक तत्व आये है तथापि वे 'आंचलिक उपन्यास' नहीं कहे जा सकते, उनमें आंचलिकता परिवेश या पृष्ठभूमि के रूप में ही दिखाई देती है। मूल रूप में उनकी प्रयोजनीयता यथार्थवादी या सामाजिक ही है। सही मायनों में लोक जीवन के बहुआयामी, बहुरंगी और क्लिष्ट स्वरूप को व्यापक एवं प्रभावी अभिव्यक्ति मिली, सन् 1954 ई0 में फणीश्वरनाथ 'रेणु' कृत ''मैला आँचल' के प्रकाशन के साथ। वास्तव में हिन्दी उपन्यास साहित्य में रेणु का आगमन, एक नवीन युग की शुरुआत मानी जा सकती है। उनके साथ ही ''आंचलिक उपन्यासों'' की एक विशिष्ट धारा हिन्दी कथा–साहित्य में आयी, जो स्वरूप, संरचना और सरोकार में पारम्परिक लेखन से भिन्न थी। आंचलिक उपन्यासों ने अलग–अलग अंचल विशेष के उपेक्षित, त्रासद एवं संघर्षपूर्ण जीवन को गहन अनुभूति, संवेदनशीलता, सूक्ष्मदृष्टि तथा स्वानुभावों के साथ, यथार्थ परिवेश में जानने–समझने का यत्न किया है। 'रेणु' से जिस प्रभावी परम्परा का सूत्रपात हुआ था उसे समकालीन या परवर्ती उपन्यासकारों राजेन्द्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, शिवप्रसाद सिंह, विवेकीराय, राही मासूम रजा आदि ने और संवर्धित तथा समृद्ध किया। इसी परम्परा में एक और नाम उभरकर आता है और वे है ''रामदरश मिश्र''।

डॉ0 रामदरश मिश्र हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की कतार में अपनी पैठ रही है। रामदरश मिश्र जितने समर्थ कवि रहे हैं उतने ही समर्थ उपन्यासकार और कहानीकार भी। गोरखपुर जिले के कछार अंचल के गाँव डुमरी में जन्में डॉ0 रामदरश मिश्र हिन्दी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार रहे हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में तो लिखा ही, साथ ही आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण में भी उतना ही योगदान रहा है। मिश्र जी अपनी लंबी रचना–यात्रा में किसी वाद, किसी आन्दोलन के झण्डे के नीचे नही आये किन्तु अपने समय और समाज की वास्तविकताओं तथा चेतना से लगातार जुड़े रहे। समय–यात्रा में बदलता हुआ यथार्थ उनके अनुभव और दृष्टि में समाकर उनकी रचनाओं में उतरता रहा। परिवर्तनशील समय का सत्य उनकी सर्जना को सतत् कथ्य की नयी आभा और शिल्प की सहज नवीनता प्रदान करता रहा है। किन्तु उनकी बुनियाद उनका गाँव रहा है। गाँव को भी वे लगातार उसके परिवर्तनशील रूप में पकड़ने की कोशिश करते रहे हैं। समग्रतः उनके सारे सर्जनात्मक लेखन में अपने कछार अंचल की धरती की पकड़ है। मूल्य दृष्टि की जड़े उनके गाँव में ही है जिसे उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में भरपूर जिया था।

अनेक शोध और मिश्र जी के कृतित्व पर विचार कर पाया गया कि इनके उपन्यासों में आने वाले गाँव सामान्य न होकर विशिष्ट भू–भाग है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भू–भाग से संबंधित है। ये प्रदेश भौगोलिक स्थिति के कारण गोर्रा और राप्ती जैसी विनाशकारी नदियों से घिरे हुए हैं। जिससे प्रत्येक वर्ष इन नदियों में आने वाली बाढ़ पूरा खेत–का–खेत बहाकर ले जाती है। आँचलिक उपन्यासों को लिखने की अपनी विवशता बताते हुए स्वयं लेखक कहते है–''मेरे भीतर जो अपना बड़ा परिवेश

समाया हुआ था, वह केवल कविता के माध्यम से रूप पाने में असमर्थ हो रहा था। मैनें शुरू में कुछ सामाजिक अभावमूलक कविताएँ लिखी जो परिवेशगत यथार्थ के दबाव की सूचक है लेकिन लगता है कि यह परिवेशगत दबाव मुझे कहानी और फिर उपन्यास की ओर धकेल ले गयी।''[1]

हिन्दी उपन्यासकारों ने देश के विविध अंचलों की समग्र चेतना को अभिव्यक्त करने में विविध अंचलों की दृष्टि ही अपनाई, जो कि उसकी प्रकृति, प्रत्यंकन एवं यथार्थ के लिए अत्यन्त आवश्यक है। डॉ0 रामदरश मिश्र उन्हीं उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। पानी के प्राचीर (1961), जल टुटता हुआ (1969), बीच का समय (1970), सूखता हुआ तालाब (1972), अपने लोग (1976), आकाश की छत (1979), बिना दरवाजे का मकान (1984), दूसरा घर (1986), थकी हुई सुबह (1994), बीस बरस (1996), उपन्यास अपने–अपने समय की कहानी कहते चलते हैं। 'पानी के प्राचीर' का पांडेपुरवा गाँव। जिसमें आजादी के लिए संघर्ष करती हुई पीढ़ी की धड़कन का मूर्त रूप चित्रित होता है। 'अपने लोग' में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे अध्यापक, लेखक, बुद्धिजीवी और प्रगतिशील विचारक की रचना की है जो अपने पूर्वी संस्कारों से जकड़ा हुआ होकर भी बहुत दिनो तक दिल्ली में रहने के कारण पूरब के लोगों की हर बात से चिढ़ता है। 'आकाश की छत' में महानगर की विद्रूपताओं के सहारे गाँव की व्यथा–कथा का चित्रण है। 'दूसरा घर' में लेखक के भीतर का आँचलिक कथाकार अहमदाबाद के अन्दर बसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अंचल की पहचान को विभिन्न स्तरों पर उभारता है। मिश्र जी स्वयं इस बात को भी स्वीकारते हैं जो उन्होंने जिया एवं भोगा है वही सब उपन्यासों में है। उन्हीं के शब्दों में–''जो गाँव मैंने जिया है, वह ऐसा गाँव है, जो सौन्दर्य और अभाव से ठसा हुआ है–बाढ़ की विभीषिका से हर क्षण कांपता हुआ गाँव... लेकिन बाढ़ का पानी उतरते ही मिट्टी की महक इस कदर खींचने लुभाने लगती है कि मस्ती में भरकर लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं ...। गाने–बजाने में लोग इतने मस्त रहते थे कि खेतों तक की ज्यादा चिन्ता नहीं रहती थी।''[2]

सर्जनात्मक स्तर पर, आनुभविक और भाषिक स्तर पर 'रेणु' की आँचलिक परम्परा का वास्तविक प्रतिनिधि डॉ0 रामदरश मिश्र को माना जा सकता है। उन्होंने अपने अंचल के कठोर और संघर्षपूर्ण जीवन को समग्रता से जीया और अनुभव किया। वहाँ के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में वे इस कदर रचे बसे हैं कि जब वे अपने अंचल का सूक्ष्मता से चित्रण करते है तो पाठकों के समक्ष उसके जीवन्त चित्र मूर्तमान हो उठते हैं। किसी कृति को आंचलिक परम्परा, में शामिल करने के लिए जिन विधायी तत्वों का निर्वहन आवश्यक होता है वे तमाम विशिष्टताएँ मिश्र जी के उपन्यासों में दृष्टिगत होती हैं और इस तरह श्री रामदरश मिश्र एक सफल आँचलिक कथाकार के रूप में स्थापित हो जाते हैं। मिश्र जी मानते हैं कि ग्राम्य जीवन के यथार्थ और जीवंत चित्रण के लिए सिर्फ लेखकीय कौशल और कल्पनाशीलता ही काफी नहीं है वरन् स्वानुभूत जीवनादर्शों, मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की गहन तपिश भी नितान्त आवश्यक है।

वस्तुतः 'अँचल' कोई पृथक इकाई न होकर हमारे अभिन्न और विस्तृत सांस्कृतिक परिवेश का ही हिस्सा है, जो कि अपेक्षित अवधान न पाकर, मुख्य धारा से अलग–थलग रह जाता है। आँचलिक उपन्यासों की उपन्यासकारों की यह महती और अभूतपूर्व देन है कि उनके प्रयासों से उपेक्षित लोक–जीवन। संस्कृति और मूल्य अपने वास्तविक एवं प्रामाणिक रूपों में सबके सम्मुख आ सके। सीमित अर्थों में भले ही मिश्र जी की कृतियों को आंचलिक परम्परा की रचना माना जाये किन्तु व्यापक अर्थों में इसमें निहित ध्येय कछार–अँचल की सीमा तक ही बंधे नहीं रह पाते। देश–दुनिया में जहाँ कही भी, अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और जिजीविषा के बलबूते व्यक्ति का विषम प्राकृतिक और मानवीय परिस्थितियों से संघर्ष जारी है। मिश्र जी की लेखकीय संवेदनायें प्रकट–अप्रकट रूपों में उन हृदयों को छूकर बल देती रहेगी। उनकी रचनाओं को पढ़ते समय पाठक निश्चित ही इस बोध से आपूरित रहेंगे कि ये रचनायें सिर्फ अँचल के जीवन की वास्तविकताओं को ही प्रकट नहीं करती वरन् उनके भीतर आदमियत की संभावनाओं को भी जगाती है।

संदर्भ :–

1. डॉ0 नित्यानन्द तिवारी, डॉ0 ज्ञानचन्द गुप्त (रचनात्मक स्रोतों की खोज में बातचीत) रचनाकार रामदरश मिश्र, पृ0 57.

2. सम्पादक–डॉ0 नित्यानन्द तिवारी एवं डॉ0 ज्ञानचन्द गुप्त रचनाकार रामदरश मिश्र, पृ0 25.

आधार ग्रंथ :–

1. पानी के प्राचीर–रामदरश मिश्र
2. सूखता हुआ तालाब–रामदरश मिश्र
3. अपने लोग–रामदरश मिश्र
4. आकाश की छत–रामदरश मिश्र
5. दूसरा घर–रामदरश मिश्र।

नासिरा शर्मा के औपन्यासिक साहित्य में चिन्तन के दर्पण

डॉ.(श्रीमती) भावना यादव
शिवपुरी, टेमर भीटा, जबलपुर मध्यप्रदेश

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी की महिला रचनाकारों में नासिरा शर्मा जी का विशिष्ट स्थान है। नासिरा जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी जीवन की विसंगतियों तथा संघर्षो से जुझते हुए विषय परिस्थितियों से बाहर समाज में अपना वर्चस्व कायम करती हुयी नारी की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। नासिरा जी जानती है कि अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर आज भी स्त्री सर्वत्र दो आयाम की जिन्दगी जी रही है, भारतीय समाज की भाँति स्त्री सबल तो हो रही है, किन्तु उसकी निर्बलता का अनुपात अभी ज्यादा है। वह ऐसी विलक्षण रचनाकार है जिन्होंने देश–विदेश के घटनाक्रमों पर केन्द्रित साहित्य चिन्तन एवं सृजन किया जिसमें नारी सम्बन्धी नयी सोच नयी धड़कन–तड़पन निर्भिकता तथा जीवन का व्यापक चिन्तन है। अपनी इसी 'व्यक्ति विशेष' की प्रतिभा के कारण नासिरा जी उच्च कोटि की सम्मानित लेखक के रूप में उभरी है।

नासिरा शर्मा जहाँ एक ओर नारी पीड़ा की गायिका बनी है वहीं दूसरी और सामाजिक गत्यात्मकता के लिए साम्प्रेदायिक सद्भाव की प्रबल पोषिका भी। उनकी संवेदनाएं क्षेत्र, प्रांत और एक राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए विश्वव्यापी हो जाती हैं। यही कारण है कि वह ईरान की क्रांति में भी, वहाँ की नारियों के संघर्ष में भी अपने आपको खड़ा पाती हैं।

उनके उपन्यास उनके चिन्तन के दर्पण हैं, इन रचनाओं की भूमिकाएं भी लेखिका की सोच को प्रतिबिम्बित करती हैं। हम 'जिन्दा मुहावरें उपन्यास की बात करें तो स्पष्ट होता है कि भारत विभाजन की त्रासदी किस तरह लेखिका के मन को मथती है। पीड़ित करती है यह उसका जीवन्त दर्पण है। लेखिका का जन्म जिस अवधि में हुआ वह काल साम्प्रदायिक विद्वेश का काल थी। एक भाई दूसरे के प्राण का प्यासा था। कोई पाकिस्तान का नामो–निशान मिटा देना चाहता था तो कोई दुनिया के नक्शे में भारत की सहने के लिए न था। बड़ी बात यह है इस विभाजन के लिए उन निरीहों को उत्तरदायी माना जाता रहा था, जिन्हें इसका पता भी न था। बेगुनाह और बेकसूर लागों को किस बात की सजा मिल रही थी। यह उन्हें भी ज्ञात न था। इस घटना से सब दुखी, हतप्रभ और क्षुब्ध थे, नासिरा ने अपने बाल्यकाल में यह कथाऐं सुनी जो जनमानस के मन में सुरक्षित थीं, किंवदतियाँ बन चुकी थी। तत्कालीन घटनाक्रम को लेखिका ने साहित्य के सहार जाना समझा अपने बड़े–बुजुर्गो के श्रीमुख से सुना और अफवाहों द्वारा हवा में फैली नफरत के रूप में जाना।

साम्प्रदायिक विद्वेश और विभाजन की त्रासदी पर अनेक रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई। उपेन्द्रनाथ अश्क जैसे दिग्गज उपन्यासकार 'गिरती दीवारे' नामक उपन्यास लिख चुके थे, "हिन्दी ही नहीं उर्दू आदि अनेक भाशाओं के लेखक इस घटनाक्रम को अपना विषय बना चुके थे।"[1] नासिरा के लिए यह 'जिन्दा मुहावरे' बन गए थे, जो लेखिका से संवाद करते थे। इस संवाद को लेखिका ने अपने उपन्यास को विषय बनाया। राजनीति की रोटियाँ संेकने वालों के लिए यह विभाजन भले ही लाभकर रहा हो किन्तु आमजनों के लिए इसके अपने मायने थे।

साम्प्रदायिकता के नाम पर हिन्दुओं को काफिर कहकर लड़ मरने वाले मुस्लिम परिवारों की अपनी समस्याएँ है जिन पर समाज के उत्तरदायी ध्यान नहीं देते, यह पीड़ा लेखिका को बैचेन करती है वह जानती है कि मुस्लिम समाज अनंत समस्याओं से भरा है। जिसका दर्द, वहाँ की नारियों, को भोगना पड़ता है। "मुस्लिम समाज जहाँ एक ओर अशिक्षा की बेड़ियों में जकड़ा है, वहीं दूसरी ओर रूढ़िवादिता उसकी प्रमुख समस्या हैं। नारियाँ इस पिछड़ेपन की सर्वाधिक शिकार है।"[2] 'ठीकरे की मंगनी' एक ऐसे ही मुस्लिम परिवार व्यथा कथा है जिसकी रूढ़िवादिता और अन्धविश्वास से उस परिवार की लड़की का जीवन नर्क वन जाता है। जानें कितने अरमानों और मन्नती के बाद वह लड़की जन्मती है किन्तु अन्धविश्वास उसकी सारी मन्नतों पर भारी पड़ जाता है। फलतः उस नवजात कन्या की मंगनी कर दी जाती है कि ऐसा करने से उसका भावी जीवन मंगलमय होगा। यह अन्धविश्वास उसके सम्पूर्ण जीवन को नर्क की ज्वाला में ढकेल देता है।

नासिरा जी का लेखन सामाजिक सच्चाईयों का दर्पण है। वे भली–भाँति जानती हैं कि नारी प्रगति की राह से अनेक रोडे हैं। उस और जहाँ आर्थिक निर्भरता उसके जीवन की अनिवार्यता है वहाँ दूसरी ओर परिवार में समरसता उसके लिए बड़ी चुनौती है। शाल्मली उपन्यास की नायिका शाल्मली अपने पैरों पर खड़ी हो पाने में सफल हो जाती है। वह नौकरी करने लगती है। आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो पाती हे किन्तु यही सफलता उसके लिए मुसीबत बन जाती है, ''उसके पति 'काम्पलेक्स फीलिंग' का शिकार हो जाते हैं। अपनी सकीर्ण सोच के कारण पाते ईर्ष्याग्रस्त होता है''[3], जिसका खामियाजा पत्नि को भोगना पड़ता है। शाल्मली समाज में सम्मान पाने में सफल होती है किन्तु पारिवारिक सुख से वंचित रह जाती है, एक नारी की सहज इच्छा होती है कि वह अपने परिवार में सुखी–सन्तुष्ट रहे। नायिका को यह सन्तुष्टी नहीं मिल पाती। यही सामाजिक सत्य है जहां पुरूष प्रधान समाज में नारी की आर्थिकता पर निर्भरता तो समस्या का कारण है ही किन्तु आर्थिक आत्मनिर्भरता भी समस्या का कारक हा जाती है। लेखिका की दृष्टि व्यापक है, ''वह देश की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए ईरान की जन क्रांति तक पहुँच जाती है, वहाँ के युवाओं का आक्रोश, जनता का विद्रोह, सियासतदानों की हरकतें, सत्ता का दुरूपयोग आम जनता की पीड़ा , परेशानी, सरकारी अत्याचार और कारावासों का लोमहर्षक घटनाओं का चित्र लेखिका, सात नदियाँ एक समन्दर' नामक रचना में करती है।''[4] शाही शासन के रास्ता परिवर्तन और, इस्लामी शासन की स्थापना की पड़ताल भी लेखिका करती है। इस्लामी शासन के शुभाशुभ परिणामों–प्रभावों को भी वह लक्ष्य करती है। लेखिका जानती है बुर्कों में कैद रहने वाली नारियों के मन में पद के पीछे आक्रोश पलता है, यही वह आक्रोश है कि जिसने ईरानी क्रांति को सुदृढ़ आधार दिया। स्वयं वहाँ क जन नेता आयातुल्ला खुमैनी स्वीकार कर चुके हैं कि ''यदि औरते बँधी मुट्ठी लेकर वाहनन निकलती तो यह क्रांति वजूद में न आ पाती, औरतों ने न केवल स्वयं जिम्मेदारी ली सच तो यह है कि अपने मर्दो, बच्चों और परिवार के अन्य आदमियों के सीने में दिलो–दिमाग में बगावत की आग भरी, उन्हें प्रेरित किया कि क्रांति की मशाल उठायें हैं।''[5]

यह बानगी है उनकी उस सोच की जो उनकी औपन्यासिक रचनाओं में प्रतिबिम्बित हुई है, कथा साहित्य का केन्द्र बनी है और इतर लेखन का विषय रही है। नासिरा जी के उपन्यास दर्पण है उनके चिन्तन के जो उनके सृजन की पहचान है शक्ति है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. गिरती दीवारें, उपन्यास, पृ.क्रं. 09
2. जिन्द मुहावरें, उपन्यास, पृ.क्रं. 14
3. ठीकरे की मँगनी, उपन्यास, पृ.क्रं. 49
4. शाल्मली, उपन्यास, पृ.क्रं. 38
5. सात नदियाँ एक समन्दर, उपन्यास, पृ.क्रं. 12

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 4, No. – 1 Feb. 2018

विपणन अवधारणा का अर्थ एवं परिभाषायें

दुर्गा मिश्रा
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

विपणन अवधारणा का अर्थ :– यदि देखा जाये तो विपणन की उत्पत्ति व्यवसाय के क्षेत्र में ग्राहक की भूमिका ज्ञात करने के लिये हुई है। व्यवसाय के क्षेत्र में ग्राहक के निरन्तर बढ़ते हुये महत्व ने व्यवसाय में एक नवीन चिंतन को जन्म दिया है जिसे विपणन अवधारणा की संज्ञा दी जाती है विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, जो ग्राहकों की संतुष्टि के द्वारा उचित लाभ अर्जित करने पर बल देता है। यह लाभ अर्जित करने पर बल देता है। यह ग्राहक की प्रभुसत्ता को सहर्ष स्वीकार करती है। आधुनिक व्यवसाय का मूलभूत लक्ष्य ग्राहक का सृजन करना एवं उसे संतुष्टि प्रदान करना तथा व्यवसायी को उचित लाभ दिलाना है। यह कार्य व्यवसाय विपणन अवधारणा के माध्यम से संपन्न करता है। जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवष्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तथा उन्हें संतुष्टि प्रदान करके उचित लाभ कमाया जाता है।

1- P. Fellon – The modern marketing concept is a corporate state of mind that insists on the integration and Co-ordination of all marketing functions which is turn are welded with all the other carporate functions for the basic objective of producing maximum long range corporate profile.

विक्रय की क्रिया सरल एवं सुविधाजनक होनी चाहिये ताकि किसी भी ग्राहक को और उपभोक्ता को वस्तुओं को क्रय करने में एवं व्यापारी अर्थात कम्पनियों को वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय विक्रय करने में किसी प्रकार की समस्या न हो विक्रय पद्धति कई चरणों से गुजर कर पूर्ण होती है इसके प्रमुख चरण है।

थोक व्यापारी – फुटकर वयापारी – उपभोक्ता – एवं अन्य

इस प्रकार एक विक्रय पद्धति इन चरणों से होकर ही पूर्ण मानी जाती है। पहले उत्पादक वस्तुओं को उत्पन्न करता है। बनाता है। फिर उसे थोक व्यापारी लेता है। फिर फुटकर व्यापारी इन वस्तुओं को क्रय करता है। और अंत में उपभोक्ता वस्तुओं को क्रय करता है। इस प्रकार विक्रय पद्धति कई चरणों से होकर गुजरती है। विक्रय करने के लिए सबसे पहले वस्तु का होना जरूरी है। जिसको वस्तु का विक्रय होना है। इसी तरह वस्तु का विक्रय होने के लिए उपयुक्त बाजार होना आव" यक है। हर प्रकार की वस्तु का विक्रय एक ही बाजार से नहीं किया जा सकता इसलिए वस्तु के हिसाब से बाजार का निर्माण करना जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बाजार दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का व्यापार आदि। इस प्रकार विक्रय एवं वितरण के कई माध्यम है।

1. ''विलियम जे., स्टेण्टन के अनुसार'' – माध्यम एवं अभिकर्ता कुछ नहीं केवल सामाजिक पराश्रयी है। और जितनी जल्दी उनका उन्मूलन किया जाये, उतना ही समाज के लिए अच्छा है।''

वितरण वाहिकाओं से परिचय – किसी भी वस्तु के उत्पादन का उद्देश्य इसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुॅचाने का होता है। आधुनिक वृहस्तरीय उत्पादन और विशिष्टीकरण के युग में भी सभी परिस्थितियों में निर्माता द्वारा स्वयं यह कार्य संपन्न किया जा सकता है। अब बाजार क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है अतः निर्माता द्वारा स्वयं वितरण कार्य करने की अवस्था में इसे अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विशिष्टीकरण के युग में उत्पादन और वितरण दोनों क्रियाओं को एक व्यक्ति या संगठन द्वारा संपन्न किया जाना न्यायोचित भी नहीं है। अतः वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुॅचाने के लिए निर्माता द्वारा अनेक मध्यस्थों की सहायता ली जाती है। दूसरें शब्दों में निर्माताओं और अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य विभिन्न वितरण के माध्यम या वितरण वाहिकाओं की आवश्यकता होती है। जिससे वस्तु के वितरण कार्य को प्रभावशाली ढंग से सम्पादित किया जा सके।

वितरण वाहिकाओं से आशय :– वितरण वाहिकाओं से आशय किसी भी ऐसे वितरण माध्यम से है। जिसके द्वारा उत्पादक निर्माता से निकलकर उपभोक्ता तक पहुॅचता है। वितरण माध्यम को व्यापारिक माध्यम भी कहते है।

1. मेकार्थी के अनुसार–उत्पादक से उपभोक्ता उन संस्थाओं का कोई भी क्रय जिसमें मध्यस्थ या तो बिलकुल नहीं होते अथवा कितनी भी संख्या में हो सकते है। वितरण वाहिका कहलाता है।

वितरण वाहिकाओं से आशय एवं प्रकार :– एक वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ताओं तक अनेक तरीकों से पहुँचाया जा सकता है। अतः वितरण वाहिकाएँ भी अनेक प्रकार की हो सकती है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने वितरण वाहिकाओं के प्रकारों को स्पष्ट किया है, जिसे निम्नांकित तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. रूस्तम एस. डावर के अनुसार :– निर्माता या उत्पाद थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी उपभोक्ता फुटकर व्यापारी उपभोक्ता

इलेक्ट्रानिक उत्पाद गत 56 वर्षों से भारत में इन उत्पादों के उपभोग की सुविधा प्रदान कर रहा है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि सरकार ने 1965 से भारतीय इलेक्ट्रानिक उद्योग के विस्तार का कार्य अपनी देख–रेख में शुरू करवाया था जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के विकास में काफी तेजी आई थी एवं कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे रेडियों, ब्लेक एंड व्हाइट टी.वी. आदि उत्पाद है। जिनका विकास तो अति तीव्र गति से हुआ साथ ही कलर टी.वी. भी बाजार में जल्द ही उपलब्ध हो गया ये सारा कार्य सरकार की पूर्व देख–रेख में हो रहा था विगत 56 वर्षों की अवधि का विष्लेषण करें तो हम पांएगे की लगभग प्रत्येक वर्ष हमने इन उत्पादों के विकास का क्रम तीव्र गति से जारी रखा है। एक ओर तो इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया और साथ ही बाजार भी निःसंदेह ही कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के बाजार में आ जाने से बाजार का विस्तार भी हुआ साथ ही लोगों का जीवन स्तर भी बदला वर्तमान युग जो कि काफी तेजी से चल रहा है परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार ने अपने संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बाजार को समय–समय पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भारत जैसे राष्ट्र में संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर में किसी भी व्यापार को अपनी गतिविधियां संचालित करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इस राष्ट्र की यह विशेषता है कि भौगोलिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक विभिन्नताएं हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय इकाईयों की तुलना में राष्ट्रीय स्तर की इकाईयों के समक्ष विभिन्न समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः इलेक्ट्रानिक उत्पाद के बाजार का जबलपुर संभाग के संदर्भ में अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् जो समस्यायें परिलक्षित हुई है। उनका विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि आगे के अध्याय में विपणन समस्याओं को प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही इन समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव भी आगे है जो हमें इस विश्लेषण के दौरान आई हैं ।

1. **स्थान के चुनाव की समस्या एवं सुझाव** :– यह समस्या हर व्यापार में प्रमुख होती है। व्यापारी को व्यापार प्रारंभ करने से पहले यह तय कर लेना होता है कि वह व्यापार धनी आबादी वाले क्षेत्र में करेंगे या फिर ऐसी जगह करेंगे जो शहर से बाहर हो और वो यह तभी सही ढंग से तय कर पाता है जब उसे यह ज्ञात हो कि वह व्यापार किस वस्तु या उत्पाद का कर रहा है। अर्थात! जब व्यापार तय हो गया तो स्थान के चुनाव में आसानी होती है, परन्तु इसके पश्चात् उसे यह भी तय करना होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को ही ले कि इनके व्यापार का स्थान कहां पर चुनाव करना पसंद करेंगे जो शहर के मध्य में हो या ऐसी जगह हो जहां अन्य उत्पादों का बाजार हो। यह सुनिश्चित करने से पहले हम ग्राहक की सुविधा का भी ध्यान रखते हैं। कि ग्राहक को माल का क्रय करने में कौन सा स्थान सुविधाजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का उपभोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद को क्रय करने में सुविधा हो और वे आसानी से अपने मनचाहे उत्पादों को बजार से क्रय कर सकें।

परन्तु यह तभी संभव है जब बाजार के स्थान का चयन इनकी सुविधा के अनुरूप हो ताकि उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े और वे सरलता से अपनी पसंद के उत्पाद का क्रय पास में ही स्थित दुकानों से क्रय कर सके इससे उपभोक्ता बाजार में वृद्धि हो साथ ही उपभोक्ता वस्तु क्रय करने के पश्चात अपने घर तक ले जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे उत्पाद के टूटने का डर भी नहीं रहता अर्थात उत्पाद की क्षति नही होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के बाजार का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें तो हम एक सही स्थान पर इन उत्पादों का बाजार स्थित कर सकते हैं जो सभी की दृष्टि से सरल एवं सुविधाप्रद होगा।

2. **इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के भंडारण की समस्या एवं सुझाव** :— भंडारण के निर्माण की समस्या भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की प्रमुख समस्याओं में से एक है क्योंकि इलेक्टानिक उत्पादों का भंडारण हर जगह कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इन उत्पादों का रख–रखाव बड़ा कठिन होता है, जिन्हे रखते समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि ये उत्पाद कई कम्पनी के होते है जिन्हें एक ही छत के नीचे व्यवस्थित कर हमें जमाना होता है। ताकि उपभोक्ता इन्हें एक ही स्थान से प्राप्त कर सके। ये उत्पाद जगह भी अधिक लेते है के भंडारगृह अपनी सुविधा अनुसार बना सके।

BIBLIOGRAPHY :-

S.N.	Title of the book	Name of the Author
1.	Marketing Management	R.C. Agrwal
2.	Fundmentals of Management	William J Staton
3.	Marketing Management	Dr. P.C.Jain
4.	Marketing Salesmanship And Advertisement	Dr. P.C.Jain
5.	Sales promotion of Marketing Management	G.S.Shudha
6.	Theory and peactice of Marketing s Management	Dr.B.M.Parwal
7.	Marketing Management	Dr. S.C.Jain
8.	Modern Marketing Management	Dr.Rustams &Davar
9.	International Marketing Analysis & Strategy (Third edition)	Jhon J. show
10	Modern Marketing Research	S.K. Patil Dr. P.V Kulkarni

Inspiration in the Life of Mahatma Gandhi and Abdul Kalam

Smt. Rohita Singh Rajput

Sagar

Look at the sky, we are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give to the best to those who dream and work. (A.P.J.Abdul Kalam)

The process of being mentally stimulated to do or feel something especially to do something creative. Inspiration is a feeling that occurs from within. The trouble is that we often merely analyze life instead of dealing with it. People dissect their failures for causes and effects, but seldom deal with and gain experience to master them and thereby avoid their recurrence. If we take up difficulties and problems God gives us the opportunity to grow. So when your hopes, dreams and goals are dashed, search among the wreckage, you may find a golden opportunity hidden in the ruin. To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal.

"Strength lies in absence of fear, not in the quantity of fear, not in the quantity of flesh and muscle we have on our bodies" (35).

Gandhiji's source of inspiration- Mahatma Gandhi was inspired by people as well as books. He was inspired by experiences of many people in their life. For him Raychandbhai and Gopal Krishna Gokhale were like teachers on whom he had immense trust and faith. He was also influenced by books like; Tolstoy's book 'The Kingdom of God is within you', John Ruskin's 'Unto the last', Raychandbhai by his living style and the stories of Shravan Kumar and Harishchandra also influenced him. The Gita and the Bible were lifelong sources of inspiration for Gandhiji.

Gandhiji met Raychand bhai (or Shri Rajchandra) in Mumbai immediately after he returned from London to India. This meeting convinced Gandhiji that Raychand bhai was a man of great and learning. He was a real seeker of truth. He had a business of Pearls and Diamonds. He remained busy in his business but whenever he got time he engaged himself with religious activities like reading scriptures. He had a passion to see God face to face. Gandhiji very often found him absorbed in Godly pursuits in the midst of his weighty business transactions. He remained busy most of the time and Gandhiji enjoyed remaining close to him. He wrote a diary as to what he thought about God and religion. He also wrote books on religion, which were reproductions from his diary. Raychand bhai was like a spiritual guru to him, whenever he needed him; Raychand bhai always confided in Gandhiji his inner most thoughts. When Gandhiji faced spiritual crisis, in South Africa, Raychand bhai was his refuge.

For Gandhiji G.K.Gokhlae was like a teacher. He was a rare gem mong the contemporary moderate political leaders. Gandhiji stayed with Gokhlae for a month, and while he lived with him he felt as if he was at home. Gokhlae treated him as if he was his brother and made arrangements for all the things that he needed. Gandhiji had very few needs and needed very little personal attention. He was very impressed with the habits of Gandhiji, for instance his personal cleanliness, perseverance and regularity. Gokhale kept nothing private with Gandhiji. He introduced Gandhiji to all those people who came to meet him. Gokhlae dressed very simply and wore cloth that was made in Indian mills. Gandhiji enjoyed to see the way in which Gokhale worked. He never wasted even a minute. He worked for the welfare of the country. His talks were free from truthlessness and insincerity. The only thing that worried him the most was India's poverty and slavery under British rule. For Gandhiji, Gokhale was like the river Ganga, where one could have a refreshing bath in the holy river. In the sphere of politics the place that Gokhlae occupied in Gandhiji's heart was very unique. It is significant to remember that Gandhiji has devoted seven chapters exclusively to Gokhlae in his autobiography. When Gandhiji finally returned to India from South Africa in 1915, he obtained Gokhlae's guidance. When Gandhiji was in difficulty Gokhlae helped him to take the load off his mind.

Gandhiji read the Gita for the first time in England and it made a great impression on his mind. He regarded the Gita an excellent book on knowledge of Truth offered him invaluable help in his moments of gloom. The Gita became Gandhiji's lifelong companion, especially the last eighteen verses of the second chapter. Gandhiji said that he began reading the Gita and the verses in the second chapter made a deep impression on his mind. "If one ponders on object of the sense, there springs attraction; from attraction grows desire, desire flames to fierce passion, passion breeds Recklessness; then the memory-all betrayed-lets noble purpose go, and saps the mind, till purpose, mind and man are all undone"(79). Gandhiji derived the gospel of selfless action as duty from the Gita. His commentary on Gita reflects his life and mission. When Gandhiji was a child he did not read books except his school books. One day his eyes fell on a book purchased by his father, it was Shravan Pitrabhakti Natak (a play about Shravan's devotion to his parents). He read it with great interest. He even got hold of a picture of Shravan carrying his blind parents on a pilgrimage by means of slings fitted on his shoulders. The book and the picture left an indelible impression on his mind. This was an example for Gandhiji to imbibe in his life. He too decided to serve his parents like Shravan Kumar. The main character of the book Shravan Pitrabhakti inspired him to a great extent. He decided to be like Shravan for the rest of his life.

Abdul Kalam's sources of inspiration :- "Dream, dream, dream your dreams will transform into thoughts. Thoughts lead to honest work. Work result in actions and you will succeed."(13)

Abdul Kalam too was inspired by many people from different walks of life. In his childhood his mother had a great impact on his life. Kalam's mother Ashiamma, came from a family to whom sometime in the past the British gave the title of Bahadur. Kalam's mother was a devout Muslim, like his father, and she said her Namaz five times a day. She was a woman of love, a woman of kindness and above all, a woman of divine nature. She had a large family to look after and most of her energy was spent in its management .There were many children in the family. His father had a steady income from his business, but the income was just enough to meet the expenses of his family and there was no question of indulging in luxuries. His mother remained an ideal partner for his father. While leading such a difficult life, there was no trace of irritation or anger in her.

I am born with potential.

I am born with goodness and trust.

I am born with ideas and dreams.

I am born with greatness.

I am born with confidence.

I am born with wings.

So, I am not meant for crawling,

I have wings, I will fly,

I will fly and fly. (17)

Kalam's childhood was happy and secure. He had a habit of eating with his mother, sitting on the kitchen floor. They ate on the banana leaves. Rice, aromatic sambhar, home- made pickles and coconut chutney were the staple foods. Her cooking was simple and he had not eaten sambhar that balances the tart and the spicy tastes as delicately as made by her. During the years of Second World War, there was a general shortage of all food stuffs and food was being rationed. At that time Kalam's mother and grand-mother did their best to feed all the family members by often reducing the portion of food on their plates very often. They did so in order to satisfy the hunger of the children. One day, Kalam's mother had made chapatti instead of rice. He started eating chapattis sitting at one place on the floor with great relish. She kept on giving him fresh chapattis one after the other. They (chapattis) kept coming and he kept eating because he was a hungry little boy. When he had completely filled his stomach he picked up his banana leaf plate and walked away to wash up. Later that night his elder brother told him that there was just enough food for them to eat i.e. two-three chapattis each. Amma will not say no to him, but he kept on eating and she kept on serving him and that night she remained hungry as nothing was left for her to eat. At that moment Kalam felt very ashamed of himself for what he did to his beloved mother, who looked frail, yet was the toughest woman he ever knew.

He felt as though he would cry. It broke his heart and for many days he could not show his face to any- one and nor to his mother. That was a big lesson for him not forgetting the needs of others specially those around him. Her love for her son allowed sharing her food with her son without a second thought that she will remain hungry. But after his brother showed him the truth he never thought of eating without making sure that there was enough food for everyone, especially for his mother and grand-mother. The incident shows that there was immense love between Kalam and his mother. Among all the children Kalam was closest to his mother's heart. Once Kalam felt asleep on his mother's lap. She sat quietly, her hands softly caressing his hair and cheeks. Her touch was the most precious balm for his tiredness. Unknowingly tears sprang up as though splitting his heart and as they started flowing from his eyes. His eyes were closed, yet tears ran down. They dropped on his folded knees and seeped into his mother's sari. But she did not stop her caresses. She knew what was giving rise to those tears – the extreme tiredness of a boy suddenly trying to become big – i.e. a man. Her fingers tenderly ran through his hair, comforting, soothing and understanding. This is what he realized was his mother and her love. A mother is one who understands everything without uttering a word. A mother is the most wonderful thing in the world and if lost once can never be got again.

Kalam's mother was a simple lady, born and raised in a small town of Southern India. She was like any other mother in our land. She did not step out of the house nor took part in the affairs of the town. She did not think of making a career as women of today. Her home and family remained her realm of work. Yet she served everyone and God with utmost devotion, selflessness and piety. Kalam learned a lesson from the life of his mother, and that is – it does not matter how large or small ones sphere of activity is, what counts finally is the commitment and dedication involved in doing a particular job. Kalam's father lived for 102 years and when he passed away he left behind a family that included fifteen grand -children. His passing away affected him deeply. He came home from work at Thumba and sat by his mother for a long time. When Kalam was leaving, she blessed him in a choked voice. At that time Kalam was very busy building the SLV-3 rocket. He regretted for being so pre-occupied and not having time for his family, especially his mother at the time. Kalam's mother passed away soon after his father's death. The reason was that she could not live long alone, without the man whose side she had never left for over eighty years.

Kalam's family was very large with ten children in the family. His sister Zohra was one of the older children. She grew up as an ordinary girl. She went to school to study but she also helped her mother in the kitchen. She was her mother's closest companion. The bond of mother and daughter changed into friendship as they worked together for the family, like cooking, cleaning, looking after the young ones etc. Like his mother, Zohra also had a soft corner for Kalam because he was a dreamer since his childhood. She looked after him so that his innocence remained intact.

When Kalam was young, a cousin called Ahmed Jalalluddin entered into their lives. He came like a breath of fresh air in their family. He had studied up to middle grade, could read and write English, and his vision of life was open and large. He quickly became a part of the daily life of his family. Life went on and in later years Kalam's sister Zohra got married to Jalalluddin. Jalalluddin had a great liking for Kalam. Kalam's life took new direction after completing his schooling at Ramnathapuram. He decided to move to Madras (now Chennai) to study engineering at the Madras Institute of Technology (MIT). Zohra and Jalalluddin gave wings to his dreams. But the financial condition of his family remained the same. The only source of income was his father's business. Kalam needed a sum of Rs. 600 to pay the admission fees at MIT. It was difficult to pay that amount as it was equivalent to Rs 1, 00,000 today. At that time Kalam received a real gift from his sister. She told her husband that nothing can stop her brother from flying. She had some gold jewellery given to her by her parents. In Indian house-holds, the women wear their ornaments on certain occasions, but many use them as a kind of insurance policy for rainy days when there are unexpected cash requirements. His sister Zohra

did not think even for a moment. She agreed to pawn her jewellery with a money lender and borrow the sum required for his (Kalam's) admission. He was deeply touched by her gesture. It was the most selfless thing that any-one had ever done for him. Zohra gave him what she could with her heart. She had great faith in the abilities of her brother for his aspirations to become an engineer. She knew that her brother will work very hard to achieve his goal. Her gold bangles and chain were mortgaged and he got the money to help him take admission in the MIT. At that time Kalam vowed to release his sister's jewellery from mortgage as soon as he started earning. Eventually he did so by studying hard and earning a scholarship. Zohra was very efficient, cheerful and well- versed in the household works. She was a woman who sacrificed her dreams and ambitions for the sake of her brother. She first thought of her father, brothers, and sisters before she thought of her husband and children's welfare and progress. She had no dreams of her own. "Destiny, tradition, situations will test her again and again. She will have to worry and compromise, save and innovate. Yet she find a way to guide her family" (55).She only worked to help her dear ones come out of any crisis they face in their life and while doing so she had no repentance.

Another person who inspired Kalam the most is Ahmed Jalalluddin. He played a very important role in the life of Kalam. He helped him to reorient his ways of thinking and have helped him to change his course of life. He was like the sun that gave him warmth and the wind that embraced him. When Kalam was a young boy his father decided to build a boat to start a ferry business. He was fascinated with the way the boat was taking shape. As the plank of wood was slotted and the outline of the boat became clearer, it became harder for him to remain away from the place where the boat was being built. Jalalluddin lived in Rameswaram and helped his father in making the boat. His interest was noticed by his father. Everyday Jalalluddin spent some time chatting with Kalam. They talked about the boat, how it should be built and painted and all the other work needed to be done to get it done. From that time an unusual friendship grew between – the little boy Kalam – and Jalalludin – a much older and wiser person, who was fifteen years senior to him.

He was also inspired by five mighty souls. They were all scientists who inspired him. They are Prof.Vikram Sarabhai, Prof. Satish Dhawan, Prof.Brahm Prakash, Prof. M.G.K.Menon and Dr.Raja Ramanna. At the start of his career he came across a man, Dr Vikram Sarabhai who was one of modern India's greatest thinkers and doers. He was a scientist, educationist, institution builder and visionary. He had many achievements to his credit. He set up ISRO, and articulated India's Space Mission. He was the chairman of the Atomic Energy Commission and had set up a number of other industries and educational institutions, like the (IIM) - Indian Institute of Management.

Kalam, at first met him when he was called for an interview at INCOSPAR for the position of rocket engineer. The call of the interview came unexpectedly, after Professor M.G.K. Menon of the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) saw Kalam's work on the Nandi hovercraft in Bangalore. He went to Mumbai to attend the interview. Before the interview Lakshmana Sastry's voice quoting from the Bhagawad Gita echoed in his ears:- "All beings are born to delusion…overcome by the dualities which arise from wish and hate….But those men of virtuous deeds in whom sin has come to an end, freed from the delusion of dualities, worship me steadfast in their vows" (31). He was interviewed by Dr Sarabhai, Professor Menon and Saraf, who was the Deputy Secretary of the Atomic Energy Commission. Each one of them were store houses of scientific knowledge, yet they interviewed Kalam in a friendly manner. Dr Sarabhai listened to him in a way that Kalam felt he was not recruiting just an engineer but he was looking at his future potentials that might become worthy. Kalam thought for the first time that he had come across a man who seemed to be ready to provide a broader vision to the country's space programme. After the interview he was inducted into INCOSPAR. The environment of INCOSPAR was more relaxed for work.

In the year 1962 Dr Vikram Sarabhai was looking for a site to establish a space research

station. For this he visited a number of places. He selected Thumba in Kerala, in Southern India. The place was near the equatorial region and was suitable for ionospheric research in the upper atmosphere. When Dr.Sarabhai went to visit Thumba, he found the locality had a number of villagers and thousands of fishermen living in that area. It also had a beautiful ancient church, and the house of the bishop was near the church. Dr Sarabhai met many politicians and bureaucrats in order to get the place for building research facilities, but it was difficult to obtain permission. Finally he went to meet the bishop of Trivandrum, Reverend Father Peter Bernand Pereira. The Bishop asked him to meet him on Sunday. On Sunday after the service of the Church the Bishop met Dr Sarabhai and gave him consent to dedicate the church for a national cause of establishing ISRO. The Church became the design centre and the bishop's house was the Scientist's place. Later, a new Church and a new School was established in Thumba. The story of the establishment of the rocket launching station is an inspirational message for coming generation as no-where in the world a Church has been given for scientific research, and it has happened only in India. It means that religion can be transformed into a spiritual force that can shape society.

The fourth quality in Dr. Sarabhai was to look beyond failures. There is an example to support this quality of Dr. Sarabhai. Once Kalam and his team-mates prepared a demonstration of the nose-cone jettisoning mechanism of the SLV project they were working on. Dr.Sarabhai had to check the demonstration by pressing a switch and the pyro-system would be activated through a timer circuit. But when he pressed the switch nothing happened. Kalam was shocked, along with his colleague Pramod Kale, who had designed and integrated the timer circuit. They quickly worked to detect the problem which they found was in the timer-circuit. They quickly corrected the problem and the mechanism was again ready for demonstration. Again Dr. Sarabhai pressed the switch and the pyros were fired and the nose cone was jettisoned. Dr. Sarabhai congratulated them for the success and went away. Later Dr. Sarabhai met Kalam and discussed the reasons for the failure in the system. At the same time he said that mistakes and failures are a part of every project and we should use these mistakes as gateways for innovation and development of new systems. He always kept room for errors to analyze mistakes and work hard to correct them and rule out the cause of failure.

Kalam's relationship with Vikram Sarabhai was a very emotional and an intellectual one. Dr. Sarabhai had faith in Kalam and his team to develop designs and mechanisms which will make India self-reliant nation in defence and space-technology. He stood by him in moments of crisis and doubt, of failure and success. He guided him towards right path of success. He also directed him when he was in a state of confusion. Kalam was very sad when he heard the news of Dr. Sarabhai's death in December 1971. It was a cruel blow for him. Dr. Sarabhai died of cardiac arrest. His death was unexpected. The man, who was a great scientist and a leader, was no more. However, he had equipped them with the knowledge, confidence and foresight required to take up all sorts of challenges.

Abdul Kalam learnt a lot from Prof. Satish Dhawan, a great teacher at the Indian Institute of Science, Bangalore and former chairman of the Indian Space Research Organisation (ISRO). He worked with Prof. Dhawan for a decade in the development of the first satellite launch vehicle programme for which Kalam was chosen Project Director. Prof. Satish Dhawan motivated the people of India especially the youth by inculcating in them leadership quality. He taught Kalam a lot through his personal example. The most important lesson that he learnt from him was that when a mission is in progress there will always be some problem or failures but failures should not become the master of the programme. The leader has to subjugate the problem, defeat the problem and lead the team to success. There is an incident to support this statement. Kalam completed the project of making hovercraft under the supervision of Prof. Satish Dhawan. When the hovercraft was complete, it was presented for test trials. Some initial teething trouble came up while the hovercraft was being tested. Professor Dhawan helped them to find a solution. When the problem

was solved the hovercraft was again tested continuously for fifty hours. Professor Satish Dhawan congratulated them on their success in the project.

In the year 1962 Kalam was working at the Aeronautical Development Establishment (ADE) in the ministry of Defence as Senior Scientific Assistant. As the leader of the Hovercraft Development Programme he was responsible for designing, developing and piloting the hovercraft. One day Kalam's director told him that a great scientist was coming to ADE (Aeronautical Development Association) and he must explain to him the design of the hovercraft and also give him a flight demonstration. Kalam saw before him a young bearded, philosopher like personality. He was Prof. M.G.K. Menon, the then director of the Tata Institute of Fundamental Research. He took him as a co-passenger in the hovercraft, and gave him a beautiful maneuvered flight. Professor loved the flight and congratulated him. After a week, Kalam received a telegram asking him to attend an interview for the post of Rocket engineer at TIFR, Bombay. Kalam attended the interview and was selected to work for the space programme.

Works Cited :-

Gandhi, M.K. Hind Swaraj. Delhi: Rajpal and Sons Publishing 2010. Print.

Kalam, Abdul. Indomitable Spirit. New Delhi: Rajpal and Sons Publishing 2007. Print.

Inspiring Thoughts. New Delhi: Rajpal and Sons Publishing 2007.Print.

Arun Tiwari. Wings of Fire. Hyderabad: Universities Press 1999. Print.

My Journey: Transforming Dreams into Reality. New Delhi: Rupa Publications India 2012. Print.

Governance for Growth in India. New Delhi: Rupa Publication India Private limited, 2014. Print.

Study of Medicinal Plants to Control Diabetes

Dr. Yashvant Shukla
Department of Botany, Govt. P.G. College Bareli, Dist- Raisen, Madhya Pradesh, India

ABSTRACT :- India due to its unique variety of geographical and climatic factors has a rich and varied flora of medicinal plants. These medicinal plants are still under practice by tribal people and in Indian villages which have been developed through experience of many generations. In the study**,** survey on traditional uses of medicinal plants of remote places of Bari and Bareli Tehsil of Raisen district, Madhya Pradesh were carried out during 2014- 2015.Several medicinal plants were reported which were used by tribes and other village people to cure diabetes. Such plants include Ficus carica ,Phyllanthus niruri, Abautilon indicum, Madhuca lingifolia, Syzygium cumini, Mimordica charentia, Trigonella foenugraecum, Cinnamon tamala,Catharanthus roseus, Aegle marmelos ,Abelmoschus esculentus, Triticum,Allium sativum,Bauhinia variegate, Ocimum Sanctum, Phaseolus vulgaris. The botanical name, vernacular name, parts of plant used are given along with its medicinal value.

Keywords :- medicinal plants, diabetes, tribal people, Raisen.

Introduction :- Diabetes is a group of metabolic diseases in which a person has high blood sugar either because the pancreas does not produce enough insulin or because cells do not respond to the insulin that is produced or a combination of both factors. Diabetes Mellitus (DM) is known to Indian from Vedic period onwards by the Asrava (Prameha) and anciently called as sweet urine or 'Madhumeha' in Ayurved.

Glucose is a source of energy for living organisms. Glucose is one of the primary molecules which serve as energy sources for plants and animals. it is found in the sap of plants and in the human blood stream where it is referred as " blood sugar"(3).Diabetes is mainly a rise in blood sugar level beyond normal level.

There are an estimated 77.2 million people in India who are suffering from pre-diabetes. Pre-diabetes is a condition in which the patients have high blood glucose level but were not in the diabetes range. These people are at high risk of getting diabetes.4Diabetes is a **silent epidemic** and according to WHO there are **246 million people in the world living with diabetes**. This is almost 6% of the world's adult population. Diabetes in **Asians is five times** the rate of the white population.

India is the **diabetes capital** of the world. It is estimated that currently there are 40 million people with diabetes in India and by 2025 this number will increase upto 70 million. This would mean every fifth diabetic in the world would be an Indian. Central obesity or **apple shape of the body and insulin resistance** is the main reason for diabetes increase in Indians.

Diabetes causes 6 deaths every minute and one in 20 deaths in the world is due to the condition. Every year it is estimated that **3.2 million people in the world die** due to the diabetes or its related causes. Diabetes is an important **'silent killer disease'** as there is usually no early symptom of the disease.

The commonest early symptom is **feeling thirsty** Almost **90 to 95% of diabetes is of type 2** or maturity onset type; that affects people in their middle age. Type 1 or juvenile diabetes affects 70,000 children under the age of 15 years every year.

The major cause of increase in the incidence of diabetes is a **sedentary lifestyle**. Exercise and diet can either reduce or delay the incidence of diabetes by over 50%. Diabetes is one of the main causes of **kidney failure** in the world. Besides this every year it is responsible for 5% or 5

million blindness in adults and one million limb amputations. Diabetes is also an important cause of heart disease, stroke and cataract.

The disease is growing fastest in developing countries where there are more people in the lower and middle-income group.

Diabetes is a very common problem in our society and is directly related with our modern living and life style .It is also hereditary in some cases. People over the age of 50 are more prone to get afflicted with this deficiency disease. As such there is not much problem but it affects other body organs like kidney and liver in the long run. People become prone to infections because the internal resistance of body is impaired. Wounds heal slowly.

Methodology :- Following methods were adopted during the course of study.

1. Several medicinal plants for the treatment of diabetes were collected from different study sites.

2. Field and survey work was made during field work personal interview was made between author and several tribal people and villagers of various age group.

3. Confirmation of specimens and their species were made with the help of floristic literature.

4. The above data were analyzed and cross checked by several vaidhyas.

Study area :- During the course of study an extensive survey of remote places of Bari and Bareli Tehsil of Raisen district of Madhya Pradesh were carried out during 2014- 2015.

The study is based on utility of ethno medicinal plants for diabetes in and around Bari and Bareli Tehsil. In the study area several medicinal plants are identified with their local name, habit and habitats and their medicinal utility against diabetes analyzed.

Our village elders by the virtue of their experience have recognized some trees and herbs in the locality which have 'anti-diabetic'action. Botanical name,vernacular name, plant part used and process of administration of some medicinal plant has been reported.s

1. Ficus carica (Fig tree): Milky juice of fig has anti diabetic properties. Few drops of juice if taken regularly every morning with empty stomach can reduce blood sugar in about 10 days time.
2. Phyllanthus niruri (Bhui amla): This plant has gained very high reputation for treatment of jaundice. Folk healers of Rajasthan said that leaf juice has anti-diabetic properties too. Fresh juice if taken regularly every morning with empty stomach can keep the blood sugar level normal.
3. Abutilon indicum(Atibala):If seven raw leaves of atibala are taken for seven days it can reduce blood sugar.
4. Madhuca longifolia (Bassia): Bark of bassia has anti-diabetic properties. Regular use of bark decoction can maintain normal blood sugar level in diabetic patients.
5. Syzygium cumini(Black berry): The fruit juice and seeds of the tree is considered to be strongly antidiabetic. If one can store black berry seeds for shole year during its fruiting season and take one seed every day in the morning with empty stomach before meal, it can keep the blood sugar normal throught the year claims the folk healers.
6. Mimordica charentia (Bitter gourd): The village elders have experience that eating raw fruits of bitter gourd every morning with water can reduce blood sugar and maintain it normal every time.
7. Trigonella foenugraecum(Fenugreek): If 5 to 10 gms of seeds of fenugreek is taken with empty stomach regularly, it can significantly reduce both' blood sugar' and blood cholesterol', Fenugreek seeds are also good source of fiber.
8. Cinnamon tamala (Tejpatra): Powdered leaves of Tejpatra reduces blood sugar significantly if

it is taken in a dose of one teaspoonful thrice a day.

9. Aegle marmelos (Wood apple): If in the initial days of detection of diabetes 2-3 leaves of wood apple were chewed regularly, empty stomach in the morning, it would help to cure diabetes completely from root.
10. Abelmoschus esculentus (Okra): Take two okra, cut in 2-3 pieces and soak it in water till morning. Take its water in empty stomach in the morning it will reduce blood sugar.
11. Triticum (Wheat): Take some straw of wheat, and soak it in water till morning. Take its water in empty stomach in the morning it will reduce blood sugar.
12. Allium sativum (lahsoon): Is more commonly known as garlic, and is thought to offer antioxidant properties and micro-circulatory effects. Allium may cause a reduction in blood glucose level, increase secretion and slow the degradation of insulin. Limited data is available however, and further trials are needed.
13. Catharanthus roseus (sadabahar): The plant has been traditionally used by the folk healers in India and other parts of world for the treatment of diabetes.
14. Bauhinia variegate (kachanar): The village elders have experience that eating raw fruits of Bauhinia variegate every morning with water can reduce blood sugar and maintain it normal every time.
15. Phaseolus vulgaris(Beans) **-** Beans help to slow down the digestion process thereby preventing the rise in blood glucose level. Beans give a feeling of fullness to the stomach and satiety is reached early.
16. Ocimum Sanctum (Holy Basil)**-** This is a medicinal plant, which is also considered holy by many Indians right from ancient times. It is recommended to extract the juice from the leaves and consume it. A daily habit of eating fresh leaves from the garden after washing has tremendous effects on the body. Basil leaves bring about a significant reduction in the blood glucose level. Apart from that, this leaf also has anti-stress, anti-asthmatic, anti-bacterial, anti-fungal anti-mutagenic and immune-stimulant properties.

Result and discussion :- Several problems like kidney problem, heart problem and damage of body organs arising out of diabetes, but only a few could afford the cost of treatment. Good lifestyle and physical activities can prevent these problems up to greater extent.

In the survey, it is observed that above medicinal plants are used for the treatment of diabetes. People use roots, bark, latex, leaves, fruits and seeds of medicinal plants. Most of the plants used in medicines are mixed either with other ingredients or singly.

Author met a vaidhya -He said that, formula is too good work at pancreas, it lower the sugar level as well as active the pancreas for formation of insulin. If patient take this formulated drug regularly it will be possible to get rid from diabetes.

Formula as below :- Stem of Gymnema sylvestre (50%),bark of Azadirachta indica (10%),skin of Momordica charantia(5%),seed of Pongamia pinnata(5%),leaves of Cinnamomum tomala(5% leaves of Aegle marmelos(10%), seeds of Syzygium cumini(15%). The powder of above ingredients in given proportion, reduce blood sugar and maintain it normal every time.

Conclusion :- Several of prescription which are given and the claims made by the folk healers and village elders as remedies for the treatment of diabetes above were cross verified from the users of the herbal medicines and were found to be correct. Failures if any were attributed due to the carelessness in the part of the patients not strictly following the instructions of the folk healers.

In fact, because certain herbs, vitamins and supplements may interact with diabetes medications (including insulin) and increase their hypoglycemic effects, it is often argued that use of natural therapies could reduce blood sugars to dangerously low levels and raise the risk of other diabetes complications.

Whatever your intended reasons for using these specific herbs, you must always discuss your plans with your doctor and diabetes healthcare team first to ensure they are safe for your condition and determine a suitable dose.

Acknowledgement :- Author is grateful to Dr. Abhilasha Bhavsar ,Dr.Vijay Mohabe for providing their valuable suggestion and encouragement. Finally, the author is thankful to all local villagers and tribal man for their valuable support and cooperation during survey.

References :-

[1] Joshi SR et al, JAPI, JUNE 2008 , Challenges in Diabetes care in India : sheer numbers, lack of awareness and inadequate control VOL. 56, http://www.eatlas.idf.org/Costs%5Fof%5Fdiabetes

http://diabetes.niddk.nih.gov/about/dateline/spri 02/1.htm
http://www.eatlas.idf.org/Costs%5Fof%5Fdiabetes
http://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/remedies-to-treat-diabetes-naturally.htm#ixzz3iK61yRcc

http:/www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/remedies-to-treat-diabetes-naturally.htm#ixzz3iK6Ozlp3

http://www.medindia.net/health_statistics/health_facts/diabetes-facts.htm#ixzz3i8eCA7ac

Rajiv K. Sinha and Shweta Sinha,Role of Indigenous and Ethnic Societies in Biodiversity conservation, Ethnobiology First Edition 2001.

Diabetes Mellitus.(online)available from www.who.int/topics/diabetes

Ms.Sarika Davis, MrsJennifer D’souza International Journal of Scientific Research Vol3/Issue; 6/June2014, ISSN No 2277-8179.

वैदिक काल में नारी की स्थिति एवं साम्पातिक अधिकार

डॉ. सोनू शर्मा
जी.डी.सी. दशहरा मैदान, उज्जैन

वैदिक आर्य वास्तव में स्त्रियों को धन सम्पति के रूप में बहुत अधिक महत्व देते थे उनको वह युद्ध में उपयोग की बजाय उसको समाजिक महत्व को अधिक महत्व देते थे हालकि आर्यो ने नारी को स्वभावतः सामाजिक, शारीरिक,एवं शैक्षिक दृष्टि से उन्नत एवं सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया है। 1 परन्तु दायभाग एक शोध का विषय रहा है। दाय शब्द की प्राचीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। कि इसका प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। 2 ऋग्वेद में एक अन्य स्थान पर श्रमस्य दाय विभजन्त्येश्यैः का प्रयोग भी मिलता है। 3 इसमें भी दाय का अर्थ भाग या पुरस्कार है। जैसे की हम आगे चलकर तेत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इस शब्द का शब्दिक अर्थ पैतृक सम्पति'' या सम्पति को रूप में पाते है। 4 यद्यपि दायाद शब्द का अन्य अर्थो में भी प्रयोग मिलता है परन्तु मोटे रूप में इसका अर्थ संपत्ति ही होता है। यद्यपि जहां तक स्त्रीधन का प्रश्न है। स्त्रीधन का आरम्भ वैदिक युग में विवाह के समय कन्य को दिये जाने वाले दहेज की वस्तुए , वस्त्र , आभूषण तथा घर की अन्य सामग्री से हुआ है। पत्नी को परिणाह्र अर्थात गृह उपकरणों की स्वामिनी कहा गया है। 5 स्त्रीधन का शब्दिक अर्थ है कि स्त्री की संपत्ति स्त्रीधन धन की एक विशेषता यह भी रही है कि यह गौतम के काल से आज तक केवल प्रथमतः स्त्रियों को ही प्राप्त होता रहा है। 6यही कारण है कि स्त्रियों को कुछ सीमा तक साम्पत्रिक अधिकार प्राप्त थे हालाकि की शतपथ ब्राहण से यह विदित होता है कि पत्नी पति के दाय की उत्तराधिकारी होती थी क्योकि याज्ञवलवय ने सन्यास लेने का निश्चय करने पर एक पत्नि मैत्रेयी को दूसरी पत्नी का कात्यनि के साथ संपति संविभाग करने के कहा। 7 इस प्रकार वैदिक काल में संपति के विभाजक में स्त्रियों के अधिकार के प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाते है। इसी प्रकार वैदिक काल में स्त्रियों में अभ्रातृमती और कुमारी कन्या के दायाद को स्वीकार कर कहा गया है कि अभ्रातृका विवाहिता होने पर भी धन प्राप्त करने के लिए अपने पितृकुल की औेर आती है। 8 आभ्रातृका के अतिरिक्त कुमारी कन्या को भी इस युग में रिक्थहर माना जाता था। किन्तु यदि कन्याओं के भाई हो तो साधारणतया उसके पिता की संपत्ति में स्वत्व नहीं प्राप्त होता था। ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दो में कहा गया है कि औरस पुत्र अपनी बहन को पैतृक संपति नहीं देता था। 9 इस युग में भी कन्या पिण्डदाता नहीं थी इसी कारण उसे पितृतन्त्रीय समाज में संपत्ति का उत्तराधिकारी न समझना स्वाभाविक था। यद्यपि पुत्रेष्णा अदिम रही है पुत्र प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के जतन किये जाते थे इसका प्रधान कारण अमृतत्व की प्राप्ति मनोवेज्ञानिक भावनाएं वंश वृद्धि तथा पुत्र मिलने वाले सुख और धार्मिक विश्वास थे। हालकि भाई न होने की दशा में अभ्रातृमती कन्या को ही दायाद माना गया क्योकि उस अवस्था में वह अपने पुत्र द्वारा पिता का पिण्डदान कराती थी। इसी कारण उसे रिक्थहर माना जाता था इसी कारण ऋग्वेद में कहा गया कि अभ्रातृका कन्या विवाहिता होने पर भी धन प्राप्त करने के लिए अपने पितृकुल की और आती है। वैदिक समाज में यह धारणा भी विद्दमान है कि कुछ लोग वास्तविक पुत्र को औरस पुत्र ही मानते है। पर अन्य प्रकार के पुत्र उसकी तुलना नहीं कर सकते थे अत्यन्त सुखकर होने पर भी दूसरे के पेट से पैदा होने वाले पुत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए उसे मन से भी अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए। 10 ऋग्वेद में इस संबंध में सुन्दर उदाहरण मिलता है कि वशिष्ठ ने अग्नि से पुत्र भी कामना की किन्तु वशिष्ठ ने कहा कि है अग्नि अन्य व्यक्ति से उत्पन्त किया हुआ अपना पुत्र नहीं होता प्रमादी लोग ही उसे अपना मानते है। 11 इस कारण पुत्र विहिन पिता के लिए यही उचित था कि वह अपनी औरस कन्या को दी अपना दायाद बनाए। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में अभ्रातृका , अविवाहित, अथवा विवाहित कन्या को जो अधिकार प्राप्त हुए इस नियम का फायदा शास्त्राकार सष कन्याओं में सामान्य रूप से देना चाहते थे। यास्काचार्य ने निरूक्त में इसकी कुछ विस्तार से चर्चा की है। 12 इस प्रकरण से ज्ञात होता है कि वैदिक युग में साम्पतिक अधिकारो को लेकर दो खेमे खडे हो गये थे एक खेमे में वे लोग थे जो आर्यो को परम्परागत विश्वासों का अनुसरण कर रहे थे जिसके अन्तर्गत वे भाई के रहते हुए बहन को रिक्थहर नहीं मानते दूसरी और वे लोग जो तत्कालीन परिस्थितिया में प्रगतिकारी थे। उनका मानना था कि पुत्र व पुत्री दोनों समान रूप से माता–पिता के शरीर का अंश लेकर उत्पन्न होते है। जब उनकी उत्पति में अभेद है तो दायाधिकार में भेद क्या किया जाय। प्रथम प्रमाण तो हमारे प्राचीन साहित्य में बार–बार दोहराया गया है। 13 द्वितीय प्रमाण मनु के नाम से उपस्थित

किया है इस प्रकार कन्याओं के दायाधिकार का समर्थन करने वाला यह पक्ष उस समय बहुत प्रबल नहीं था इस कारण वैदिक काल में सिद्धान्त पक्ष यह स्थापित किया गया कि अभ्रातृमती कन्या ही दायाधिकारिणी होती है। इस प्रकार वैदिक युग में भाई के न होने पर पिता की संपत्ति का सर्वप्रथम यही दायाद होती थी। जहां तक वैदिक काल में विधवा का प्रश्न था तो विधवा विवाह प्रचलित नहीं था कुछ विद्वावानो के अनुसार ऋग्वेद में प्राप्त उल्लेख विधवा विवाह के न होकर नियोग के प्राप्त होते है। 14 इस तरह वैदिक युग में विधवा विवाह की अपेक्षा नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न कर अपने पति की सम्पति का उपयोग किया जाता था। 15 बहुत कम वाक्य ऐसे घटते होगे जब कोई विधवा स्त्री पुर्नविवाह करती होगी ऐसी स्त्रियों के साम्पत्रिक अधिकार निश्चित करने के लिए अथर्ववेद। 16 तैतिरीय आरण्यक 17 और कौषीत सूत्र स्पष्ठ रूप से विधवा को धन प्रदान करने का विधान किया है। 18 इस प्रकार हम देखते है कि वैदिक समाज में सम्पति के विभाजन में पुत्रो को ही अधिक महत्व दिया जाता है। स्वयं मनु ने अपनी संपत्ति का विभाजन अपने पुत्रो के ही बीच किया। 19 ऋग्वेद में भाई द्वारा अपनी बहन को सम्पत्ति से हिस्सा न देने के निर्देश है। 20 याने कुल मिलाकर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को साम्पतिक अधिकार न देने के पक्ष में था। आगे चल कर जो अधिकार दिए गए वो भी समिति थे। इस कारण समाज में स्त्रियों के उनके साम्पत्तिक अधिकारो का पतन हुआ।

1. शंकर शुक्ल, ऋग्वैदिकालीन समाज और संस्कृति शारदा पब्लिशिंग हाउस दिल्ली 200/–
2. ददातु वीरं शतदायमुक्थ्थम ऋग्वेद 2/32/4
3. ऋग्वेद 10/114/40
4. तै.स.मे.नाभनिदिष्ट की गाथा में वर्णित है कि मनु के अपना दाय अपने पुत्रो में बॉट दिया 3/2/1/19 ताण्डय ब्राहाण 16/04/3–4
5. ते.स.06/2/19 काठक संहिता 24/8 कपिष्ठक संहिता 38/1
6. काणेः धर्मशास्त्र का इतिहास (द्वितीय भाग) प्र.938
7. शतपथ ब्राघाण 14/07/03/1–23, 14/5/4/1 अच्युत ग्रंथमाया बनारस।
8. ऋ : 1/124/7
9. ऋः 3/31/2
10. ऋः 7/4/8
11. ऋः 7/4/7
12. निरूक्त 3/4
13. शतपथ ब्राघाण 14/09/8 से महाभारत 1/74/63 तक
14. ऋः 10/40/2,
15. डॉ. सविता विइनोइ पृ 19
16. अर्थर्ववेद 18/211
17. अर्थर्ववेद 6/3/1
18. अर्थर्ववेद 80/84
19. तैत्तरिप संहिता 19/4
20. ऋ ्ण 31/9

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 4, No. – 1 Feb. 2018

पूर्वी भारत की हिन्दू नारियाँ–शसिका एवं प्रशासिका के रूप में

Dr.Renu Rathore
G. D . C College Dashera Maidan Ujjain

भारतीय नारी तत्तकालीन राजनीतिक परिस्थिति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मध्यकालीन पूर्वीभारत की कुछ विशेष नारियों के अध्ययन से प्राप्त होता है। इस लेख में हम पूर्वी भारत की विश्वास देवी चौचिंग,चंद्रप्रभा एवं रानी भवानी की राजनीतिक कुशलता, कुटनीतिज्ञता एवं योग्यता पर चर्चा करेंगे।

सर्वप्रथम–विश्वास देवी जो कि तिरहुत के राजा पद्मसिंह की वरिष्ठ रानी थी। विश्वासदेवी ने अपने पति के जीवनकाल के दौरान ही प्रतिनिधि एवं परामर्शदात्री के रूप में कई सफल एवं महत्त्वपुर्ण कार्य किये।1 इसके अतिरिक्त विश्वास देवी ने गंगा वाक्यावाली (GANGAVAKAVLI).नामक एक लेख गंगा पुजा पर संकलित किया। जिसमें दरबारी कवि विद्यापति ने कुछ प्रमाणिक उद्धरण जोड दिये हैं।2 विद्यापति ने विश्वास देवी की मुक्त कंण्ठ से प्रशंसा करते हुए उसे एक सक्षम प्रशासिका, समर्पित पत्नी, पवित्र एवं उदार नारी के रूप में वर्णित किया है। 3 यद्यपि हमें विश्वास देवी से संबंधित अधिक स्रोत सामाग्री उपलब्ध नहीं होती किन्तु उपर्युक्त वर्णन के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह राजनीति एवं राज्य संचालन में निपुण थी।

विश्वास देवी के पश्चात भारत के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधि रानियों में आसाम की चौचिंग का महत्त्वपूण स्थान है। चौचिंग राजा चुतियस(CHUTIYAS) की पुत्री थी। जिसका विवाह 1562 ई. आसाम के राजा शुकलेमुंग से हुआ था। यह चौचिंग की ही राजनीतिक सलाह थी कि राजा अपने मुख्यालय गारागाओं (garagaon) की सुरक्षा हेतु गहरी खाई का निर्माण करे।4 संकट आने के पूर्व की गई यह सावधानी उचित सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त उसका मत था कि वर पात्र (varapatra) पद सभा के तीसरे सदस्य अहोम राजाओं के लिये संरक्षित रखा जाये।5 यहॉं यह इंगित होता है कि चौचिंग का राज्य में महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक स्थान रहा होगा तभी उसे इस प्रकार के विशिष्ट विषयों पर अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता थी।

इसी तारतम्य में अन्य महत्त्वपूर्ण शासिका चंद्रप्रभा है। जिसका विवाह ताम्रध्वज से हुआ जो कछार पर शासन कर रहा था। जिसे कालांतर में जयनतीया प्रमुख रामसिंह ने बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति में ,चन्द्रप्रभा ने राजनीतिक कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए पति की अनुपस्थिति में वह राज्य पर खासपुर से शासन कर रही थी।6 साथ हि उसने बडी कुशलता से रूद्रसिम्ह (आसाम के राजा)के समक्ष संधि प्रसताव भेजा जिसे उसने सहजता से स्वीकार कर लिया और वह ताम्रध्वज को रामसिंह की कैद से मुक्त कराने में सफल रहीं।7 यद्यपि अपनी मुक्ति के पश्चात ताम्रध्वज अधिक समय तक जीवित नहीं रहा और अतिशीघ्र ही उसका पुत्र शुरद्रप भी सिंहासन से निर्वासित हुआ। अतः एक बार पुनः राजसिंहासन का कार्यभार चंद्रप्रभा पर आ गया। कालांतर में चंद्रप्रभा ने बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया।8

अंत में हम यहाँ एक और वीरांगना रानी भवानी का उल्लेख करेंगें जो 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बंगाल की रानी थी। यह वह समय था जब मुगल शासन की कमजोरी का लाभ उठाकर नवाब एवं ईस्ट इण्डिया कंपनी संयुक्त रूप से बंगाल की वैभवता को धूमिल कर रहे थे। बंगाल कई छोटे राज्यों में विभक्त था। ऐसे राज्यों में नाटौर पर रमाकांत का शासन था जिसे बंगाल के नाटौर राज्य के संस्थापक ने दत्तक लिया था। रमाकांत का विवाह रानी भवानी से संपन्न हुआ। यधपि रमाकांत विलासी था। यहॉं रानी भवानी ने अपने प्रशासनिक एवं महत्वपुर्ण स्थिती का प्रयोग कर संपूर्ण राज्य का प्रबंध अपने हाथों में लिया और नाटौर राज्य रानी के नेतृत्व में अपनी समृद्धि की पराकाष्ठा पर था।

यद्यपि रानी द्वारा कुशलतापूर्वक शासन करने के पीछे मंत्री दयाराम का सहयोग भी विशेष था। नाटौर राज्य को वार्षिक कर के रूप में डेढ़ करोड रूपए नवाब को देना तय था। एक बार इन रूपयों के चोरी होने की स्थिति में रानी ने अपने आभूषणों को बेच कर नवाब के कोध से राज्य पर आने वाले संकट से उसकी रक्षा की।9

हालांकि कालांतर में रमाकांत के चाटुखोरों के कारण मंत्री दयाराम को निष्काषित कर दिया गया। 10 रानी के कई बार समझाने के बावजूद रमाकांत बौद्धिक कौशलता का परिचय नहीं दे पाया। अंततः चाटुखोर नवाब को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि नाटौर राज्य की आय अधिक है किन्तु कर के रूप में आपको

डेढ़ करोड़ ही अदा किये जाते हैं। परिणामस्वरूप नवाब ने रमाकांत को पदच्युत कर दिया फलतः रानी व रमाकांत वनवासी जीवन व्यतीत करने के लिये विविश हुए। दुसरी तरफ वफादार दयाराम रानी व रमाकांत को पुनः नाटौर राज्य में लाने का प्रयास करता रहा। अन्त में वह मीरजाफर को रमाकांत के पक्ष में करने में सफल हुआ और एक बार पुनः नाटौर राज्य रमाकांत और रानी के सान्निध्य में गौरान्वित हुआ।11

कालांतर में रमाकांत की मृत्यु 1746 ई. में हो गई और प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालन का उत्तरदायित्व रानी पर आ गया। हालांकि पूर्व से हि नाटौर राज्य कि प्रजा भवानी को ही अपनी वास्तविक शसिका के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। रानी ने बडी योग्यतापूर्वक राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में रामकृष्ण नामक योग्य बालक का चयन किया और उसके युवा होने के पश्चात् अपने जीवन के अंतिम दिन काशी में व्यतीत किया। 12

अतः पूर्वी भारतीय इतिहास में भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर समय–समय पर भिन्न–भिन्न नारियों ने न केवल तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया अपितु विपत्ति के समय अपनी कुशलता से उसकी रक्षा भी की। यह स्थिति उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो परन्तु सक्रिय निश्चित ही थी, फिर चाहे वह विश्वास देवी, चौचिंग, चन्द्रप्रभा तथा रानी भवानी ही क्यों न हो। उन्होंने अपनी राजनैतिक क्षमता के आधार पर नारी के इस रूप को उचित व महत्त्वपुर्ण इंगित किया। जो सदैव इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. **Madhavananda s. , Majumdar R.C, Great women of india , P. 369.**
2. **S. Sen vidyapati –Goshthi , P .19.**
3. **Madhavananda s. , Majumdar R.C, Ibid P.36**
4. **Madhavananda s. , Majumdar R.C, Ibid P.369.**
5. **…………. Ibid ………. P.370**
6. **…………. Ibid …………**
7. **…………. Ibid ………….**
8. **………… Ibid ………….**
9. जैन ,मीरा ,भारत की वीरांगनाएं ,पृ - 12
10. - उक्त - पृ . 8
11. - उक्त - पृ . 17
12. -उक्त - पृ . 11.

महिला उद्यमिता विकास हेतु विशेष प्रेरणाएँ

डॉ.सपना शर्मा
खुशबू राठौर
सहायक प्रध्यापक,वाणिज्य,माता गुजरी महिला महाविद्यालय, मढाताल जबलपुर म.प्र ,
शोध छात्रा, वाणिज्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र.

शोध सार : स्वतन्त्रता के बाद से ही लगभग प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को अधिकार प्रोत्साहन एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाने का रखा गया हैं। वर्तमान समय मे महिला उद्यमियो को प्रोत्साहित करने के लिये शासन विशेष रूप से प्रयासरत हैं। उद्यमिता एवं उद्योग संचालन के क्षेत्र में अभी तक सामान्यतया पुरूषों का वर्चस्व ही देखने मे आया हैं एंव महिलाओ का योगदान लगभग नगण्य रहा हैं। महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी बढाने के लिये सरकार व शासन द्वारा कई अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं महिला उद्यमी के लिये रोजगाार कृषि, ग्रामीण, कुटीर उद्योगो, खुदरा व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र मे बढ़ाई जा सकती हैं।

मुख्य शब्द (की वर्ड) – महिला उद्यमी हेतु विशेष प्रेरणाएँ

महिला की सृजनात्मक उर्जा समाज की दशा बदलने में पर्याप्त समर्थ हैं बशर्ते उन्हें अनुकूल पर्यावरण और पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। महिला उद्यमी मे भी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता प्रचुर हैं आवश्यकता है उसे सहेजने, संवारने और बढ़ाने की महिला उधमी विकास को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और समर्थ बनाने की दिशा मे अग्रसर हैं महिला की आर्थिक आत्मर्निभरता उन्हें घर, परिवार और समाज मे प्रतिष्ठामान सम्मान दिलाती हैं आजादी के बाद से देश मे महिला के लिए सामाजिक–आर्थिक दर्जे मे सुधार लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ बनाई है महिला उधमी के लिए शासकीय व विकास निगम की विभिन्न परियोजना लागू की गई हैं। आज किसी भी क्षेत्र मे महिला के योगदान को नाकारा नही जा सकता। विकास के लिए महिलाओ कि स्थिती मे सुधार अत्यधिक आव" यक हैं विकासशील समाज के लिए ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत लगभग सत्ताईस हैं वस्तुतः शिक्षा के माध्यम से ही जीवन का वास्तविक मूल्य सम मे आता है। यदि समाज का आधार स्तंभ ही अशिक्षित रह जाये तो राज्य के उन्नयन की परिकल्पना नही की जा सकती। बढ़ती हुई आबादी और हमारे सीमित साधनों को देखते हुए ग्रामीण महिलाओ को उत्पादन बढाने वाले कार्यो मे संल्गन करना चाहिये। ग्रमीण महिलाओ को कताई, बुनाई, बांस का उधोग, रस्सी बनाना चटाई, टोकरी चटाई बनाना तथा बेंत के काम आदि कार्यो मे प्रशिक्षण देकर कुटीर उधोग निश्चय ही उपयोगी साबित होगा। इन योजनाओं में महिलाओं को आय बढाने वाले साधनों के लिये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा ।

महिला उधमी विशेष प्रेरणाओं के उद्देश्य :

बचत आदत का विकास करना इस प्रेरणना का उद्देश्य महिला उधमी में बचत की आदत का विकास करना है।

सूदखोरों के चंगुल : महिला उधमी में छोटी–मोटी जरुरत के लिये तत्काल धन कि व्यवस्था सूदखोरो के चंगुल से मुक्ति पाना।

बेहतर आर्थिक स्थिती का विकल्प : बेहतर आर्थिक स्थिती का विकल्प की महिला उधमी में बचत की राशि से छोटे–मोटे उधोग प्रांरभ कर अपनी आर्थिक स्थिती को बेहतर बनाने या वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करना।

सामूहिक कार्य की आदत : महिला उधमी में सामूहिक निर्णय लेने व समूह में काम करने की आदत का विकास करना।

परस्पर सहयोग : महिला सदस्यों के लिये एक दूसरे सुख दुख में शामिल होने के बेहतर बनाने या में शामिल होने के बेहतर अवसर प्रदान करना। महिलाओं मे नेतृत्व क्षमता का विकास करना।

व्यक्तिगत पहल की प्रवति : महिलाओ द्वारा समाज में सम्मानित दर्जा प्राप्त करना, संगठित होने के फलस्वरुप मनोबल तथा सामूहिक पहल करने की प्रवृत्ति का विकास करना।

स्वरोजगार : स्वरोजगार, जैसे मछलीपालन , सामूहिक खेती , नर्सरी वांशिग पाउडर निर्माण , कुम्हार कार्य व कुटीर उधोग आदि की दशा में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करना।

सामूहिक पहल : महिला उधमी में कार्य के प्रति सामूहिक रूप में उधमी कार्य को सामूहिक पहल के साथ कार्य को करना।

महिला उधमी के लिये विभिन्न शासकीय कार्यक्रम

महिलाओं के लिये विभिन्न शासकीय कार्यक्रम :

1 पचंधारा योजना : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1 नवम्बर 1991 से विशेषतः ग्रामीण एंव आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु पंचधारा प्रांरभ की गई। इस पंचधारा के अंतर्गत पंच योजना सम्मलित हैं। जिनके नाम एवं उदेश्य अग्रांकित हैं।

2 ग्रामीण इंजीनियर योजना : 20 मई 2003 से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रांरभ की गई इस योजना के अन्तर्गत के राज्य के सभी 52 हजार गांव में एक–एक ग्रामीण इंजीनियर उपलब्ध कराने के लिये **52** हजार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रो में तकनीकी प्रशिक्षण दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि प्रदान किया जायेगा। इसके विशेष मॉडयूल भोपाल स्थित सेन्टर फॉर रिर्सच एण्ड इंडस्ट्रियल स्टाफ पर फारॅमेन्स द्वारा तैयार किया गया हैं। यह प्रशिक्षण राज्य में स्थित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों व पॅलिटेक्निक सस्थानों में प्रदान की जायेगी।

3 स्वास्थ्य सखी योजना : इस योजना के अंतर्गत आठवीं कक्षा तक पढी 18–35 वर्ष आयु की अनुसूचित जति की महिलाओं की मिड वाइफ के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा चयनित महिला को 500 रूपये प्रतिमाह भत्ता दिया जायेगा।

4 कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना : इस योजना में 2 अक्टूबर 2003 से लागू की गई। योजना पर प्रतिवर्ष

227 करोड़ रूपये के व्यय का अनुमान लगाया गया हैं। नई योजना के अंतर्गत पेंशन की पात्रता की उम्र को घटाकर 60 वर्ष किया गया हैं तथा पेंशन की मासिक राशि को 125 रूपये प्रतिमाह किया गया हैं। जिसका भुगतान छः माही आधार पर किया जाएगा।

5 सेनेट्री मार्ट योजना : इस योजना में सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा पर रोक लगाये जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए लोगो के पुनर्वास के उद्देश्य से सेनेट्री मार्ट योजना प्रारम्भ की गई। प्रकार से बेरोजगार हुए लोगो को सेनेट्री की दुकाने स्थापित करने के लिये 20 हजार रूपये से 2,50 लाख रूपये तक के ऋण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई।

6 किशोर बालिका योजना : बिहार सरकार ने 11 से 18 वर्ष लड़कियों कें पोशण तथा स्वास्थ स्तर में सुधार लाने एवं अनौपचारिक शिक्षा के जरिये उन्हें अक्षर एवं अंक ज्ञान देने के उद्देश्य से एक योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत 6400 रूपये से कम वार्षिक आमदानी वाले परिवारों की किशोरीयों सेवाएं प्राप्त करने की पात्र होती हैं।

7 अपनी बेटी अपना धन योजना_बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1994 सं हरियाणा सरकार ने अपनी बेटी अपना धन योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों की नवजात बालिकाओं के नाम से 2500 रूपये सरकार द्वारा इन्दिरा विकास पत्र के माध्यम से निवेश कर दिया जाता हैं। जो कि 18 वर्षो के पश्चात् लगभग 25000, रूपये के रूप में देय हैं।

8 देवीरूपक योजना : इस योजना का उद्देश्य राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के साथ–साथ लिंगानुपात में आ रही गिरावट को रोकना हैं। प्रजनन योग्य दम्पतियों, विशेषतः नव–विवाहितों को लक्षित करते हुये शुरू कह गई इस योजना के अंतर्गत जो दम्पत्ति पहली या दूसरी संन्तान के जन्म के बाद नसबन्दी कराएगें उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 500 रूपये तक कि राशि 20 वर्षो तक प्रदान की जाएगी।

9 शिक्षा आपके द्वार योजना : 6–4 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सक जोड़ने का साधन अभियान शिक्षा आपके द्वार राजस्थान में प्रारम्भ किया गया। शिक्षा एवं साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय इस अभियान का शुभारम्भ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 19 नवम्बर 2001 को किया।

10 कामधेनु योजना : इस योजना के अंतर्गत अपंग परित्यक्ता व निराधार महिलाओं को स्वरोजगाार उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान कि जाती है।

11 बालिका संरक्षण योजना : इस योजना का उद्देश्य संरक्षण एवं समाज में उन्हें सम्मान जनक स्थान दिलाने को राज्य सरकार ने एक बालिका संरक्षण योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की हैं। योजना में 60,000 से अधिक ऐसी बालिकाओं को लक्षित किया जायेगा, जो ऐसे निर्धनतम परिवारों की हैं जिनकी वार्षिक आय 11,000 रूपये से कम है।

12 प्रथम छतीसगढ़ महिला कोष : शासन द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये।" छतीसगढ़ महिला कोष" स्थापित किया प्रांरभिक तौर पर एक करोड रूपये की अंश पूंजी का प्रावधान किया हैं। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ तहिला कोष के शासी बोर्ड का भी गठन कर दिया। महिलाओं में उधमिता को बढावा देने के लिये मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की सुविधाए भी उपलब्ध कराई जाएगी। महिला कोष द्वारा महिलाओं एवं आर्थिक विकास के लिये अध्ययन–विश्लेषण तथा अनुंसंधान का कार्य भी हाथ में लिया जयेगा।

निष्कर्ष – महिला उधमिता के लिये सरकार द्वारा जो विशेष प्रेरणाएं दी जा रही है। महिला स्वतंत्रता की बात करो जैसे दिन प्रतिदिन नई –नई घोषित योजनाओं के बावजूद महिलाओं की स्थिती बरसों पूर्व जैसी ही हैं। हम जानते हैं कि बिना महिलाओं को उपर तथा पुरूषों के बराबर लाये देश का विकास नही हो सकता उससे सभी परिचित हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से महिला उतनी सफल नही हो पा रही जितना पुरूष उधमी ? महिलाओं की विशेष जिम्मेदारीयॉ/कठिनाइयों जो पुरूष उधमीयों के सामने नही होती। पुरूष उधमी तो प्राय कच्चे माल की समस्या श्रम समस्या, बिजली की समस्या, विपणन आदि की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। जबकि महिला उधमीयों इनके अलावा अनेक समस्याओं से जूझना पडता है। महिला उधमी में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होने के कारण उधमी के रूप में उनकी सफलता को प्रभावित करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ –

गुप्ता यू ,सी ,कैलाश प्रकाशन ,पुस्तक सदन भोपाल पेज नं 252

त्रिपाठी डॉ, नरेश चन्द् उधमिता विकास मथुरा प्रकाशन 2007 पृष्ठ नं 16 –17

महिला उधमी नई दिल्ली, योजना, पत्रिका

Biodiversity of Spider fauna with special reference to wheat crop in a particular area of Jabalpur

Soniya Vishwakarma and Dr. Krishna Pateria
Research Scholar, Department of Zoology, Govt. M.H. College Of Home Science & Science For Women, Jabalpur (M.P.) - 482001
Professor, Dept. of Zoology, Govt. P. G. College, Gadarwara (M.P.)

Abstract : This article present a study on the diversity of spider with special reference to wheat crop in a particular area of Jabalpur. In present investigation, 15 spiders collected from the study site. In present study out of which 15 species were identified belonging to 5 families. Family Lycosidae are represented by seven species *Hippasa lycosina,Lycosa masteri,Lycosa phipsoni , Lycosa himalyensis,Pardosa bimanica ,Lycosa tista, Pardosa annandalei* Whereas, Oxypidae includes *Oxyopes shweta ,Oxyopes javanus, Oxyopus macilentus,Oxyopes quadrifaciatus* and Salatidae consists of one sp. *Plexippus paykulli.*Tetragnathidae *Leucage decorata* and Araneidae reprents *Araneus diadematus, Araneus sturmi.*

Keywords - Spiders ,Wheat crop, Biodiversity.

Introduction- Spiders are an ancient and successful invertebrate, resides in all types of habitats worldwide. Spider diversity, distribution and their insect feeding habits play an important role in the balance of nature. Diversity generally increases due to presence of a greater variety of habitat .Spiders are more sensitive to the habitat changes such as habitat complexity, litter depth and microclimate characteristics. Spider plays an important role in the regulation of insect populations in many ecosystems (Sharma *et al.*, 2015). The current global list of spider fauna is approximately 42,055 belonging to 3821 genera and 110 families (Platnick ,2011). The spider fauna of India is represented by 1520 spider species belonging to 377 genera and 60 families (Sebastian and Peter, 2009). Agricultural entomologists recorded the importance of spiders as a major factor in regulating pest and they have been considered as important predators of insect pests and serve as a buffer to limits the initial exponential growth of prey population (Snyder and Wise, 1999; Nyffeler, 2000;Sigsgaard, 2000; Maloney *et al.*, 2003; Venturino, *et al.*,2008; Chatterjee *et al.*, 2009).

Material and Methods-

Study sites : The spider inventory studies were conducted from 2015 to 2016 at particular area (Kungwan) Jabalpur.All surveys were conducted in the morning hours between 7:00 am to 11:00 am and evening.

Preservation and Identification -
Collected spiders were photographed in life.Collected spider fauna were washed with xylene and each specimen was preserved in a separate vial in 70% alcohol. Identification was done by ZSI Calcutta.

Results and Discussion -
In present investigation, 15 spiders were collected from the study site. In present study out of which 15 species were identified belonging to 3 families. Family Lycosidae are represented by 7 sp. Lycoside *Hippasa lycosina,Lycosa masteri,Lycosa phipsoni, Lycosa himalyensis,Pardosa bimanica ,Lycosa tista, Pardosa annandalei* Whereas, Oxypidae includes 4 sp.*Oxyopes shweta Oxyopes javanus, Oxyopus macilentus,Oxyopes quadrifaciatus* ,and Salatidae consists of one sp. *Plexippus paykulli*.Tetragnathidae *Leucage decorata* and Araneidae *reprents Araneus diadematus, Araneus sturmi.*

Table-1: Showing family wise name of Species collected from Particular area (Kungwan) Jabalpur

S No.	Name of Family	Name of species
1.	Lycosidae	*Hippasa lycosina,Lycosa masteri,Lycosa phipsoni , Lycosa himalyensis,Pardosa bimanica ,Lycosa tista, Pardosa annandalei*

2.	Oxyopidae	*Oxyopes shweta ,Oxyopes javanus,Oxyopus macilentus,Oxyopus quadrifasciatus*
3.	Salticidae	*Plexippus paykulli*
4.	Tetragnathidae	*Leucage decorata*
5.	Araneidae	*Araneus diadematus Araneus sturmi*

Tikader (1987) also published the first comprehensive list of Indian spiders, which included 1067 species belonging to 249 genera in 43 families from the last three decades. Gajbe described 147 new spider species from different habitats of IndiaThe updated spider checklist given by Keswani et al. of SGB Amravati University Arachnology laboratory shows 1686 species from 438 genera and 60 families. According to world spider catalogue there are spiders of protected areas in India, are studied by Gajbe (1995a) in lndravati Tiger Reserve and recorded 13 species. Rane and Singh recorded five species and Gajbe 14 species from Kanha Tiger Reserve Madhya Pradesh. Gajbe prepared a checklist of 186 species of spiders in 69 genera under 24 families distributed in Madhya Pradesh and Chhattisgarh . Patel described 91 species belonging to 53 genera from Parabikulum Wildlife Sanctuary, Kerala. Patel and Vyas described 56 species of spider belonging to 34 genera and 18 families. He also carried out spider diversity in Vansda National Park . Manju Silwal et al. recorded 116 species from 66 genera and 25 families of spiders from Puma wildlife Sanctuary, Dangs Gujarat.

The present investigation helps in the management of spiders and related pests, and also plays an important role in the balance of environment in studied area.

References -

1.Chatterjee, S.;Isaia ,M. and Venturino,E.(2009).Spiders as biological controllers in the agro ecosystem.*Journal of Theoretical Biology* ,**258**:352-362.

2.Gajbe, P. (2003): Checklists of Spiders (Arachnid;Araneae) of Madhya Pradesh and C hattisgarh. Zoos. Print Journal 18 (10): 1223-1226.

3. Gajbe, U. A. (1995a): Spiders Fauna of Conservation Areas: Fauna of Kanha Tiger Reserve, Madhya Pradesh. Z000logical Survey of India, Publication: 27-30.

4. Gajbe, U. A. (1995b): Spiders, Fauna of Conservation Areas: Fauna of Indravati Tiger Reserve, Madhya Pradesh. Zoological Survey of India, Publication: 53-56.

5. Gajbe, U. A. (1999): Studies on some spiders of the family Oxyopidae (Araneae: Arachnida) from India: Records of Zoological Survey of India 97(3): 31-79.

6. Gajbe, U. A. (1987): A new scopodes spiders from India Araneae: Gnaphosidae). Bulletin of Zoological Survey of India. 8: 285-287.

7.Keswani, S.; Hadole, P.and Rajoria, A.(2012): Checklist of spiders (Arachnida: Araneae) From India 2012. Ind. j. Arachnol. Voil(1); 1-129.

8.Manju S.; B.Suresh and Bonny P.(2003): Spiders of Puma wildlife Sanctuary, Dangs, Gujarat. Zoos. Print Journal 18 (11): 1259 -1263.

9.Maloney ,D. Drummond,F.A. and Alford ,R.2003.Spider predation in agro ecosystem :can spiders effectively control pest population? (Main Agricultural and Forest Experiments Station) *Technical Bulletin*,190:30.

10.Nyffeler ,M(.2000).Ecological impact of spider predation:A critical assessment of Bristowe's and Turnbull's estimates.Bulletin of the British Arachnological Society ,11(9),367-373. .

11.Patel, B. H. and Vyas, R. V. (2001): Spiders of Hingolgadh Nature Sanctuary, Gujarat, India. Zoos Print Journal. 16(9): 589-590.

12.Platnick, N. I. (2011).The world spider catalog,version 11.5. American Museum of National History,online at http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog.DOI:10.5531/db.iz.0001.

13.Sebastian ,G.L. and N.L. Goel.(1995) New species of spider of genus Oxyopus Latreille from India.Entomon,20:71.

14.Sharma, S.;Vyas A.;Sharma, S.and Wast N.(2015).Biodiversity of spider fauna near narmada at Rajghta (Barwani),M.P.

15.Tikader, B. K. (1987): Hand book of Indian Spiders. Zoological Survey of India.

डिण्डौरी जिले में लघु उद्योगों का विकास

सतेन्द्र कुमार जैन (सहायक प्रध्यापक)

श्री गुरूनानक महिला महाविद्यालय, जबलपुर

डिण्डौरी जिला मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की सीमा में लगता है । यह पूर्व में शहडोल, पश्चिम में मण्डला, उत्तर में उमरिया और दक्षिण में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की सीमा से बनता है । यह जिला 25 मई, 1998 को अस्तित्व में आया है । यह जबलपुर से 144 कि.मी., मण्डला से 104 कि.मी. और अमरकंटक की पहाड़ियों से 88 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । यहॉ बैगा आदिवासी निवास करते हैं, जो कि काफी पिछड़े हुए हैं। नर्मदा नदी इस जिले के मध्य से होकर गुजरती है । इसका क्षेत्रफल 6128 वर्गमीटर है । मध्यप्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले पॉच जिलों में डिण्डौरी चौथे नम्बर पर है ।

औद्योगिक विकास : बैगा और गौंड़ जनजाति बहुल्य वाला यह जिला प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जिला मानवीय संसाधनों से भी ओतप्रोत हैं क्योंकि जिले की अधिकांश जनसंख्या बैगा और गोंड जनजाति वाली है जो बहुत अधिक शिक्षित तो नहीं है, लेकिन परिश्रमी, ईमानदार एवं लगनशील है। शासन द्वारा इस जिले को भी 'स' श्रेणी के उद्योग विहीन जिलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। यहॉ अभी तक एक भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं हुई है, जिसके कारण जिले का आपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है वर्ष 1999–2000 में जिले में 23 लघु उद्योगों की इकाईयों का पंजीयन हो चुका था, जिनमें 15.99 लाख रूपये पूँजी विनियोजन कर 52 व्यक्तियों को रोजगार उपलबध हो गया था । इन उद्योगों में प्रमुख रूप से चमड़ा, रेडिमेड वस्त्र व कढ़ाई, लकड़ी एवं लकड़ी पर आधारित फर्नीचर, अभियांत्रिकीय धातु पर आधारित स्टील, मरम्मत एवं रखरखाव की इकाईयॉं प्रमुख हैं।

डिण्डौरी जिले में लघु उद्योगों का विकास : डिण्डौरी जिला लघु उद्योगों की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। जिले में बाक्साइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमीनियम बनाया जाता है परन्तु इस पर आधारित कोई उद्योग जिले में स्थापित नहीं है। खनिज पर आधारित उद्योगों के लिये जिले में अच्छी संभावनाएॅ है। इसके अतिरिक्त मैदा, सूजी, बेकरी आइटम, लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के हस्त निर्मित उत्पाद, अगरबत्ती, दोना–पत्तल, आयुर्वेदिक दवाईयॉं, चिरौंजी, कत्था, प्राकृतिक गोंद, सोया, दूध व आटा आधारित उद्योगों की भी संभावनाऍ है। जिले में लघु उद्योगों का एक भी क्लास्टर नहीं है तथा एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। फिर भी वर्ष 1999–2000 से लघु उद्योगों की इकाईयों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, केवल वर्ष 2002–03 को छोड़कर इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका
डिण्डौरी जिले में पंजीकृत इकाईयों की वार्षिक प्रगति

	वर्ष	पंजीकृत इकाईयों की संख्या	रोजगार	विनियोग (लाखों रूपये)
पूर्व	2000-01	42	80	18.18
	2001-02	57	121	19.7
	2002-03	-	-	-
	2003-04	104	160	12.87
	2004-05	208	369	49.84
	2005-06	203	363	56.08
	2006-07	204	305	15.95
	2007-08	230	520	106.87
	2008-09	307	399	50.67

	2009-10	252	572	67
	2010-11	257	427	78.69
	Total	1864	3316	475.85

स्त्रोतः– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं इन्टरनेट

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिण्डौरी में सन् 2000–01 तक 42 इकाईयाँ पंजीकृत थीं, जिसमें विनियोग 18.18 लाख रू. व 80 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। वर्ष 2005–2006 में स्थापित पंजीकृत इकाईयों की संख्या 203 हुयीं। जिसमें 56.08 लाख रू. विनियोग हुआ व 363 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ था। 2010–2011 में स्थापित पंजीकृत इकाईयों की संख्या 257 थी, जिसमें 78.69 लाख रू. विनियोग हुआ व 427 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार 2010–2011 तक कुल पंजीकृत लद्यु उद्योग इकाईयों की संख्या 1607 थी, जिसमें कुल 475.85 लाख रू. विनियोग हुआ व 3316 कुल व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। अतः वर्ष 2002–03 को छोड़कर वर्ष प्रति–वर्ष लघु इकाईयों की संख्या में वृद्वि हुयी है।

इस प्रकार यदि डिण्डौरी जिले के पंजीकृत लद्यु उद्योगों में रोजगार 3,316 की तुलना वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार डिण्डौरी की कुल जनसंख्या 7,04,218 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) से की जाए तो जिले की जनसंख्या का केवल 0.47 प्रतिशत ही इन उद्योगों में कार्यरत है।

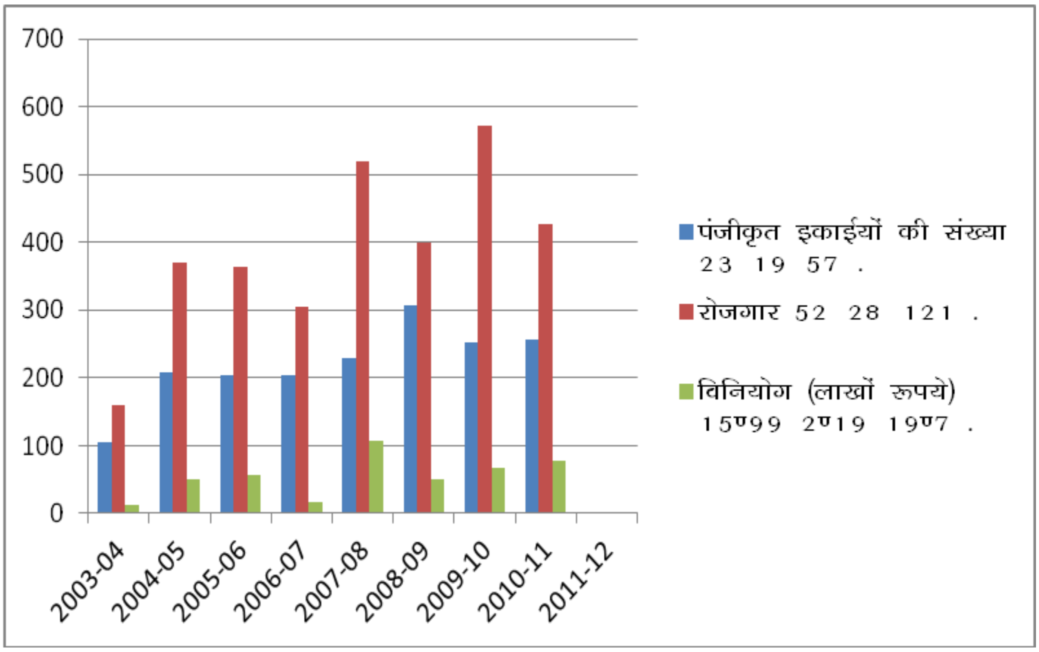

रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित

डिण्डौरी जिले में विकसित औद्योगिक क्षेत्र

जिले का पर्याप्त औद्योगिक विकास न होने का एक प्रमुख कारण जिले में एक भी औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र का न होना भी है। यहॉ एक भी वृहद व मध्यम उद्योग की स्थापाना नहीं हुयी है। जिले में रेल्वे की सुविधा का अभाव है। यहॉ सैकड़ो एकड़ भूमि खाली पड़ी हुयी है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इस भूमि का उपयोग करके उद्योगों में लगाया जा सकता है। अतः उद्योगों की असीम संभावनाएँ है।

A Comparative Study of Tagore's Gitanjali and Sri Aurobindo's Sonnets : As short devotional lyrics a Review of literature

Dr. Anju Pathak
Asst. Prof., S.G.T.B. Khalsa College, Jabalpur

A brief review follows the literature comparing the two great collections of short Indian devotional lyrics in English, with the main focus lying on their representations of the relationship of the human to the divine. It is believed that this comparison would help to establish the uniqueness of each as well as more completely to understand each poet individually. What is especially interesting is the fact that both poets turned to traditionary Indian religion and spirituality at a time when the cultural and religious hegemony of Europe left many educated Indians embrassed about their own culture and traditions.

Rabindranath Tagore's Gitanjali, like all his poetry, has received considerable literary and critical attention all over the world. As is well known he received the Nobel Prize for literature in 1913 for this collection of devotional poems. His almost equally famous contemporary Sri Aurobindo's poetry was religious and philosophical poetry has often admired but not so frequently read. Indeed, where Tagore's entire literary corpus is read, analysed and discussed every where, in India and abroad, Sri Aurobindo the poet is known primarily in India, and, generally speaking, for Savitri alone. His sonnets, then, have not received much critical attention.

While Tagore and Sri Aurobindo have occasionally been compared, it is usually as Indian or as Bengalis of that particular product of socio-cultural, as patriots, and as internationalists. Rarely has their poetry itself been compared, and to the best of this researcher's belief the lyrics of the Gitanjali and sonnets of Sri Aurobindo have never been compared. Yet, both poets share a common heritage of Vedic and Vedantic literature, as well as of English poetry, which both read with pleasure as part of their youthful studies. Indeed, Tagore and Aurobindo have much in common.

From the literary point of view both the Gitanjali and Sri Aurobindo's poetry mark a revival of poetic interest in religions, Spiritual and philosophical matters. This phenomenon, of how resistance to colonialism is often accompanied by a return to religion and spirituality, especially to those of the pre-colonial past, has often been noted by many post colonial theorists. While Tagore's Gitanjali usually read as belonging to the tradition of the Bhakti Movement as well as drawing considerably upon the reformist Brahma sect to which he belonged, Sri Aurobindo's religious and philosophical ideas developed out of his close and early knowledge of Christian and Western philosophies, which combined with his new interest in Sanskrit literature, especially the Upanishads, to which he was introduced as an adult.

Although Tagore wrote primarily in Bengali and Aurobindo in English, the former's Gitanjali, translated by the poet himself from the Bengali original, is like a "transcreation" rather than an ordinary translation, and was in fact regarded as a collection of devotional lyrical poems in English by contemporary Western readers. They can therefore well be read with Sri Aurobindo's sonnets, which are also religious and Spiritual lyrics; In fact, the Gitanjali and Sri Aurobindo's Sonnets may also be studied togeher as representative Indian English poems of the same period, which deal with similar themes. Both show the influence of the Vedas and the Upanishads as well as of Christianity, in particular the Psalms.

Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo were two of the greatest figures of the Indian Renaissance of the nineteenth century. Close contemporaries, both came from upper-class, well-educated families of Bengal. The Contribution of both to the Indian freedom movement was remarkable. Both were patriots as well as

internationalists; both were educationists, and above all, both were poet philosophers whose work continues to be read, admired and discussed even today. Moreover, both profoundly respected each other's intellectual and Spiritual achievements.

In order to compare the two collections of the poems it is important first to establish the contexts of the Gitanjali and Sri Aurobindo's Sonnets. As such, it is useful to beg in with a brief overview of the history the short devotional, religious and spiritual lyrics in India. It may be recalled that this kind of poem is very much a part of the everyday cultural devotional life of the religious minded Hindu even today.

OBJECTIVES OF THE STUDY :-

1. This is to compare Tagore's Gitanjali and Sri Aurobindo's Sonnets as short religious poem.
2. To Analyse religious and non-religious aspect of Rabindranath Tagore;s Gitanjali and Sri Aurobindo's Sonnets.
3. To Evaluate traditional impact of both the authors in analytical manner.
4. To examine the relationship between God and Man in poetic manner.
5. To study the Indian and foreign cultural effect on Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo.
6. To analyse intellectual and Spiritual effect.

M.T. Desai's Jawaharlal, Rabindranath Tagore and Aurobindo Ghose : A comparative study in their Internationalism. Book ID : 2578 ISBN – 10 : 81-87235-10-1/8187235101

It looks at the internationalism of three eminent Indians, Jawaharlal Nehru a Statesman. Rabindranath Tagore a poet and Sri Aurobindo an activist a philosopher and a Spiritual leader from comparative perspective Detailed study is made of their international thought and how they tried to promote internationalism in practice. He compares their internationalist perspective of these three with the Western perspective. As the authar rightly stresses, "The internationalist orientation in Nehru. Tagore and Sri Aurobindo could be seen even before India had become a nation state." The author tries to examine the causes of this orientation with reference to their Socio-cultural political background and the need of internationalism as felt by these great Indians in terms of world context and the Indian context. All the three also felt that India could make significant contribution to the cause of internationalism as it possessed certain assets and had responsibioities to fulfill.

Indrani Sanyal and Krishna Roy's edited anthology Sri Aurobindo and his contemporaries thinkers. D.K. Print world 2007 ISBN 8124604282

Following the publication of understanding Thoughts of Sri Aurobindo, Indrani Sanyal and Krishna Roy of the centre for Sri Aurobindo Studies, Calcutta have compiled a set of eighteen scholarly essays or Sri Aurobindo and his contemporaries in the additional context of what has been called the Bengal Renaissance. The term "Bengal Renaissance" was form of self inscription devised within this milieu itself and used to refer to its own historicity with its beginnings in the late 18^{th} Century and extending into second decade of the 20^{th} century.

Goutam Ghosal's book. The Rainbow Bridge : A Comparative study of Tagore and Sri Aurobindo 2007 ISBN9788124604182

Rainbow Bridge Tagore and Sri Aurobindo has been too insufficiently explored. There is no book as yet in English, which has attempted to integrate the two makers of the modern Indian Tradition. The book traces back the formative influences of the two mighty Bengalis growing up almost together without any intercin between them. The Divine is certainly an engaging passion for both of them. But they are not quite satisfied with God who stays far away from us hidden in the high for blue. They wish to catch Him in the net of their poetry and love and bring Him down here on this polluted and plundered globe. Goutam Ghosal tells the story of that magic pairing lucidly, keeping the balance throughout. He seeks for an integral view of the two masters, which comes out through his observations on their poetry and fiction.

The titles of these works involve the powerful cultural and psychological legacy of colonialism in what is often viewed as a postcolonial era. Ashis Nandy's The Intimate Enemy, is fully sensitive to the intertwined links between East and West, as well as to the pitfalls awaiting those who try to disentangle them. As Nandy notes in the preface to his to essays on India, colonization has ultimately generalized "the concept of the modern west from a geographical and temporal entity to a psychological category. Nandy argues that the British in India structured their imperial hegemony on two sets of polarities, the ideal of masculinity versus femininity, and that of adulthood versus childhood.

Ram, Atma, Sri Aurobindo Sonnets A thematic study Murality in Tess and other Essays : In Honour or Mulk Raj Anand 1995-1996 ISBN-81-7099-610-4

Sri Aurobindo was a prolific writer. In a very short time, apart from short and long poems, Sonnets and lyrics, he also composed the prose epic. The life Divine (1939-40). Some of his short and longer poems, and especially the Sonnets, have remained singularly untouched. In volume V of Commemorative Volumes set brought out by Sri Aurobindo. Trust in 1971, as many as seventy seven Sonnets have included. Of these Fifty Nine sonnets are dated. These dated Sonnets are characterized by symbolism, transcendentalism and spiritualism. In this article endeavor our is to examine in brief the thematic content of these 'dated' Sonnets.

The religious, spiritual and philosophical lyric has had a long history in all cultures, and goes back to the period of oratify and indeed of poetry and music themselves.

Rabindranath Tagore and Sri Aurobindos had much in common as regards the social and intellectual climate of the period in which they lived, the religious denomination to which they both belonged Brahmo samaj and West throughout their lives. But the kind of religious and philosophical poetry each wrote was very different. This was perhaps due to individual temperament as well as to the different circumstances in which they were raised. For instance Tagore grew up at home in a large joint family, the members of which were greatly, exposed to western culture. But his father was great Vedic and Vedantic Upanishadic Schalar and inculcated knowledge of these ideas into the poet right from his childhood. Bengali was always his first language and his Gitanjali is basically on translation of the Bengali Gitanjali. But the translation is frequently so different from the original that is fairer to called it a "Tran creation", owing as much to the prose poetry of the biblical Psalms and Song of Psalms as to Bhakti movement..

It is also clear that if Tagore's English in the Gitanjali is not English of a nature speaker of the language. For Tagore Bengali was his mother tongue and his 'transcreation' in the 'Gitanjali amply bears this out. His imagery is throughout traditional in Bhakti poetry, where as Sri Aurobindo's Sonnets has many echoes from European poetry. As has been pointed out earlier English was Sri Aurobindo's first language, and he wrote English poetry as a nature speaker.

That is why even when he uses Indian Imagery it does not sound exotic in the way. Tagore's poetry appealed to W.B. Yeats and best of his time. Both prose poetry and the sonnet Western and Origin and it is interesting to see how the two Indian poets have made there two verse forms the vehicles for expressing traditional Indian and Hindu ideas. Tagore's poetry in the Gitanjali achieves Upanishadic heights of abstract truths through the concrete and the particular of everyday life is best Bhakti traditions. That is, he combines within himself both his tradition. Sri Aurobindo's Sonnets on the other hand are not devotional. They combine the influence of Vedantic and Western religious poetry. In this respect, and in some ways he is closer to the tradition of Brahma Sangeet or even to the religious poetry of Swami Vivekananda then to Rabindranath Tagore.

Over all, it is hoped that this research work will have pointed out the similasities and the differences in the song of Gitanjali and sonnet of

Sri Aurobindo's and have shown all Indian religious lyric in English can encompass so much of variety.

REFERENCES :-

1. Aurobindo, Sri : Collected poem. The complete poetical works : Short Poems, Sonnets: Longer poems Volume V. Sri Aurobindo Birth Centenary Library. De Luxe Edition Pondicherry. Sri Aurobindo Ashram Trust, 1971, Print.
2. Gupta, Nolini – Seer Poets, Rabindranath and Sri Aurobindo. The Modern Review : July 1928. (www.searchforlight.org/.....Rabindranath/.20 Sri Aurobindo.htm)web.
3. Mc Dermott, Robert A. The Legacy of Sri Aurobindo, Cross Currents Vol. XXII, 1972. Print.
4. Nandy, Ashis, The Intimate Enemy. Loss and Recovery of self Under Colonialism. Delhi. Oxford university Publication, 1999. Print.
5. Roy, Choudhary Roy. The Dancer by Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo's. All Shall be Might and bliss and happy force Savitri Book VII, Canto IV 15 Aug. 2010. Print.

ग्रामीण विकास और महिला जन प्रतिनिधियों की भागीदारी

डॉ. नीता ठाकुर
सहायक प्राध्यापक, नचिकेता इंस्ट्रीट्यूट एंड मैजेनमेन्ट, जबलपुर

भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना आसान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में वस्तुत, ग्रातीण विकास को क सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना आवश्यक है। बढती जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, भूमि तथा अन्य सभी संसाधनों का असामान्य बंटवारा, सामाजिक अन्याय जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीण भारत के विकास में बाधक है। महात्मा गांधी ने सच कहा था कि – भारत का आधार और आत्मा गांव हैं। यदि भारत का विकास करना है तो गांवों तथा ग्रामवासियों का विकास करना होगा।

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर के सन् 2012 के अध्ययन से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से होने वाले लाभ और कठिनाईयों को तालिका 1 और 2 में विवेचित किया गया है।

तालिका–1

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से होने वाले लाभ

क्र.	लाभ	पुरूष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	कर्मचारी प्रतिशत
1.	विचार व्यक्त करने का अवसर	46	64	71
2.	घर से बाहर की जानकारी में वृद्धि	27	52	58
3.	आत्म विश्वास एवं आत्म सम्मान में वृद्धि	30	39	58
4.	विकास मुद्दों का व्यापक होना	11	25	39
5.	कोई लाभ नहीं	43	18	16

तलिका –1 से स्पष्ट है कि एक तिहाई पुरूषों एवं दो तिहाई महिलाओं तथा कर्मचारियों का मानना था कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से उनको भी विकास प्रक्रिया में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। लगभग आधी महिलाओं और कर्मचारियों तथा एक चौथाई पुरूषों ने बताया कि आरक्षण द्वारा पंचायतों में पहुंच जाने से महिलाओं में घर से बाहर की जानकारी बढ रही है उनमें समझदारी बढ रही है। पंचायत बैठकों में उन्हें विकास कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है।

एक तिहाई पुरूषों एवं महिलाओं तथा आधे से अधिक कर्मचारियों ने बताया कि पंचायत में आने से महिलाओं का आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बढा है हॉलाकि अभी बहुत कम महिलाएं ही सक्रिय रूप से पहल कर रही है। कुछ लोगों का यह भी विचार था कि आरक्षण द्वारा महिलाओं के पंचायतों में आने से विकास के मुद्दों में व्यापकता आई है। उनका कहना था चूंकि बहुत से मामलों में (जैसे – घर संबधी) को महिलाएं, पुरूषों की अपेक्षा बेहतर समझाती है और उनका ध्यान इन मुद्दों पर अधिक रहता है। अतः महिलाओं के आने से इन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले अधिकतर पढे लिखे लोग थे।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग आधे पुरूषों का यह मानना था कि आरक्षण द्वारा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना था कि पंचायतों में अधिकतर महिलाएं निष्क्रिय रहती है। ग्रामीण समाज में महिलाओं को विकास संबंधी कार्यो की कोई समझ नहीं रहती है और जो कुछ वे मीटिंग में बोलती भी है वह वही होता

है जो उनके घर वाले बताकर भेजते है अतः उनके पंचायतों में चुने जाने से पंचायतों में उनकी संख्या तो बढ गयी है किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ।

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी में कठिनाईयां – लगभग आधे पुरूषों तथा एक–चौथाई महिलाओं एवं कर्मचारियों का मानना था कि पंचायत गतिविधियों में समय देने के कारण घरेलु कार्य की उपेक्षा हो रही है। (तालिका–2) कुछ लोगों का मानना था कि कुछ गरीब परिवारों में महिलाएं भी आर्थिक गतिविधियों में हाथ बंटाती है। अब आरक्षण द्वारा उनके पंचायतों में चुने जाने से ऐसे परिवारों में उनकी आर्थिक गतिविधियां में कमी आयी है।

तालिका – 2

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से होने वाली कठिनाईयां

क्र.	कठिनाईयां	पुरूष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	कर्मचारी प्रतिशत
1.	घरेलु कार्य की उपेक्षा	51	27	26
2.	गरीब परिवारों में आर्थिक गतिविधियों में कमी	37	25	26
3.	महिला होने का अनुचित लाभ उठाना	39	0	22
4.	पुरूषों को पंचायत कार्य के अवसरों में कमी	6	0	0
5.	पंचायतों में विवादों में बढोतरी	30	18	29
6.	कोई कठिनाई नहीं	22	48	58

काफी संख्या में पुरूष प्रतिनिधियों ने बताया कि महिलाएं कभी–कभी उचित बात पर भी सहमत नहीं होती है जिससे अनावश्यक परेशानी पैदा हो जाती है। कोई भी महिला इससे सहमत नहीं थी।

एक चौथाई से अधिक पुरूषों एवं कर्मचारियों ने बताया कि महिलाओं के पंचायतों में से चुने जाने से पंचायतों में विवाद बढ रहे है। उनका कहना था जब महिलाओं का साथ उनके परिवार का कोई सदस्य पंचायत कार्य में हस्तक्षेप करता है तो अन्य प्रतिनिधि इसका विरोध करते है जिससे कभी विवाद पैदा हो जाता है। कुछ पुरूषों का विचार था कि महिलाओं की भागीदारी से पुरूषों के अवसरों में कमी आयी है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष एवं सुझाव :– शोध कार्य सम्पन्न होने पर तथा शोध प्रतिवेदन के विस्तृत आधार रूप को तैयार करते समय यह अत्यन्त आवश्यक है कि सम्पूर्ण शोध कार्य के सारभूत निष्कर्षो को यथासंभव संक्षिप्त स्वरूप देकर प्रस्तुत किया जाय ताकि कोई भी अध्ययनकर्त्ता उसे आसानी से ग्रहण कर सकें साथ ही शोध के संदर्भ में निष्कर्षो के साथ अध्ययन के आधार पर अनुभूत तथा मौलिक सुझावों का भी प्रस्तुतिकरण अपेक्षित होता है। अतः इस अध्याय में शोध के सम्पूर्ण विश्लेषण पर आधारित निष्कर्षो सुझावों को पृथक प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तुत शोध कार्य ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी म.प्र. में दमोह जिले के संदर्भ में किया गया है। अध्ययन के लिये दमोह जिलेकी 7 तहसीलों के 1778 गांव को निदर्शन पद्वति द्वारा चयन कर 280 महिलाओं और 10 कामकाजी महिलाओं का वैयक्तिक अध्ययन करके प्राथमिक तथ्य एकत्र किये गये प्राथमिक तथ्यों का कर प्राप्त तथ्यों के निष्कर्ष निम्नानुसार है–

1. आयु संरचना के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 67.5 प्रतिशत संख्या 25 से 45 वर्ष की युवा महिलाओं की है।
2. अध्ययन से स्पष्ट है कि दमोह जिले में शिक्षित महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिशत प्रायमरी तक 25 प्रतिशत महिलाएं का है कि 39.28 प्रतिशत है।

सुझाव :– विश्व की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या की 50 प्रतिशत होते हुए भी इन्हें उपेक्षित, दयनीय, पिछडा हुआ एवं द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। यही कारण है कि विश्व के मंच पर जहिलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठी एवं सम्मेलन का

आयोजन किया जाता है। इन्हीं कार्यक्रमों में महिलाओं को अनेक अधिकार दिये गये हैं। जिसके कारण महिलाओं की भागीदारी बढी है।

यूरोप में महिला आंदोलन के जनक जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक Subjection of Women में स्पष्ट लिखा है "कि महिलाओं के साथ किये जा रहे असमान व अमानवीय व्यवहार को यथाशीघ्र बदलना होगा उन्हें पुरूषों के समान सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार देकर ही समाज का सर्वागीण विकास संभव होगा।"

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिम्से एन.एल. (1947) एलीमेन्टस ऑफ रूरल सोसायटी थामस वाय कार्न बल के. न्यूयार्क।
2. Goode, W.G. and P.K. Hattele (1952). Methods in Social Research W.Y.
3. कपाडिया के.एम. (1955) मैरिज फेमिली इन इंडिया आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बॉम्बे
4. देसाई नीरा (1957) बी.मेन इंडिया वोरा पब्लिकेशन्स बॉम्बे
5. देसाई ए.आर. (1958) इएिडयाज चेजिंग विपेज, कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क

मध्यान्ह भोजन योजना का नवीनीकरण तथा केन्द्रीय सहायता

कु. सांत्वना अग्रवाल
शोधकर्ता ग्रामीण विकास विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

मध्यान्ह भोजन योजना एक अत्यंत जनोपयोगी योजना है जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1955 को लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी, परिषदीय, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 03 किग्रा. गेहूँ अथवा चावल दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी। किन्तु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बांटा जाता था, क्योंकि पूर्व में पके–पकाये भोजन की व्यवस्था नहीं था। इससे छात्र को वांछित पोष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर 2004 से पका–पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों मे उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007–2008 मे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 1.94 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन पका–पकाया भोजन विद्यालय मे दिया जाना प्रस्तावित है। 15 अगस्त 1995 में पहले देश के 2408 ब्लाको में शुरू किया गया। वर्ष 1997–98 के अंत तक NPNSPE को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया।

अद्यतन स्थिति :– गैर सरकारी संगठनों को (NGO) आउट सोर्स करना– शहरी क्षेत्रों में विद्यालय प्रांगणों में जहाँ गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/केन्द्रीकृत रसोइयों जो कि बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने में संलग्न है, के लिए रसोई–सह भंडार के लिए स्थान नहीं है। इस महत्वपूर्ण योजना में मिड डे मील की आपूर्ति को गैर सरकारी संगठनों को (NGO) आउट सोर्स किया गया है मिड डे मील के दिशा निर्देश पंचायतीराज संस्थानों , स्वयं सहायता समूहों, माता संगठनों और स्थानीय समाज की सहायता से मिड डे मील को रसोइये–सह–सहायक की सहायता से स्कूल के रसोई–सह–भंडार में पकाने पर जोर देते है। वर्तमान संगठन संलग्न है। इस कार्यक्रम में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 185 और 102 है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संलग्न गैर सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के संबंध में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि मिड डे मील दिशा निर्देश के अनुसार संलग्न गैर सरकारी संगठनों के मानदण्ड निम्न प्रकार है–

1. गैर सरकारी संगठन को आपूर्ति कार्य आवंटित करने का निर्णय सरकार द्वारा अधिकारित संस्था लेगी जैसे ग्राम पंचायत, वी.ई.सी/एस.एम.सी/पी. टी.ए., म्युनिसिपल कमेटी/कॉरपोरेशन आदि। एजेंसी को सोसायटी एक्ट के तहत अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए और यह कम से कम पिछले दो वर्षो से अस्तित्व में होना चाहिए। इसके पास सामूचित रूप से गठित प्रबंधक/प्रशासकीय ढ़ांचा होना चाहिए, जिसके कार्यो और अधिकारों इसके संविधान से स्पष्ट उल्लेख हो।

2. गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय निकाय के मध्य होने वाले अनुबंध/समझौते में पक्षों का उत्तरदायित्व और प्रदर्शन न करने पर उनके प्रतिफल परिभाषित होने चाहिए। बच्चों के लिए गैर–सरकारी संगठन द्वारा आपूर्ति किए जा रहे भोजन की मात्रा और गुणों की जांच और निरीक्षण की सरल व्यवस्था का होना भी इसमें शामिल होना चाहिए।

3. चयनित मिड डे मील आपूर्तिकर्ता बगैर किसी लाभ के आधार पर आपूर्ति करेगा और कार्यक्रम अथवा उसके किसी सहायक हिस्से का उप ठेका किसी अन्य को नहीं सौंपेगा।

4. इस प्रकार की मिड डे मील योजनाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष एक विश्वसनीय मूल्यांकन व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के साथ हुए समझौते का अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण वर्तमान वर्ष में उसके प्रदर्शन के संतोषजनक पाए जाने पर निर्भर होना चाहिए।

मध्यान्ह भोजन का उद्देश्य :–

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अर्द्ध प्राथमिक विद्यालयों ई.जी. एस.एवं ए.आई.ई. केन्द्रों में अध्ययनरत् बच्चों को पोष्टिक भोजन उपलब्ध करना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ना।
4. प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों में विद्यालय से रूकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप आउट रेट कम करना।
5. बच्चों में भाई–चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन करना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

मध्यान्ह भोजन योजना का नवीनीकरण :– बारहवीं योजना के दौरान माध्यान्ह भोजन योजना (MDMS) का निम्न प्रकार से सुधार करने का प्रस्ताव है–

1. मध्यान्ह भोजन योजना का जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में विस्तार।
2. प्राथमिक विद्यालयों की परिसरों में स्थित पूर्व–प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस योजना का विस्तार। मौजूदा घटको 'या स्कूलो के लिए सहायता के तौर तरीकों का संशोधन।
3. उत्तर पूर्वी प्रदेश (NER) को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए माल वहन सहायता का संशोधन इसका 75 रूपए प्रति क्विन्टल की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 150 रूपया प्रति क्विन्टल की गई है।
4. वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान रसोइए सहायकों का मानदेय 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपया और वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान रसोइया–सहायक का मानदेय 2000 रूपये प्रति माह किया गया है।
5. खाद्यान्न लागत, खाना पकाने की लागत, माल वहन सहायता तथा रसोइया सहायक को मिलने वाले मानदेय के लिए कुल पुनरावर्ती केन्द्रीय सहायता के तीन प्रतिशत की दर से प्रबंधन निगरानी और मूल्यांकन दरों का संशोधन।
6. नए स्कूलों के लिए किचन की बर्तन खरीदने और हर पांच साल बाद किचन के बर्तनों को बदलने के लिए 15000 रूपये प्रति स्कूल की दर से केन्द्रीय सहायता की पद्धति का संशोधन/सहायता की यह राशि केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात से और उत्तर –पूर्वी प्रदेश के राज्यों में 90:10 के अनुपात से वहन की जाएगी।

केन्द्रीय सहायता के संघटक :– इस समय मध्यान्ह भोजन स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है–

1. प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाद्य निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आपर्ति केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करती है।
2. 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात् अरूणांचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और त्रिपुरा) के लिए दिनांक 01/12/2009 से इनमें प्रचलित पी.डी.सी. दरों के अनुसार परिवहन सहायता 1 अन्य राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए 75/– प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय खाद्य निगम से प्राथमिक स्कूल तथा खाद्यान्न के परिवहन में हुई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।
3. दिनांक 01/12/2009 से भोजन पकाने की लागत (श्रम और प्रशासनिक प्रभार को छोड़कर) प्राथमिक बच्चों के लिए 2.50 रूपये की दर से और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 3.75 रूपये की दर से प्रदान की जाती है और दिनाक 01/04/2010 तथा दिनांक 01/04/2011 को इसे पुनः 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। 1 जुलाई 2016 से इन दरों में फिर से परिवर्तन किया गया है और परिवर्तित दरें नीचे दी गई है। भोजन पकाने की लागत की केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य हिस्सेदारी 90:10 के आधार पर है और अन्य राज्यों/संघ राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर वहन की जाएगी। तदनुसार केन्द्र की हिस्सेदारी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की न्यूनतम हिस्सेदारी वर्ष 2016–17 के लिए इस प्रकार है–

स्तर	प्रति भोजन कुल लागत	1 जुलाई 2016 प्रति बालक प्रति स्कूल खाने बनाने के खर्च गैर पूर्वोत्तर राज्य (60.40)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10) केन्द्र राज्य
		केन्द्र	राज्य	
प्राथमिक	4.135	2.485	1.655	3.725 0.415
उच्च प्राथमिक	6.185	3.715	2.475	5.565 0.125

भोजन पकाने की लागत में दालों सब्जियों, भोजन पकाने के लिए तेल और मिर्च–मसालों, ईधन इत्यादि की लागत शामिल है।

4. पूरे देश में किचन–कम–स्टोर के निर्माण की प्रति विद्यालय 60,000 रूपये की एक समान दर के स्थान पर दिनांक 01/12/2009 से निर्माण लागत की कुरसी क्षेत्र मानदण्डों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित राज्य अनुसूची दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। किचन–कम–स्टोर की निर्माण लागत की हिस्सेदारी केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर की जाएगा। इस विभाग ने दिनांक 31/12/2009 के अपने पत्र 01/01/2009 + डेस्क (ए.डी.एम.) के जरिए 100 बच्चों तक स्कूलों में किचन–कम–स्टोर के निर्माण हेतु 20 वर्ग भी का क्षेत्र निर्धारित किया है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों तक के लिए 4 वर्गमीटर अतिरिक्त कुरसी क्षेत्र जोड़ा जाएगा। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर 100 राज्यों के स्लैब को संशोधित करने का अधिकार होगा।

5. 5000 रूपये प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। किचिन के सामान में निम्नलिखित शामिल है– भोजन पकाने का सामान (स्टोव, चूल्हा, इत्यादि) खाद्यान्न और अन्य सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर भोजन पकाने और वितरित करने के बर्तन।

6. दिनांक 01/12/2009 से रसोइयें–कम–सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय की 100 रूपये प्रतिमाह करना और 25 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक रसोइये–कम–सहायक, 26 से 100 विद्यार्थी वाले विद्यालयां में दो रसोइये–कम–सहायक और अतिरिक्त रसोइये–कम सहायक की नियुक्ति करना। रसोइये– कम सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के मध्य हिस्सेदारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75:25 के आधार पर होगी।

7. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम के प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) के लिए सहायता (क) खाद्यान्न (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (च) रसोइया–सह–सहायक को मानदेय के लिए कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत (क) खाद्यान्न (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया– सह–सहायक को मानदेय की कुल सहायता तथा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

UNICEF, An Analysis of the Situation of children in India, Draft Report, 1981.

Food Aid to Education and Training, WFP, Rome, 1970.

Right to Adeqtiate Food as a Human Right, Centre for Human Rights, United Nations, New York, 1989.

The World Health Organisation, the United Nations, 1946.

UNDP, Human Development Report, 2005, New York.

UNICEF, Statistical Profile of Children and Youth in India, November 1975.

A Study Of Non Performing Assets In Indian Banks
A Cause Of Concern

Author
Mrs. Mona Jain
Assistant Professor In Management, Shri Ram Institute Of Technology, Jabalpur (M.P.)

INTRODUCTION :- In every economy in the world, banks have been playing a vital role of channalising financial resources through receiving deposits and giving credits. The role of banks in channalising the deposits for economic activities carries varied types of risk in different credit instruments / debt instruments or credit marketing by banks. In India banker's lending policies and procedures are directed & guided by RBI or the Ministry of Finance from time to time. With all the above directional support and guidance even Public Sector Bankers carry more than a significant risk in their lending processes. The debt management is also identified as NPA mgmt, the moment it falls in the category of non payers. The loss incurred due to NPA is a symbol of lethargy or improper management of lendings made by bankers. Though it is said that in India, bankers investigate properly and put their best efforts to recover debts from the customers, the Indian scenario of NPA and its management describes that in past 6-8 years, the trend of NPA has increased. There has been a liberal approach of lending money by banks to attain respective targets, on the other side the competitive attitude of Private Sector Banks became the important factor to cope with, which resulted in bankers to be liberal in all type of financing by them. As per the standards the banks must try to maintain it below 2% whereas in past 5 years the NPA percentage figure had reached above 6% in some cases of PSB. The issue of NPA highlights the following of lending norms and loan cases investigations and interpretation & judgment of loan officer of banks & subsequently the internal and external economic environment and intentions of loanee can be underlined as important aspects that may be creating good debts or bad debts by the bankers.

The need of the hour is NPA Management. The Management of NPAs means to deal with the problem loans efficiently and to settle NPA accounts in the books. In simple terms, it focuses on the method of settlement of NPAs account. The methods may differ from bank to bank, but the bankers should adopt corrective measures proactively in credit management as well as NPA management.

It is high time for all concerned to recognize this gigantic problem and reframe the regulatory measures, strengthen the legal system and create credit discipline and loan repayment culture so as to make the Indian Banking System vibrant in the effective management of NPAs.

KEY WORDS :- Non Performing Assets (NPA), Public Sector Banks, Credits, RBI, Loans, Advances.

CONCEPT OF NON PERFORMING ASSETS (NPA) :- In the year 1992-93, when the RBI introduced ‘Prudential Norms for Income Recognition Asset Provisioning Classification and Pertaining to Advances’, on the recommendations of the Narasimham Committee the concept of NPA came into picture and the categories of NPA were originated. According to the Prudential Norms laid down by the RBI.[1] An asset is considered as "non-performing" if interest on installments of principal due remain unpaid for more than 180 days (from March 31, 2004 it has been decided to adopt the 90 days, overdue norm for identification of NPAs). In simple words, it can be said that in asset is treated as performing asset, as long as the expected income is realized from the asset, but when it fails to generate income on due date it is farmed as a non performing asset.[2]

The 90 days overdue norm for identification of NPAs instead of 180 days has been adopted from the year ending March 31st

2004. This was done by the RBI with an intention to ensure greater transparency and also to be compliant with the international best practices.

3.4.3 DEFINITIONS of NON PERFORMING ASSETS by RESERVE BANK OF INDIA (RBI)

The Non Performing Assets may be defined as :[3]

A. An asset, including a leased asset, becomes non performing when it ceases to generate income for the bank.

B. A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

i. interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,

ii. the account remains 'out of order' as indicated in point 'D' below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),

iii. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

iv. the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,

v. the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,

vi. the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

vii. in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.[4]

Non Performing Assets have always been a serious matter of concern to bankers. The issue of NPA is a tool of measuring operational efficiency of banks as well, whereas the reasons for the incurrence of NPA are many fold. Some analysists have categorized the reasons on the basis of Random & Non Random, Specific Business wise, Specific Institutions Environment wise, Size of Business wise, Intentions of Borrower wise etc.[5] There may by many combinations of responsible factors, hence components of individual factors and its impact and weightage may differ from case to case.

IMPLICATIONS OF NPAs FOR THE ECONOMY :- The prosperity of any country depends upon its prosperous economy, which in turn relies upon is vibrant banking system. For maintaining the over all stability of the financial system of the country, the development of round and healthy financial institutions specially banks is required. The vitality of the Indian banking system, particularly Public Sector Banks which controls 70% of the banking business, is threatened by the rising NPAs.[6] The bank credit acts as a catalyst to the economic growth of the country and hence any hinderance in the smooth flow of credit will surely create adverse impacts on the economy. The high NPAs in the banks and financial institutions block much of the funds of the financial system thereby affecting the lending - repaying - borrowing cycle of the economy.[7] The banks have to repay to their depositors and others from whom they borrows money. In case of delay/ default on the part of the bank's borrowers to repay, the banks have to borrow additional funds to repay back to their creditors and borrowers. Thus a situation arises, where banks are reductant to finance new projects or even the ongoing ones and utlimately the financial system is choked. This adversely affects the economy due to the slow down of credit to the various economic sectors. Hence the rising NPAs have devastating effect on the economy.

An Overview of Non Performing Assets in Indian Banks :- After the independence of the country it was aimed to develop the Indian economy under 5 year plans with socialistic pattern of vision of the government in which the role of the banking sector was defined as a catalysts agent in providing funds to the various segments of the economy. The role of the banking sector directed by RBI under the influence of the government for the various purposes, NPA were the prime concern for the bankers in India right from their inception.[7] The bankers had to operate under the pressure of

not allowing NPAs for more than a specified percentage of the total finances under the various schemes including the government of India's social welfare and poverty elimination schemes too.[8] The following are some important aspects and contemporary issues which describe the journey of Non Peforming Assets and their management by the Indian Banking Sector.

Non Performing Assets status Quantity and Quality in Public Sector Banks :-

The Indian Banking Industry has been working in 4 tier operation systems named as :

1. Banking in Metropolitan Cities
2. Banking in Urban Area
3. Banking in Semi Urban Area
4. Banking in Rural Area

The role of commercial banks was spread in above of four geographical area in which bankers opened their branches on need basis or on the directions of RBI or the Ministry of Finance of Government of India to meet the Government Commitments for various socio-economic schemes for the upliftement of poor people living below poverty line.[9] The Public Sector banks in India have played a significant sole in all the above four segments and have given credits to the Priority and Non Priority Sector and also to the Government of India. The table 1 given below provides an outline of description of number of offices branches opened by Scheduled Commercial Banks upto March 2014 and number of accounts opened in the above 4 geographical segment and also the amount of deposits received from the above segments

TABLE 1
DEPOSITS AND CREDIT OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ACCORDING TO POPULATION GROUP (AS ON MARCH 2014)

(Amount in Rs Million)

POPULATION GROUP		DEPOSITS		CREDIT		CREDIT (Non Food Credit)*	
	No. of Offices	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount Outstanding	No. of Accounts	Amount Outstanding
RURAL	44,653 (36.9)	406,624,148 (33.1)	7871511.1 (9.9)	47,896,289 (34.5)	5246133.8 (8.4)	47,896,170 (34.5)	4754154.5 (7.7)
SEMI-URBAN	31,663 (26.2)	340,522,129 (27.8)	11410772.1 (14.3)	38,289,872 (27.6)	6640959.4 (10.6)	38,289,836 (27.6)	6580224.0 (10.6)
URBAN	23,386 (19.3)	231,521,152 (18.9)	17140100.3 (21.5)	19,800,527 (14.3)	10053428.4 (16.0)	19,800,497 (14.3)	10032992.9 (16.2)
METROPOLITAN	21,263 (17.6)	248,042,742 (20.2)	43134828.7 (54.2)	32,764,194 (23.6)	40880302.6 (65.1)	32,764,152 (23.6)	40478050.4 (65.5)
ALL-INDIA	**120,965 (100.0)**	**1,226,710,171 (100.0)**	**79557212.2 (100.0)**	**138,750,882 (100.0)**	**62820824.3 (100.0)**	**138,750,655 (100.0)**	**61845421.8 (100.0)**

* Exluding credit extended for Food procurement

Source: Basic Statistical Return Tables of RBI, 2014

The above table indicates that largest number of branches (44633) which is 36.9% of total branches opened in India are situated in rural areas and the largest number of accounts are opened 406624148 which is 33.1% of total accounts opened in the country in the rural sector. Subsequently the second largest number of accounts are opened in semi urban areas of the country i.e. 340522129 which is 27.8% of total accounts opened in the country. The figure of deposits are largest from metropolitan areas which represents 54.2% of the total deposits of the country amounted to Rs. 43134828.7 million . Rural area contributes 9.9% of total deposits. On the contrary the urban area accounts which were lowest in number contributes significantly 21.5% of total deposit. The above table further provides a unique phenomenon regarding credit accounts. With a minimum contribution of 9.9% in deposits rural sectors credit account are the largest. On the other side the metropolitan area credit accounts are 23.6% of total credit accounts represented by 32764194 accounts, but enjoys the largest amount of credit outstanding i.e. Rs. 40880302.6 million, this is 65.1% of the total outstanding amounts against . The table reflects the direction of outstanding headed by metropolitan of accounts gradually urban semi urban and rural areas are ranking and enjoying credits from Scheduled Commercial Banks in India. The above picture is an indication of bankers role in canalizing the capital into the economy. With largest number of accounts of credits in rural areas of the country are given lowest amount of credits among all 4 categories whereas this must be representing agricultural financing also. In total with rural and semi-urban areas combinally credit enjoyed is 19% whereas deposits provided by these two areas is 24.2% the Indian bankers are lending money to non agriculture sector on priority. The reason maybe that agricultural sector carries higher rate of risks of non recovery and does not promise assured returns to bankers. Hence volume wise rural sector is leading the table but value - wise metropolitan and urban sector has the lead. This is a unique aspect of movement of deposits and credits in the Indian Economy.

NPA Compositions of Public Sector Banks in India (A 10 years study) :- Banks credits are may fold and for many purposes According to banks classifications credits are been classified into (i) Credits to Priority Sector, (ii) Non priority Sector, (iii) Credit to Public Sector, (iv) Total Credit. It is important to make a comparative study of NPA contribution segment wise.[10] This indicates trends, and shows banks performance and also guides for future credit policies to be adopted.

The Table 2 given below provides 10 years data of NPA of PSBs including Nationalized Banks regarding composition of NPA in various sector credits / lending. The scenario of NPA in Indian Nationalized bank seems to be of mixed.

TABLE 2
NPA COMPOSITIONS OF PUBLIC SECTOR BANKS IN INDIA
(2004 TO 2013)

(Amount in Rs. Billion)

Bank group/ Years	Priority Sector		Non-priority Sector		Public- Sector		Total
	Amount	Percent Share	Amount	Percent Share	Amount	Percent Share	Amount
Nationalised Banks							
2004	167.05	47.74	178.95	51.14	3.90	1.11	349.90
2005	163.81	51.17	153.46	47.94	2.83	0.88	320.09
2006	151.24	53.66	122.53	43.48	8.08	2.87	281.85
2007	157.79	61.28	96.68	37.55	3.02	1.17	257.49
2008	163.85	67.21	77.93	31.96	2.02	0.83	243.80
2009	157.21	60.10	101.40	38.76	2.97	1.13	261.58

2010	199.06	56.13	152.77	43.08	2.80	0.79	354.62
2011	257.21	59.90	169.47	39.47	2.73	0.64	429.40
2012	322.90	48.34	343.13	51.37	1.92	0.29	667.95
2013	404.86	42.21	553.59	57.71	0.78	0.08	959.22
SBI Group							
2004	71.36	47.07	78.03	51.48	2.20	1.45	151.59
2005	70.17	47.39	76.24	51.48	1.68	1.13	148.08
2006	72.50	54.95	58.19	44.10	1.25	0.95	131.93
2007	71.75	57.15	51.93	41.36	1.88	1.50	125.56
2008	89.02	58.49	62.22	40.88	0.97	0.63	152.20
2009	84.47	47.26	92.50	51.75	1.77	0.99	178.74
2010	109.40	50.11	106.46	48.77	2.44	1.12	218.31
2011	155.67	55.32	125.67	44.66	0.06	0.02	281.40
2012	239.11	52.33	217.59	47.62	0.25	0.05	456.94
2013	264.42	44.09	334.94	55.85	0.31	0.05	599.67
Public Sector Bank (A+B)							
2004	238.40	47.54	256.98	51.24	6.10	1.22	501.48
2005	233.97	49.98	229.69	49.06	4.50	0.96	468.17
2006	223.74	54.07	180.72	43.68	9.32	2.25	413.78
2007	229.54	59.92	148.81	38.80	4.90	1.28	383.05
2008	252.87	63.85	140.15	35.39	2.99	0.75	396.00
2009	241.68	54.89	193.90	44.04	4.74	1.08	440.32
2010	308.46	53.84	259.23	45.25	5.24	0.91	572.93
2011	412.87	58.09	295.15	41.52	2.78	0.39	710.80
2012	562.01	49.96	560.71	49.85	2.17	0.19	1124.89
2013	669.28	42.93	888.53	57.00	1.08	0.07	1558.90

Source : Department of Banking Supervision , RBI

In case of Non Priority Sector Loan and NPA of Nationalized banks relation in moving 48% to 58%, a fluctuation of 10% in 10 years, and credits to Public Sector and NPA were lowest between 0.2 to 1.5% This sector has been given marginal credits. The above table shows that in priority sector Highest NPA percentage was found in Nationalized banks in 2008 the percentage is 67.2%. The amount of NPA in percentage against total financing by nationalized banks, SBI groups are close to 42% plus in Priority Sector, though the total volume of finance in Priority Sector by SBI group is 65% of the Total Volume of all Nationalized Banks in the country. In this respect individual percentage of SBI group as NPA was at higher side in 2010-2013 in comparison to nationalized banks percentage of NPA. Between 2007-2011, the percentage of combine NPA tends to be incremental and also at the higher side. This is because 2007 onwards global economy got clutched under recession so did the Indian economy and the reflection of recessional trends in the Indian economy adversely affected the performance of both Nationalized Banks and SBI Group Banks. The individual performance of both types of banks in Non Priority Sector is not satisfactory. A higher NPA percentage is observed. Since 2011 percentage of NPA further increased in Non Priority Sector and crossed 55% this is a matter of concern to the bankers and economist. These losses need to be checked.

TABLE 3
GROSS NPAS AND NET NPAS OF PUBLIC SECTOR BANKS IN INDIA
(2002-03 TO 2011-12) (Rs in crores)

Years	Gross NPAs			Net NPAs		
	Gross NPAs	Trend Percentage of Gross NPAs	% of Gross NPAs to Gross Advances	Net NPAs	Trend Percentage of Net NPAs	% of Net NPAs to Net Advances
2002-03	54089.00	100.00	9.40	24868.00	100.00	4.50
2003-04	51541.00	95.29	7.80	18860.00	34.87	3.00
2004-05	46596.00	86.15	5.40	16983.00	31.40	2.06
2005-06	41379.00	76.50	3.90	14560.00	26.92	1.70
2006-07	38602.00	71.37	2.80	15145.00	28.00	1.10
2007-08	40452.00	74.79	2.20	17836.00	32.98	0.80
2008-09	45156.00	83.48	2.00	21033.00	38.89	0.70
2009-10	59926.00	110.79	2.19	29644.00	54.81	1.10
2010-11	74614.00	137.95	2.23	36071.00	66.69	1.09
2011-12	117200.00	216.68	3.30	59100.00	109.26	1.70

Base year for trend percentage is 2002-03

Source: (RBI) Report on Trend and Progress of Banking in India, various issues.

As seen in the above table, there is a declining trend in the percentage of Gross and Net NPAs of Public Sector Banks from 2002-03 to 2008-09 and increased in the later years and declining trend in trend percentage of gross and net NPAs of Public Sector Banks from 2002-03 to 2006-07 and increased in the later years over the period of the study. It is seen that gross NPAs as absolute and in percentage terms with gross advances of PSBs have increased from Rs 45,156 crore (2.0%) to Rs 1,17,200 crore (3.3%) in the period of 2008-09 to 2011-12, whereas net NPAs of PSBs in absolute and in percentage terms have also come down from Rs.21,033 crore (0.70 %) in 2008-09 to Rs. 59,100 crore (1.70 %) in the year 2011-12.

CONCLUSION :- The maintenance of a minimal amount of Non Performing Assets (NPA) is one of the requirements of an efficient financial system. Beyond a certain level, NPAs are a matter of concern for the banking sector because they affect the smooth flow of credit in the economy and credit is important for the economic growth. Nowadays, the banks, financial companies and institutions are confronted with the huge problem of management of NPA in an effective and efficient manner. But many problem cropped up such as inter regional inequality in banks operations, non recovery of loans, willful defaults, political interference, deteriorations of customers services, red tapism, neglect in the supervision of end use of credit, declining efficiency and profitability. All these factors adversely affected the quality of loan portfolio, thereby resulting in NPA. The need of the hour is NPA Management. The Management of NPAs means to deal with the problem loans efficiently and to settle NPA accounts in the books. In simple terms, it focuses on the method of settlement of NPA accounts. The methods may differ from bank to bank, but the bankers should adopt corrective measures proactively in credit management as well as NPA management.

It is high time for all concerned to recognize this gigantic problem and reframe the regulatory measures, strengthen the legal system and create credit discipline and loan repayment culture so as to make the Indian Banking System vibrant in the effective management of NPAs.

REFERENCES :-

[1]. Dutta, A (2014) Empirical Study On Non-Performing Assets Management Of Indian Commercial Sector Banks. Retrieved from, Perspective, Vol 6, no. 2. Pp. 18-22

[2]. Das, S (2010) Management of Non-Performing Assets In Indian Public Sector Banks With Special Reference To Jharkhand. Retrievied from http://www.igidr.ac.in/newspdf/money/mfc_10/ Santanu%20Das_ submission_ 45.pdf

[3]. Ahmad, Z., Jegadeeshwaran, M. (2013) Comparative Study On NPA Management Of Nationalised Banks. Retrieved from International Journal of Marketing, Financial Services and Management Research, ISSN 2277- 3622, Vol.2, No. 8, August (2013)

[4]. Ranjan, R, Dhal, S.C. (2003) Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment. Retrieved from Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol. 24, No. 3, Winter 2003

[5]. Reddy, P. K. (2002) A comparative study of Non-Performing Assets in India in the Global context - similarities and dissimilarities, remedial measures. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=361322

[6]. Joseph, A.L., Prakash, M (2014) A Study on Analyzing the Trend of NPA Level in Private Sector Banks and Public Sector Banks. Retrieved from International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 7, July 2014 1 ISSN 2250-3153

[7]. Samir, Kamra, D., (2013) A Comparative Analysis of Non- Performing Assets (NPAs) of Selected Commercial Banks in India Opinion: Retrieved from International Journal of Management, Vol. 3, No. 1, June 2013, ISSN: 2277-4637 (Online) | ISSN: 2231-5470 (Print)

[8]. Patidar, S., Kataria, A. (2012), Analysis OfNpa In Priority Sector Lending: A Comparative Study Between Public Sector Banks And Private Sector Banks Of India. Retrieved from Bauddhik Volume 3, No.-1, Jan-April-2012

[9]. Arora, N, Ostwal,N (2014),Unearthing The Epidemic Of Non-Performing Assets: A Study Of Public And P

[10]. Yadav, S (2014) NPAs: Rising Trends and Preventive Measures in Indian Banking Sectors. Retrieved from Volume 2, Issue 1, January 2014, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, ISSN: 2321-7782

[11]. Rakshit, D, Chakrabarti, S. (2012). NPA Management of Rural Cooperative Banks of West Bengal: An Overview. Retrieved from Volume-I, No.-3, January -- June 2012 Business Spectrum ISSN-2249-4804

[12]. Kumar,M., Singh,G (2012)Mounting Npas In Indian Commercial Banks. Retrieved from International Journal of Transformations in Business Management, (IJTBM) 2012, Vol. No. 1, Issue No. 6, Apr-Jun ISSN: 2231-6868

[13]. Gupta,J., Jain, S.,(2012) A study on Cooperative Banks in India with special reference to Lending Practices. Retrieved from International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 10, October 2012, ISSN 2250-3153rivate Sector Banks. Retrieved from SMS Varanasi, Vol. X, No. 1; June 2014

[14]. Rajput, N., Gupta,M., Chauhan, A.K. (2012) Profitability And Credit Culture Of NPAs: An Empirical Analysis Of Psbs . Retrieved from International Journal of Marketing, Financial Services and Management Research, Vol.1 Issue 9, September 2012,

[15]. Ibrahim, M.S., Thangavelu,R (2014), A Study on the Composition of Non-Performing Assets (NPAs) of Scheduled Commercial Banks in India. Retrieved from Journal of Finance and Bank Management, March 2014, Vol. 2, No. 1,

IMPACT OF DEMONETIZATION ON DIGITALIZATION

Ms. Narita Ahuja
Assistant Professor, Department of Commerce, N.B.G.S.M College, Sohna

ABSTRACT : Journey from demonetization to digitalization is very hard hitting but not impossible. Recent demonetization in India on November 8, 2016, created lot of panic in the economy but also paved the way to digitalization. Cash crunch and availability of e-sources of transactions compelled many people to use electronic modes of payment. Credit cards, debit cards/RuPay card, USSD/UPI, Internet banking, mobile wallets like Oxigen, Paytm, Mobiwik, aadhar-enabled payment system, POS, and so on are few popular modes of electronic transaction, which are commonly used by the citizen. Digitalization will embrace higher transparency in monetary terms; low-cost maintenance; more convenience in use; and help in financial inclusion and weeding out black money and counterfeit money from the economy. But journey to a destination is always full of roadblocks, and similarly the journey of India toward a digital India is also full of hurdles like a huge illiteracy rate; low bandwidth; more unbanked areas; late adoption of technology; lack of full-time electricity; security concerns like hacking, cybercrime, and safety of personal details; and need for high investments. So, to defend the dream of a digital India, we have to develop well-defined strategies to coach people in using technology like focusing on customer education as well as employee education in technology by conducting workshops, presentations, enforcing strict cyber laws, use of local language, and developing user-friendly websites that leverage technology using the development of simple and smart digital tools, such as the use of a one-time password (OTP). The government has started Vittiya Sakharata Abhiyaan (VISAKA) and outreach campaigns like Digi Dhan Abhiyan and so on to encourage people to adopt digital tools. Overall demonetization is greasing the wheels of digitalization and transforming India into Digital India.

Keywords : Demonetization; Digitalization; Cash crunch; Transparency; Financial inclusion.

INTRODUCTION : Demonetization for us means that Reserve Bank of India has withdrawn the old Rs 500 and Rs 1000 notes as an official mode of payment. Demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender. On 28 October 2016, the total currency in circulation in India was Rs. 17.77 lakh crore (US$260 billion). In terms of value, the annual report of Reserve Bank of India of 31 March 2016 stated that total bank notes in circulation valued to Rs.16.42 lakh crore (US$240 billion) of which nearly 86% (i.e. Rs. 14.18 lakh crore (US$210 billion)) was 500 and 1000 rupee notes. In terms of volume, the report stated that 24% (i.e. 2,203 crore) of the total 9,026.6 crore banknotes were in circulation In an important move, the Government of India declared that the five hundred and one thousand rupee notes will no longer be legal tender from midnight, 8th November 2016. The RBI will issue Two thousand rupee notes and new notes of Five hundred rupees which will be placed in circulation from 10th November 2016. Notes of one hundred, fifty, twenty, ten, five, two and one rupee will remain legal tender and will remain unaffected by this decision. This measure has been taken by the PM in an attempt to address the resolve against corruption, black money and counterfeit notes. This move is expected to cleanse the formal economic system and discard black money from the same. The reasons of it are as under:

1. To tackle black money in the economy
2. To lower the cash circulation in the country which is directly related to corruption in our country
3. To eliminate fake currency and dodgy funds which have been used by terror groups to fund terrorism in India;

4. The move is estimated to scoop out more than more than Rs 5 lakh crore black money from the economy.

Demonetization history and background in India :

This is not the first time when Indian currency is demonetized in India.

1. The first instance was in 1946 and the second in 1978 when an ordinance was promulgated to phase out notes with denomination of Rs 1,000, Rs 5,000 and Rs 10,000.

2. The highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India was the Rs 10,000 note in 1938 and again in 1954. But these notes were demonetized in January 1946 and again in January 1978, according to RBI data.

3. Rs 1,000 and Rs 10,000 bank notes were in circulation prior to January 1946. Higher denomination banknotes of Rs 1,000, Rs 5,000 and Rs 10,000 were reintroduced in 1954 and all of them were demonetized in January 1978.

4. The Rs 1,000 note made a comeback in November 2000. Rs 500 note came into circulation in October 1987. The move was then justified as attempt to contain the volume of banknotes in circulation due to inflation.

5. However, this is the first time that Rs 2,000 currency note is being introduced.

6. Bank notes in Ashoka Pillar watermark series in Rs 10 denomination were issued between 1967 and 1992, Rs 20 in 1972 and 1975, Rs 50 in 1975 and 1981 and Rs 100 between 1967-1979.

7. The banknotes issued during this period contained the symbols representing science and technology, progress and orientation to Indian art forms.

8. In the year 1980, the legend Satyameva Jayate - 'Truth alone shall Prevail' - was incorporated under the national emblem for the first time.

9. In October 1987, Rs 500 banknote was introduced with the portrait of Mahatma Gandhi and Ashoka Pillar watermark. Mahatma Gandhi (MG) series banknotes – 1996 were issued in the denominations of Rs 5, (introduced in November 2001), Rs 10 (June 1996), Rs 20 (August 2001), Rs 50 (March 1997), Rs 100 (June 1996), Rs 500 (October 1997) and Rs 1,000 (November 2000).

10. The Mahatma Gandhi Series – 2005 bank notes were• issued in the denomination of Rs 10, Rs 20, Rs 50, Rs 100, Rs 500 and Rs 1,000 and contained some additional/new security features as compared to the 1996 MG series.

11. The Rs 50 and Rs 100 banknotes were issued in August• 2005, followed by Rs 500 and Rs 1,000 denominations in October 2005 and Rs 10 and Rs 20 in April 2006 and August 2006, respectively.

DIGITALIZATION: AN INTRODUCTION

Digital means using binary digits. Digitalization means adoption of this technology and converting physical data into digital format. According to IGI dictionary (2017), digitalization is the integration of digital technologies into everyday life by the digitization of everything that can be digitized. The literal meaning of digitalization gives an apparent idea of development and a technology-dependent world. This is not a new concept; it dates back to the advent of technology. Globally, banks and other financial institution are trying to move in pace with technology by upgrading themselves. New entrants are also entering into broader and diversified financial services and products. Digitalization has had substantial impact on banking sector.

Development of block-chain-based system, cloud computing, and increased cyber security threats are growing digital challenges. Cloud computing may help in driving efficiencies and supporting delivery of new services to customers. It will surely change the way banks compete in the market and also enable them to improve their workforce, product, and service innovation. This will increase customer satisfaction and also delight the customer.

Globally, the usage rate of smart phone and tablets is phenomenally increasing day by day. Penetration of smart-phones, social media, and online engagement will support digitalization in the wake of demonetization and also help in the advancement of financial inclusion. After demonetization, the resulting cash crunch created a buzz in electronic payments by the use of android mobile. Even vegetable vendors, dabbawalas, grocery stores, taxi drivers, and street vendors have started signing up with Paytm, Oxigen, Mobiwik, and so on.

OBJECTIVES :

- To analyze the impact of Demonetization on Digitalization.
- To analyze the current status of digitalization.

METHDOLOGY :

For this study, descriptive methods are followed and secondary data has been collected. For this study data and information has been collected from various books, Research Article, Magazines, Research Journal, E-journal, Report of UGC, and Report of the higher education and Websites.

JOURNEY FROM DEMONETIZATION TO DIGITALIZATION : Demonetization has not only sown the seeds for cashless India but also raised hope in the minds of a young India that black money will be weeded out soon. Facing criticism and appreciation, the government has paved the way for the cashless mode of payment. Various top guns in the digital payment space like Paytm, Mobivik, Itz cash, OLA Money, and so on are witnessing that this quintessential move has increased their business manyfold. Crypto currencies like Bitcoin are receiving positive upswing. The common man is keeping aside cash and using mobile wallets and e-payment services. To face and conquer the present challenge of cash crunch not only customers but also offline retailers are upgrading to niftier, cashless, e-commerce options of digital payments. Hence, digital-wallet and mobile-payment companies are the biggest beneficiaries of demonetization.

The government of India has launched the campaign for Digital India to ensure that services are made available to citizens electronically by better online infrastructure and connectivity, that is, digital empowerment. It has encouraged many people to use other e-delivery banking channels for Internet banking—retail, corporate, or mobile banking; UPI; USSD–NUUP; *99# as well as e-wallet banking. Mehta *et al.* (2016) said over the last 2 years that while the number of Jan Dhan accounts had recorded a stellar growth, the share of these accounts in total deposit base of the banking system had remained under 1%. The demonetization drive of higher-denominated notes should give a push to cash deposits in Jan Dhan accounts, of which close to 43% so far have remained dormant.

Ashoka (2017) said that the Indian banking sector has been playing a pivotal role in enhancing digitalization and bringing different echelons of digital-banking facilities to customers for their utilization. Nine pillars/Initiative of digital India programme

1. To have Broadband on highways Government of India aim to have broadband services for all rural, urban and national information infrastructures. Under broadband for all rural 2,50,0000 village panchayants would be covered under the National Optical Fibre Network by December 2016 and project cost is estimated to be approximately 32000Cr.Broadband for all urban will

mandate communication Infrastructure in new urban development and buildings. By March 2017 government aims to provide national information infrastructure.

2. Universal access to phones Government taking the initiatives to provide the network connectivity in the villages that do not have mobile coverage. The project cost estimated for this pillar will be around 16000 cr during 2014-18.There are approximately 55,619 village in the country do not have mobile coverage.

3. Public internet access programme : There are two sub component in this scheme namely common service centres and and post office with multi-service centres. Common service centre would be strengthened and its number would be increased to 2,50,000 i.e. one CSCs in each grampanchayat.Government aims to convert 1,50,000 post offices into multi service centres.

4. E-governance : This pillar of digital India programme aims to reform the government functioning through the technology. By using information technology the government wants to make the government process more efficient, which results into the transparent governance system that deliver response and outcomes.

5. E-Kranti : This services aims to deliver the electronic services to people which deals with health, education,farmers,justice,security and financial inclusion.

6. Information for all : Under this service hosting data online and engaging social media platforms for governance is the goal of the government. This will help provide the global information to all citizens.

7. Electronics manufacturing-target net zero inputs : The government focusing on the electronic manufacturing in the country with the target of NET ZERO imports by 2020 as a outstanding manifestation of intent.

8. IT for Jobs : This pillar focusing on the training to be provided to people in smaller town and villages for IT sector jobs over 5 years.

9. Early Harvest Programme : Government plans to set up Wi-Fi facilities in all universities across the country. Email will be made primary mode of communication

Difficulties in Digitalization : In a country like India where large number of people have no bank accounts and Internet use is limited, the roadmap toward digitalization is not easy. There are so many roadblocks in the way to reach the destiny of cashless economy. Innovative thought and proper strategies need to be developed for reaching the general masses. A huge percentage of the population of India is still living in rural areas where basic facilities are not available; how can we think of inculcating digital habits in those people? High illiteracy rates, slow Internet connectivity with less bandwidth, unbanked areas, undeveloped tax systems are some big issues that need to be eradicated permanently for the system to be digital.

Switching from cash to cashless economy will necessitate so many transformations from bottom to the top of the administration. The compelling restraint for the user is the fear of security breaches. Hacking of accounts, security, and privacy of customers' personal details, which are demanded while making e-payments, are some serious issues that need to be sorted out. More digitalization will lead to more cybercrime.

To avoid such problems, cyber security should be backed by powerful laws and acts. As long as the perceived notion that the Internet is still not a safe place to conduct financial transactions prevails,

large scale adoption will be challenging. In addition, the low penetration of PCs and access to Internet are crucial issues, which act as roadblocks in the adoption of Internet banking and other e-delivery banking channels.

We need to develop a new monetary system, a fully expanded banking system as well as uninterrupted power supply.

STRATEGY TO PROMOTE DIGITALIZATION :

A. Provide Education to Consumers

Presentations and workshops: It should be conducted in schools and offices from time to time. Workshops should be arranged in schools, malls, outside banks, or any other popular place so that confidence of people will rise when they will have practical sessions in front of their eyes. Their queries can be resolved immediately.

Campaigns/advertisements: The government has already started the outreach campaign DigiDhan Abhiyan sensitizing merchants and vendors for electronic payment systems (EPSs)**.** More and more publicity through hoarding, television, FM, mass media should to be done to awaken the people and encourage them to use digital money.

Training programs: Banks and the government should take the initiative for providing digital financial solutions to the common people to help them use different modes of EPSs and making them aware of the benefits of digital money to oneself and to the country.

B. Monetary Benefits

Concession of fees on e-payment: Various charges linked with e-payment should be removed to enhance cashless transaction.

Incentivize digital payments: On various cashless transactions, cash-back offers should be provided to attract common people using e-modes of payment.

C. **Use of Mother Tongue**

Gupta (2017) said that alternate delivery services by banks in Hindi or a mother-tongue-friendly mode are a welcome step and is likely to give a major thrust in rural India and will ultimately help combating the problems created by demonetization. Some banks have started providing Hindi language in the option. This adoption of mother tongue will positively help the rural customer understand the various information available on the website and will bring them closer to the banks.

D. Cyber security Backed by Cyber Laws and Acts

Indeed, educating security features to both employees and customers is mandatory before engaging in digital transactions. For educating large masses of customers, mass media like television, newspaper, advertising, radio, and so on should be used. Concurrently, security matters can be communicated to employees through periodic training sessions for employees on such topics as cyber frauds, cyber security, secure passwords, and other security-related matters. Patching routers, switches, firewalls, internal desktops, and servers should be used by the banks for better security. The government should also make strict rules for cyber security that will encourage people to use more online services of banks. Gupta (2017) said that two factor authentication (2FA) is extra security cover to basic log-on procedure. Without 2FA, you enter your username and password, and then you are done. The password is your single factor of authentication. The second factor makes your account more secure. In banks, it has been accomplished through the introduction of one-time password (OTP), which is sent to the user at the time of making transactions, which is in the form of a numeric number or alphanumeric text on his registered mobile or mail. On entering this OTP, the system validates the same and allows entry in system on satisfaction.

Mahajan and Singla (2017) revealed that ordinary individuals were the most adversely affected. The new type of deposits called benami deposits have also come up with demonetization. With the aim of achieving financial inclusion along with making India a cashless and digital economy, efforts are required to make technology reach the bottom of the pyramid.

CONCLUSION : Demonetization should be welcomed as a revitalizing and positive step toward massive digital transformation of the country. Continuous process of demonetization is carving the picture of transition of India more toward cashless economy rather than combating black money. The day is not far when physical money will get obsolete technologically. But adopting digitalization to the utmost needs lot of investment, painstaking planning, and coordinated decision making. However, cybercrime will remain in the top agenda for the government as well as for senior bank executives. So we need to develop well-defined strategies to encourage people in using technology like more focus on customer as well as employee education about technology by conducting workshops, presentations, enforcing strict cyber laws, use of local language and developing user-friendly websites that leverage technology using the development of simple and smart digital tools, such as the use of OTP. The government has started Vittiya Sakharata Abhiyaan (VISAKA) and outreach campaigns like DigiDhan Abhiyan and so on to encourage people to adopt digital tools. All these changes are indicating that we are moving toward a more inclusive society in the coming future. It is up to the citizens of India to take this spinning move either positively or negatively. We should appreciate the move and help the people by teaching them the process of digital transactions. We can conclude by saying that demonetization is greasing the wheels of the economy and transforming India into Digital India.

References :

1. Agnihotri A. 2017. RBI replaces 60% of banned currency: rs 9.2 lakh cr remonetised till date. Available at: http://www.business-standard.com/article/economy-policy/rbi-replaces-60-of-demonetised-notes-rs-9-2-lakh-cr-new-notes-insystem-117011801335_1.html
2. Ashoka ML. 2017. Customer acceptance of millennial generation banking services: challenges and prospects. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2929837 or ttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2929837
3. Bhatnagar H. 2015. Awareness and adoption of technology in banking especially by rural areas customers: a study of Udaipur rural belt. Pacific Business Review 7(11): 38-45.
4. Das A, Agarwal R. 2010. Cashless payment system in India – a roadmap, Technical report, IIT Bombay. Available at: http://dspace.library.iitb.ac.in/jspui/handle/10054/1732
5. Gupta DK. 2017. Demonetization in India 2016 – mother tongue friendly e-delivery banking channels for cashless growth. Available at SSRN https://ssrn.com/abstract=2894129
6. IGI Global (2017). *"Definition of Digitalization"*. Retrieved on January 2017. Available from: http://www.igi-global.com/dictionary/digitalization/7748
7. Investopedia (2017). *"Definition of E-commerce"*. Retrieved on January 2017. Available from: http://www.investopedia.com/terms/d/demonetisation.asp.
8. Mahajan P, Singla A. 2017. Effect of demonetization on financial inclusion in India. In 6th International Conferenec onRecent Trends in Engineering, Science and Management. Available at: www.conferenceworld.in
9. Mehta S, Patel K, Mehta K. 2016. Demonetisation: shifting gears from physical cash to digital cash (No. 2016-12-14).
10. Working papers from Voice of Research. Available at: http://EconPapers.repec.org/RePEc:vor:issues:2016-12-14
11. Sherline TI. 2016. Demonetisation as a prelude to complete financial inclusion. International Education and Research Journal 2(12). E-ISSN No: 2454-9916
12. Withdrawal of legal tender status for 500 and 1000 notes: RBI notice (Revised). Reserve Bank of India, November 8, 2016. Retrieved November 8, 2016.
13. Harshita Bhatnagar, Demonetization to Digitalization: A Step Toward Progress

योग से मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन

डॉ. मनोज कुमार शर्मा
पी. एच. डी. योग

वर्तमान युग के प्रगतिशील समय में मानव ने विभिन्न मानसिक समस्याओं के साथ प्रवेश किया है। आज विभिन्न प्रकार की तकनीक चाहे वह सूचना से संबंधित हो या संचार क्रांति तथा विभिन्न प्राद्योगिकी का विकास जिनसे सुविधाओं की अति हो गई है लेकिन साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य में विभिन्न संकट भी खड़े किय है। आज व्यक्ति का जीवन पहिल की अपेक्षा अधिक तनावग्रस्त एवं विषादपूर्ण हुआ है। जब हम मानवीय सभ्यता का विश्लेषण करते है उस समय यही तथ्य उद्घाटित होता है कि आज उसे संकटपूर्ण स्थिति से गुजरना पढ़ रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे अनेक ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयों के अनेको विद्वानों ने यह कहा है कि मनोव्यथा से पीड़ित व्यक्तियों की यह संख्या भौतिकता के बढ़ते क्रम के साथ ही बढ़ती नजर आ रही है। इस मानसिक अस्वस्थता एवं तनावजन्य रोगों के रोकने तथा उपचार में तत्संबंधी चिकित्सकों की और चिकित्सालयों की वृद्धि भी नाकाम सिद्ध हुई है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की पत्रिका ''वर्ल्ड हैल्थ'' में प्रकाशित हुआ है। कि अभी तक अपने विकास तथा नई तकनीक विकसित करने तथा चिकित्सको की सेना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फिर भी अभी नाकाम होती यह कोशिश इन रोगों के मूल कारणों पर विचार करने के लिए विवश करती है, जबकि कुछ विद्वान अपनी दीर्घकालीन अनुसंधान प्रक्रिया से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि संरचना व उसकी क्रियाविधि का समग्र ज्ञान आवश्यक है तभी उसमें विकृति की पहचान व निदान संभव है। जबकि समस्त निदान योग शास्त्र में समाहित है। योग विज्ञान की साधनात्मक प्रक्रियायें ही एक मात्र. सार्थक व समर्थ समाधान है। इसी से मानव की बिखरी व बटी हुई चेतना पुनः एकात्मकता व सम्पूर्णता प्राप्त कर सकती है। जिससे अपना खोया हुआ स्वास्थ्य व सौंदर्य प्राप्त हो सकता है। मानव स्वभाव की क्रियाविधियां यह तथ्य समाहित है कि शरीर में ऊर्जा निरीक्षण का कार्य मन पर होता है, और शरीर में जितनी शक्ति होती है, उसका नियंत्रण मन से ही होता है मन के आधार पर ही ऊर्जा शरीर में वितरित होती है। तद्परान्त उसका व्यय होता है जबकि शरीर में ऊर्जा व्याप्त रहती है, परन्तु कहॉ की ऊर्जा कब और कैसे खर्च हो, इसका आदेश मन से ही प्राप्त होता है। मनोवृत्तियों के आधारपर ही ऊर्जा प्रवाह में दिशा मिलती है, मन में विचारों के प्रवाह के साथ ही ऊर्जा का भी प्रवाह होता है, जब ऊर्जा प्रवाह सतत् बना रहता है उस समय तक मन में किसी प्रकार का भार तथा तनाव नहीं रहता। जब मन में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां इच्छा बन कर एक साथ वेग से चलती है तब मस्तिष्क का कार्य असंतुलित हो जाता है, जिससे सिर में भारी पन व तनाव आ जाता हैं यह सत्य है कि मनुष्य का स्थूल शरीर जड़ है, मन सूक्ष्म शरीर का नायक है और यह मन ही चित्त वृत्तियों का समवाहक है। यही मन चेतना से प्रतिफलित होकर शरीर और इन्द्रियों का संचालन व नियंत्रण करता है। शरीर में चित्त और मन की अपनी व्यवस्था है। मन के दो पहलू है, पहला इन्द्रियों के अनुकूल सुखमय मान्यतायें दूसरा प्रतिकूल मान्यताये और इसी आधार पर मन के दो परिणाम है सुख और दुख। मस्तिष्क की क्रिया जब असामान्य हो जाती है उसे विक्षिप्तता कहते है। मन में बासनात्मक भाव की निरंतरता से शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, स्वास्थ्य बिगड़ने का मुख्य कारण पाचन होता है, मन व पाचन का सीधा संबंध है क्योंकि पाचन में विकृति से कमजोरी और इससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे मस्तिष्क तनावग्रस्त रहकर और इसके प्रभाव से भूख व निद्रा समाप्त हो जाती है। और प्रभावित व्यक्ति भूत, वर्तमान, भविष्य में तालमेल नहीं रख पात, यही विक्षिप्तता है। इसी प्रकार उन्माद, शंका, भ्रांति, विकृति, हिस्टीरिया, मानसिक विखण्डता, चिंता, भय, यह विभिन्न रोग मन मस्तिष्क की असामान्यता या विकृति को प्रकट करते हैं इसी क्रम में मानसिक भावों द्वारा शारीरिक रोग की भी उत्पत्ति होती है, कथित मनोदशा में एड्रिनल कर्टिकस से कर्टिसोन नामक एक विशेष रसायन स्त्रावित होता है जिससे चयापचय क्रिया प्रभावित होती है। अवसाद ग्रस्त अवस्थामें थायराइड ग्रंथी के रस स्त्राव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, परिणाम स्वरूप विभिन्न रोगों का उदय जैसे मानसिक कारण शोको उद्देग से वात्ज्वर, तथा क्रोधउद्देग से पित्त प्रमेह, शोक की अधिकता से वात् प्रमेह, भय और साहस से कुष्ठ, भय से क्षय रोग शोक व चिन्ता से रायक्षमा तथा वातगुल्फ क्रोध से पित्त गुल्म, काम, चिंता, भय से पांडुरोग अधिक क्रोध से पित्तातिसार भय शोक चिन्ता से सन्नपात, अतिसार, शोक व क्रोध से तृष्णा तथा प्रतिस्थाय चिन्ता एवं भय से हृदय रोग, चिन्ता एवं क्रोध

से वात व्याधि, शोक, लोभ, क्रोध से अतिचक्र शरीर व मन के आपसी संबंध से ही स्वास्थ्य बनता व बिगड़ता है। क्रोध, अवसाद, उदासी, ग्लानि, निरोग, आवेश ग्रस्तिता, चिड़चिडापन, उद्दमिता, जैसे मनोभावों एवं शान्त प्रसन्न आशावादी, आत्मविश्वास, प्रेम, करूणायुक्त मानसिक स्थिति के प्रभाव को विभिन्न शोधो से ज्ञात हुआ हैं कि मन शरीर के संरक्षिका तंत्र इंसुलिन सिस्टम को प्रभावित करता है।

मन तरंगों को नियंत्रित अभिवर्धित करके सभी रोगों को निवारण संभव है। मानव जीवन के प्रमुख तत्व अनुभव विचार और कार्य इन सबका प्रेरक तत्व मन है। पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहकर मन के नियंत्रण में लेने को बताया है साथ ही योग ग्रंथ श्रीमदभवगतगीता में मन की चंचलता को जब अर्जुन द्वारा योगेश्वर कृष्ण से कहा गया तब इस चंचलता के समाधान हेतु भगवान कृष्ण अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चंचलता के शमन का उपाय प्रस्तावित किया। मन को नियंत्रित करने का नाम ही योग है। साइकोथेरेपी की इक्कीसवी सदी के इस हाइटेक समय में आ जाने पर भी अधिकतर विशेषत मनोवैज्ञानिक फ्राइड से ही समहम है। चेतन मन की समान जानकारी अचेतन मन के बारे में अधूरे अनुमान मानवीय चेतना के उच्च स्तरीय आयामों के प्रति स्तर हीन और अवैज्ञानिक उपेक्षा यही वर्तमान की साइकोथेरेपी का दायरा है। इसलिये साइकोथेरेपिस्ट मन के गहरे घावों को सही तरह से ठीक कर पाने में प्रायः असफल होते है। इस प्रकार मानसिक रोगों की तथा उनके परिणामी शारीरिक रोगों की एक मात मात्र चिकित्सा योग थेरेपी ही बचती है। योग विज्ञान मनुष्य के चेतन की अंतर शक्तियों को जाग्रत एवं सुविकसित करता है। ध्यान एवं विभिन्न योगांगो से आज के प्रदूषित युग में मानसिक शांति तनाव मुक्त जीवन के लिए योग के माध्यम से मन की तरंगे इतनी सामर्थ अर्जित कर लेती है। कि वे अनेक दुष्प्रभावों से मानसिक व शरीरिक रक्षा करने में सक्षम हो जाती है, यदि यौगिक अभ्यास को निरंतर रखा जाए तो असामान्य स्मरण शाक्ति, अतिइन्द्रिय क्षमतायें, अलौकिक सामर्थ भी प्राप्त होती है। योग की चिकित्सात्मक पद्धतियों अनुभव परख एवं प्रायोगिक है। योग ही जीवन का उपयोगी समाधान है। साथ ही दिव्य गुणों का अभिवधैन एवं विकास भी करता है। मानसिक विकारों के निवारण में मुद्रा विज्ञान का एक अपना महत्व है, इसके साथ ही पंचतत्वों का संयोग कर इन मुद्राओं को प्रकट किया जाता है। हाथ की अंगुलियों के मेल से निर्मित मुद्राये शारीरिक व मानसिक स्थिरता लाती है तथा अनेक व्याधियों का निवारण भी करती है।

1. अगुण्ठ – अग्नि तत्व का बोधक है।
2. तर्जनी – वायु तत्व की बोधक है।
3. मध्यमा– आकाश तत्व की बोधक है।
4. अनामिक – जल तत्व की बोधक है।
5. कनिष्ठा– पृथ्वी तत्व की बोधक है।

यह मुद्राये विशेष रूप से आध्यात्मिक विकास में भी लाभकारी है तथा मस्तिष्क के विभिन्न प्रकार के विकार इन मुद्राओं के नियमित अभ्यास से दूर हो जाते है। नींद ना आना तथा अनियमित निद्रा का आना इनसे निवृति हो जाता है। चित्त की एकाग्रता मे तथा स्मरण शान्ति की वृद्धि में यह अत्यंत हितकारी है। आत्मा को उसके मूलरूप परमात्मा से संबंध स्थापित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मन की स्वच्छता से इन्द्रिय समूह व शरीर भी स्वस्थ रहता है। मन इन्द्रियों को बुद्धि, आत्मा से जोड़े रखता है, इसलिये योग को मन के योग के लिए प्रधान चुना गया है। और मन की तृप्ति से निरोध प्रक्रिया का उपदेश दिया है। पांच कर्मेन्द्रियों के साथ रहने से यह मन कर्मेन्द्रिय भी है और आत्मा के साथ रहने से यह ज्ञानेन्द्रियॉ भी है। आष्टांग योग में से यम–नियम योग के प्रथम व द्वितीय सोपान की भूमिका माना गया है और समप्रज्ञात व असमप्रज्ञात, समाधि को योग की अंतिम स्थिति मानते हुए जन सामान्य को अवगत कराना चाहता हूं कि यौगिक सफलता के लिए यम और नियम का पालन आवश्यक है, मन को एकाग्र करने के लिए यम और नियम का पालन आवश्यक है मन को एकाग्र करने के लिए यम के पांचों उपांगों व नियम के पांचों उपांगों पर चलना आवश्यक है, आसन से शरीर में स्थिरता के साथ सुख का अनुभव हेाता है, वहीं प्राणायाम के माध्यम से मानसिक क्लेशो का शमन के साथ ही सूक्ष्म शरीर को आहार भी दिया जाता है। साथ ही दैनिक जीवन में नवधा भक्ति का पालन कर व षटक्रियाओं का प्रयोग कर आन्तरिक व बाहय स्वच्छता से भी मन प्रसन्न व शांत हो जाता है, और विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से तथा ह्रदय में वैराग्य की स्थिति को धारण कर मन के नियंत्रण के माध्यम से मानसिक रोगों का शमन सहजता से साधन कर सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. रोग और योग–स्वामी सत्यानन्द सरस्वती– योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत 1998.

2. दमा मधुमेह और योग– स्वामी सत्यानन्द सरस्वती– योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत 1980.

3. Yogic Management of common diseases- Dr. Swami Karmananda- स्वामी सत्यानन्द सरस्वती– योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार भारत 1983

4. Yogic Management- Dr. Sujit chandratreya 1997

5. Asan Meditation the text book of yoga sivananda meditation 2001. Anandmur TI

6. सत्यपाल – वैज्ञानिक योगासन और स्वास्थ्य किताब घर दिल्ली 1994

7. आचार्य प्रकाशन स्वास्थ्य और योग प्राणायाम चिकित्सा रणधीर प्रकाशन हिरद्वार 249401

8. स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग निद्रा बिहार स्कूल आफ योगा 1971